खण्ड-316, अंक-8
बुधवार, 3 वैशाख, शक संवत् 1897
(23 अप्रैल, 1975 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 316 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1976

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २३ अप्रैल, १९७५

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री वासु देव सिंह की अध्यक्षता मेंआरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य---३३०

अंगने लाल, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील श्री उर्फ जिमी मियां, (एडवोकेट)
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी,श्री
अब्दुल रहमान खां 'नशतर', श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
आगा जैदी, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम यादव, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्रमोहनी, श्रीमती
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
कांली चरण यादव, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी प्रसाद,श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रांन्ति कुमार, श्री
खचेडू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्दन सिंह, श्री

चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
चरण सिंह, डाक्टर
छज्जू सिंह, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री (जिला वाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेज नारायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया किशन पाण्डेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दलसिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दीपनारायण बन महन्थ, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री

ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजुराम, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दास, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल ,श्री (जिला अलीगढ़)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु दयाल, श्री
प्रभु नारायण, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
प्रेम सुन्दर नरायण सिंह, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव,श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह यादव, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबूलाल तिवारी, श्री
बाबूलाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
बैजनाथ यादव, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री

भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भूपसिंह केन, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे श्री
मनीराम, श्री
मंजूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर (जिला जालौन)
मलखान सिंह सैनी, श्री (जिला मुजफ्फर-नगर)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मुलतानसिंह यादव, चौधरी
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद खां, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूल चन्द्र राजपूत, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री

रघुनाथ, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणजीत सिंह "जूदेव", श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण सिंह, ठाकुर
राम अधार, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी लाल केन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सिंह, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
राम प्यारे तिवारी श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम बचन, श्री

राम बाबू, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति बिन्दु एडवोकेट, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम रेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
रामसमुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रूप राम, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मी नरायण पांडेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह संगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
बेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल मलिक, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सन्त सिंह यूसुफ श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

नोट:--सार्वजनिक निर्माण मंत्री, श्री शिव प्रसाद सिंह भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २३ अप्रैल, १९७५

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

बुन्देलखंड के पांच जिलों में गेहूं की लेवी की वसूली

**१--श्री रघुनाथ सिंह (जिला झांसी) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बुन्देलखंड के पांचों जिलों--ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, जालौन तथा बांदा के पूरे पहाड़ी क्षेत्र को जो वन विभाग एवं ग्राम समाजों के बनों से घिरा हुआ है वर्ष १९७५ में गेहूं की लेवी वसूली से प्रदेश के अन्य पहाड़ी क्षेत्रों की तरह मुक्त करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य तथा रसद मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)--

जी नहीं।

बांदा जिले के पाठा क्षेत्र को लेवी से मुक्त किया जा चुका है। बुन्देलखंड के विभिन्न जिलों में ऐसा नहीं है कि सारे का सारा क्षेत्र पहाड़ी हो और गेहूं पैदा ही न होता हो। फिर भी मंडल आयुक्त व जिलाधिकारियों को लेवी आदेश में यह अधिकार दिया गया है कि यदि किसी क्षेत्र या उत्पादक विशेष के विषय में वह संतुष्ट है कि गेहूं का उत्पादन बहुत कम है तो उस क्षेत्र को लेवी से छोड़ा जा सकता है या लेवी की मात्रा घटा सकते हैं।

बुन्देलखंड के इन जिलों में गत ३ वर्षों में सरकारी खरीद निम्न प्रकार रही है :

जिले का नाम	सरकारी खरीद (टन में)		
	वर्ष		
	१९७१-७२	१९७२-७३	१९७३-७४
ललितपुर, झांसी ..	८,३४९	९,६०८	१२,५८४
जालौन ..	१२,५६३	१३,६६५	११,८३५
हमीरपुर ..	१६,५७१	७,४४५	९,१३४
बांदा ..	१२,८३५	५,४८२	४,०००

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)--

मान्यवर, यह जो पहला प्रश्न है, इसमें हमारी रुचि है।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, वह बाद में आयेगा।

सचिवालय कालोनी, महानगर, लखनऊ में जलसंकट

**२--श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार को जानकारी है कि महानगर सचिवालय कालोनी, लखनऊ इलाके के निवासियों को आज कल जबकि ग्रीष्म ऋतु का प्रारम्भ ही है पीने का पानी केवल रात में बारह बजे वह भी एक घंटे के लिये ही मिलता है ? क्या यह भी सही है कि वहां स्थित ट्यूब-वेल पिछले दो मास से समुचित कार्य नहीं कर रहा है ? यदि हां, तो इस घोर संकट को दूर करने हेतु सरकार अविलम्ब व्यवस्था करेगी ?

श्रम मंत्री (श्री राज मंगल पाण्डेय)--

जी हां। ट्यूब-वेल पम्प में खराबी आ जाने के कारण पानी की व्यवस्था में कठिनाई आ गयी थी। ट्यूब-वेल पम्प ठीक कर दिया गया है तथा अब दिनांक २०-४-१९७५ से पानी की व्यवस्था ठीक हो गयी है।

सी आर० पी० सी० एवं सोलहवां ला-कमीशन की रिपोर्ट

**३--श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सी आर० पी० सी० एवं १६वां ला-कमीशन रिपोर्ट के आधार पर दफा २५ के अन्तर्गत ए० पी० पी० और पी० सी० जिला स्तर पर जिलाधिकारी एवं प्रान्तीय स्तर पर गृह सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार के मातहत दिनांक १ अप्रैल, १९७४ के किये गये थे? क्या यह सही है कि अब क्रमशः जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक के और स्टेट लेबिल पर आई० जी०, पुलिस के अधीन कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

विषय न्यायालय के विचाराधीन है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जिला देवरिया में पडरौना के जिला परिषद्, जूनियर हाई स्कूल में मेहतरों को मासिक वेतन

*१--श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया) तथा श्री कृपा शंकर आर्य (जिला देवरिया)--

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि जनपद देवरिया के पडरौना नगर स्थित जिला परिषद् के जूनियर हाई स्कूल के कई कर्मचारियों (मेहतर) जो उक्त शिक्षण संस्था में पिछले तीस-तीस पैंतीस-पैंतीस वर्ष से सेवारत हैं को केवल (३) तीन रुपये मासिक वेतन दिया जाता है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उनके वेतन वृद्धि के लिये अविलम्ब कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

जी हां। पडरौना स्थित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् को हस्तान्तरित जिला परिषद् के जू० हा० स्कूल के सफाई कर्मचारियों को ३ रु० प्रति माह वेतन (पारिश्रमिक) दिया जाता है क्योंकि ये अंशकालिक हैं।

यदि अंशकालिक कर्मचारियों के वेतन वृद्धि हेतु शि० नि० (बे०) से कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है तो उस पर विचार किया जायेगा।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि जब माननीय मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि सफाई कर्मचारी ३०-३०, ३५-३५ वर्ष से ३ रुपये मासिक पा रहे हैं जबकि उनको ४ घंटे-२ घंटे सुबह और २ घंटे शाम, काम करना पड़ता है तब इनको अंशकालिक क्यों माना जा रहा है और अगर उनको अंशकालिक माना जा रहा है, तो यूनिवर्सिटी के जो लेक्चरार और डिग्री कालेजेज के लेक्चरार हैं, ये भी अंशकालिक हैं लेकिन उनको ७०० रुपये से १,६०० रुपये वेतन दिया जा रहा है?

श्री अम्मार रिजवी---

मान्यवर, इसमें संदेह नहीं कि सफाई मजदूरों को जितना भी पैसा इस समय दिया जा रहा है, वह कम है। लेकिन वे कई जगहों पर काम करते हैं, इसलिये पुरानी दरें दी जाती हैं और जिला परिषद् में जो रेट देते हैं, वही रेट उनका था। लेकिन हम इस बात पर अवश्य विचार करेंगे कि रेट्स को किस तरह से अपग्रेड किया जा सकता है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)---

मान्यवर, समय-समय पर जिला परिषद् अपने संशोधन आदेश निकालती रहती है। क्या माननीय मंत्री जी ऐसे मजदूरों और मेहतरों की वेतन वृद्धि की सूचना सदन को देंगे?

श्री अम्मार रिजवी---

मान्यवर, जिला परिषद् ने इस संबंध में किसी प्रकार के आदेश पारित नहीं किये हैं।

श्री मोहन लाल कपूर---

मान्यवर, ३ रुपये को देखते हुये उनका वेतन बहुत थोड़ा है। वे ३०-३५ वर्ष से काम कर रहे हैं। इतने समय से काम करने वालों को अगर ३ रुपये देते रहेंगे, तो यह कहां तक उचित है ? फिर ये अंशकालिक रूप से काम करनें वाली नहीं बल्कि स्थायी कर्मचारी हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुये इनको भी उसी प्रकार से वेतनमान देने की कृपा करेंगे, जैसे कि अन्य कर्मचारियों को मिलता है ?

श्री अम्मार रिजवी---

मान्यवर, ये स्थायी कर्मचारी नहीं हैं, पार्ट टाइमर्स हैं। इनके लिये न पे-कमीशन ने कोई विचार किया और न कोई अन्य विचार हुआ। लेकिन इनको वेतन कम दिया जा रहा है, मैं इस बात से पूर्णतयः सहमत हूं और उस पर विचार करूंगा।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, क्या माननीय मंत्रीजी बतायेंगे कि पार्ट-टाइमर्स को भी जिला परिषद् में ८० रुपये दिया जाता था अब तक, और जो रेगुलर कर्मचारी हैं, उनको २०० रुपये के करीब दिया जाता है। जब पार्ट-टाइमर्स को ८० रुपये दिया जाता है, तो फिर इन कर्मचारियों को ३ रुपये देने का क्या कारण है ? फिर जब इनको पार्ट-टाइमर्स मानते हैं, तो क्या इनको ८० रुपये तुरन्त देने के आदेश करने की कृपा माननीय मंत्री जी करेंगे ताकि उनको वह पैसा मिलने लगे ?

श्री अम्मार रिजवी---

मान्यवर, पार्ट-टाइमर्स के लिये कोई निश्चित ग्रेड नहीं किया जा सकता। जिला परिषद् जो उस समय देती थी जिस समय ट्रान्सफर हुए वही चीज आजकल भी दी जा रही है। जहां तक बढ़ाने की बात है मैंने कह दिया है इसे देखेंगे कि किस तरह से इसे बढ़ाया जा सकता है।

श्री प्रेमदत्त (जिला फतेहपुर)---

जिला परिषद् ने ३० रुपये मासिक के लिये सरकार के पास संस्तुति भेजी थी तो जब हम समाजवाद की ओर बढ़ रहे हैं तो क्या सरकार उस संस्तुति को स्वीकार करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी---

इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है।

श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

२४ घंटे में से कितने घंटे इन कर्मचारियों से काम लिया जाता है ?

श्री अम्मार रिजवी---

यह तो बतलाना संभव नहीं है ।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)---

जवाब में यह कहा गया है यदि अंशकालिक कर्मचारियों की वेतन वृद्धि का कोई प्रस्ताव आता है शिक्षा विभाग में तो उस पर विचार किया जायगा तो कहां से यह प्रस्ताव होने की संभावना है, कौन प्रस्ताव भेजेगा ?

श्री अम्मार रिजवी---

इस तरह के प्रस्ताव शिक्षा निदेशक शासन को भेजा करते हैं। वहां से आयेगा तो अवश्य विचार किया जायगा ।

चौधरी चरण सिंह---

अगर वह न भेजें तो सरकार क्या इनिशियेटिव नहीं ले सकती ? एक चीज अन्याय-पूर्ण हो रही है तो सरकार खुद इनिशियेटिव क्यों नहीं लेती ?

श्री अम्मार रिजवी---

यह मैंने पहले ही कहा था कि यह बहुत कम है और इस पर अवश्य विचार करेंगी कि इसको बढ़ाया जाय ।

प्राथमिक शिक्षक संघ, बलिया द्वारा क्रमिक अनशन

*२---श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

क्या शिक्षा मंत्री को बेसिक अध्यापक संघ, बलिया के अध्यक्ष द्वारा अध्यापकों की मांगों के सम्बन्ध में बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बलिया के बरामदे में हो रहे क्रमिक अनशन की सूचना अभी हाल ही में मिली है ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और उस सम्बन्ध में अविलम्ब क्या कार्यवाही शासन द्वारा की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी---

जी हां । प्राथमिक शिक्षक संघ, बलिया ने अपनी २४ सूत्रीय मांगों (प्रतिलिपि संलग्न) को लेकर १-३-७५ से १६-३-७५ तक क्रमिक अनशन किया था। शिक्षक संघ की प्रदेशीय तथा स्थानीय मांगों पर अभी विचार किया जा रहा है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७५१-७५२ पर ।)

श्री काशीनाथ मिश्र---

इन मांगों की सूची आपके पास होगी और इनमें ९ वीं मांग यह है कि बलिया के अध्यापकों का परिषद् कालीन बकाया तथा वर्तमान विभिन्न बकाये एवं वेतन वृद्धि के फलस्वरूप ९० लाख रुपये का भुगतान किया जाय और जो अन्य मांग हैं वे सब ऐसी हैं जो नीति से सम्बन्धित नहीं हैं इनको मान लेने में क्या आपत्ति है ? केवल एक ही मांग ऐसी है जो नीति से सम्बन्धित है जिसमें यह मांग की गयी है कि उनको वही सुविधा दी जाय जो राजकीय

अध्यापकों की दी जाती है ? शेष मांगें सामान्य मांगें हैं उनको मान लेने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

श्री अम्मार रिजवी---

माननीय सदस्य के प्रश्न को दो हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो वे मांगें हैं जो राज्य सरकार से सम्बन्धित हैं और दूसरी स्थानीय मांगें हैं। जहां तक स्थानीय मांगों का सम्बन्ध है इसमें वहां के स्थानीय अधिकारियों तथा शिक्षकों के बीच समझौता हो गया है और उनमें से बहुत सी मांगें मान ली गयी हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र---

स्थानीय कोई मांग नहीं हैं। ये मांगें जो हैं वे भ्रष्ट शासन की अक्षमता की द्योतक हैं। जो जिला बेसिक अधिकारी का कार्यालय है वह अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहा है। यह तो उनकी जिम्मेदारी है। यह कम्पीटेन्सी का सवाल है। आपका बेसिक शिक्षा अधिकारी इन्कम्पीटेन्ट हो गया है और वह अपने कार्य का सुचारुरूप से निर्वहन नहीं कर रहा है उसके लिये शासन ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री अम्मार रिजवी---

इन तमाम बातों पर विचार किया जा रहा है कि यह किसका उत्तरदायित्व है, क्यों यह चीज हुई है ? यदि मुलजिम पकड़ा जाता है तो जरूर सजा दी जायेगी।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

प्रमुख मांगे क्या-क्या थीं ? यह ९० लाख रुपये का मामला है.....

श्री अध्यक्ष---

यह तो लम्बी लिस्ट है.....

श्री काशीनाथ मिश्र---

इसके खिलाफ वहां पर प्रदर्शन हुआ।

श्री अध्यक्ष---

आप क्यों बीच में उठे, माननीय त्रिवेणी सहाय खड़े थे।

श्री त्रिवेणी सहाय---

मान्यवर, मैं जानना चाहूंगा कि जो प्रमुख मांगे थीं, वह क्या-क्या थीं और उनमें से किन-किन मांगों को मानने के लिये आप तैयार हैं ?

श्री अम्मार रिजवी---

श्रीमन, इस में जो राज्य स्तर की मांगे हैं, उन्हें पढ़ देता हूं। वे इस प्रकार हैं---

(१) बेसिक शिक्षा परिषद् में कार्यरत अध्यापकों को राज कर्मचारी घोषित किया जाय एवं उन्हें सरकारी कर्मचारी की सभी सुविधायें दी जायं।

(२) प्राथमिक शिक्षा को किसी भी निकाय के अन्तर्गत सम्मिलित न किया जाय।

(३) प्राथमिक अध्यापकों के वेतन बढ़ोत्तरी बकाया धनराशि के भुगतान के रोकने का आदेश तत्काल रद्द किया जाय एवं सम्बन्धित एरियर का भुगतान किया जाय।

(४) बेसिक शिक्षा परिषद् में कार्यरत पांच वर्ष के अनुभव वाले प्रत्येक अध्यापक, अध्यापिकाओं के प्रत्येक प्रकार के परीक्षा प्रशिक्षण से मुक्त करके उन्हें प्रशिक्षित स्वीकार किया जाय और सम्बन्धित प्रत्येक सुविधायें उन्हें दी जायं ।

(५) प्राथमिक अध्यापकों की आर्थिक दशा को देखते हुये उन्हें विभिन्न प्रकार क राजकीय ऋण देने की व्यवस्था की जाय ।

(६) जिले के स्थानान्तरण समिति में प्राथमिक शिक्षा संघ के प्रतिनिधि को स्थायी सदस्य के रूप में रखा जाय ।

(७) शिक्षा विभाग के विभिन्न प्रशासनिक पदों पर निश्चित रूप से योग्य एवं अनुभव शील प्राथमिक अध्यापकों की पदोन्नति करके नियुक्ति की स्थायी व्यवस्था की जाय ।

इसके अतिरिक्त मान्यवर, कुछ स्थानीय मांगे उनके जिले से सम्बन्धित हैं, वे इस प्रकार हैं—एक तो यह है कि जिले के प्रशिक्षित अध्यापकों को दीक्षित वेतन क्रम दिया जाय। इसमें २९३ अध्यापक थे जिनको ट्रेन्ड होते हुये भी अनट्रेन्ड की पे पा रहे थे उनको फौरन ही यह दिया जाये.....

श्री त्रिवेणी सहाय—

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अम्मार रिजवी—

बलिया के प्राथमिक अध्यापकों का परिषद् कालीन बकाया तथा वर्तमान विभिन्न व्यक्तिगत बकाया एवं वेतन बढ़ोत्तरी एरियर जो करीब ९० लाख रुपया है, का भुगतान किया जाय.....

श्री त्रिवेणी सहाय—

मान्यवर, ९० लाख रुपये का मामला है कि इतना रुपया बलिया जिले में बकाया है । क्या माननीय मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि शीघ्रातिशीघ्र उन्हें यह मिल सके ? यह ९० लाख रुपया क्यों बकाया है ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, परिषद् कालीन बकाये के रूप में १६,७०० रु० था जिसकी मांग शासन से की गई है । धन प्राप्त होते ही भुगतान कर दिया जायेगा । जो टोटल १–८–७२ से फरवरी, ७४ तक के एरियर की मांग है वह विभाग को भेजी जा चुकी है । लेकिन जो कुल बचा है वह १६,७०० रु० है ।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि वहां पर घेराव के दौरान जोकि संघर्ष समिति के सदस्यों ने किया था उसमें वह फाइल को उठा ले गये । तो क्या यह बात सही है ? अगर सही है तो फिर बकाये का भुगतान कैसे होगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

मेरे पास मान्यवर, इसकी सूचना नहीं है ।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)---

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इनकी २४ मांगों में से कितनी ऐसी हैं जिनका निस्तारण बेसिक शिक्षा अधिकारी कर सकता है और कितनी ऐसी हैं जो कि ऊपर से की जा सकती हैं।

श्री अध्यक्ष---

यह वह कैसे बतायेंगे।

श्री काशी नाथ मिश्र---

मान्यवर, ९० लाख रुपया हमारे गरीब जिला बलिया के अध्यापकों का बकाया है और आये दिन वहां पर धेराव भी हो रहे हैं, जुलूस निकलते हैं और जयप्रकाश नारायण के जो समर्थक हैं उन्होंने यह इश्यू ले रखा है। तो क्या मंत्री जी इसका जल्दी से जल्दी भुगतान कर देंगे और वहां पर जो भ्रष्ट अधिकारी कार्यालय में बैठे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी---

मान्यवर, इसमें भुगतान जितनी जल्दी हो सकेगा कराया जायेगा। जहां तक दंड देने की बात है अगर कोई अपराधी होगा तो उसे दंडित किया जायेगा।

टंडवा लिफ्ट कैनाल तथा भैसा लिफ्ट कैनाल, जौनपुर मे पाइप पर व्यय

*३---श्री ऊदल---

क्या सिचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टंडवा लिफ्ट कैनाल तथा भैसा लिफ्ट कैनाल, जौनपुर में क्रमशः ४० पाइप चालीस इंच के तथा चालीस पाइप तीस इंच के दो-तीन वर्ष से वहां पड़े हुए हैं और मैसा को बैटा दी गयी है ? यदि हां, तो इन पाइपों को खरीदने में तथा लिफ्ट कैनाल तक लाने एवं उन्हे फिट करने में कितना रुपया खर्च किया गया है और बिला आवश्यकता के ऐसा करने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी जब कि भैसा में दो पाइप पन्द्रह इंच के तथा टंडवा में एक बड़ा पाइप तीस इच का चल रहा है ? इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का तारीख ७ अक्तूबर, १९७४ का सिचाई मंत्री को पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुयी ?

श्री राज मंगल पाण्डेय---

प्रथम भाग---

टण्डवा लिफ्ट कैनाल पर ४० इंच नाप की कोई पाइप नहीं है। भैसा लिफ्ट कैनाल पर ३० इंच नाप की लगभग ८५० फीट स्टील पाइप थी जो लगा दी गई है।

द्वितीय भाग---

भैसा लिफ्ट कैनाल पर ३० इंच नाप की लगभग ८५० फीट स्टील पाइप खरीदने पर १,१२,२०० रु० खर्च हुए और इन्हें पम्प नहर तक लाने व फिट कराने में २१,८७८ रु० खर्च हुए।

टण्डवा लिफ्ट कैनाल पर ३६ इंच नाप की लगभग ५०० फीट स्टील पाइप ली गई। इसे खरीदने पर ७०,००० रु० और लिफ्ट नहर तक लाने में १,३०० रु० खर्च हुए।

भैसा में १५ इंच की और टण्डवा में ३० इंच की कोई पाइप नहीं चल रही है।

तृतीय भाग--

प्रश्नकर्ता का ७ अक्तूबर, ७४ का पत्र प्राप्त हुआ है और उसका उत्तर भी उनको ५ अप्रैल, १९७५ को दिया जा चुका है।

श्री ऊदल--

मान्यवर, आपने इस सवाल को स्थगित किया था। मान्यवर, मंत्री जी ने उत्तर में कहा है भैसा में १५ इंच की और टण्डवा में ३० इंच की कोई पाइप नहीं चल रही है। जो पाइप खरीदे गये हैं वे वैसे ही बिना काम के रखे हुए हैं जो उत्तर माननीय मंत्री जी का मुझे मिला है ५अप्रेल का उसको मैं पढ़ रहा हूं इसमें कहा है-भैसा पम्प नहर १८ इंच व्यास की पाइप दो कतार में लगी हुई है न कि १५ इंच व्यास की। तो हम कोई वहां फीता लेकर तो नापने नहीं गये थे इसमें नोचे यह भी लिखा हुआ है कि १८ इंच व्यास की पाइप को ३० इंची व्यास मे बदलना है। तो यही तो मेरा चार्ज है।

दूसरा आप देखें मान्यवर, कि मंत्री जी को उनके विभाग वाले गुमराह करते हैं। वहां पर करीब २ लाख और ढाई लाख की पाइप खरीद कर पड़ी हुई है जो बरबाद हो रही है। तो जिस अधिकारी ने इसे खरीदा है और रुपये का दुरुपयोग किया है उसके खिलाफ अभी तक आपने कोई कार्यवाही की है या नहीं ?

श्री राजमंगल पाण्डेय--

माननोय ऊदल जैसे बुद्धिमान आदमी शायद मेरी बात को समझ नहीं पाये यह एवेलिबिलिटी का सवल हैं। जब पाइप ३० इंच के पहले ही मिल जाते तो हम पैसा उस पर खर्च करते वह नहीं मिले इसलिये यह करना पड़ा। काश्तकारों को सुविधा देनी थी पहले हमने १८ इंच के लगाये ज्यों-ज्यों मिलते गये हम त्यों-त्यों रिप्लेस करते जा रहे है।

श्री ऊदल--

रिप्लेस तो हुआ ही नहीं है। मैने अपनी आखों से देखा है तभी तो यह प्रश्न किया ऐसा नहीं है कि किसी ने कह दिया और मैंने प्रश्न कर दिया। यह वहां पर बेकार पड़े हुए हैं आप आज भी जांच कराना चाहे तो मैं तैयार हूं मौके पर चलने के लिये। बेकार पाइप वहां पर पड़ी हुई है अगर नहीं होगा तो आंप जो दण्ड देना चाहें मैं उसे भुगतने के लिये तैयार हूं। तो क्या आप इसकी जांच करायेंगे ?

श्री राजमंगल पाण्डेय--

मान्यवर, मेरे पास जो भी प्रमाण है, उसमें यह था कि दो कतारों में १८ इंच की पाइप पहले लगी थी जो १७०० फिट थी और ३० इंच पाइप एक कतार में लगाई गई है जो साढ़े आठ सौ फिट थी। ३० इंच का पाइप भी जहां था लग गया है और १८ इंच का पाइप जो हम रिप्लेस कर रहे हैं, उसको दूसरी जगह लगाने की बात है। यों यह जो माननीय सदस्य कह रहे है, उनके अनुसार इस वक्त जिस किसी को वह कहें, मैं भेज देने को तैयार हूं। क्योंकि हम इसको बरदाश्त नहीं करेंगे कि हमारे इस सदन में गलत सूचना दी जाए। इसलिये ऊदल जी लिखकर दें, हमें उनके साथ एक उच्च से उच्च अधिकारी को भेज देने में कोई आंपत्ति नहीं होगी।

श्री ऊदल--

इनके पत्र में ही लिखा है कि--इन पाइपों की फिटिंग २४ इंच व्यास की पाइप के स्थान पर उस समय की जाएगी जब टंडवा पंप नहर की क्षमता ५० क्युसेक्स से बढ़ कर १०० क्युसेक्स करने का कार्य पूर्ण होने को होगा। तो इससे स्पष्ट है कि जब तक यह क्षमता नहीं होगी, तब तक कोई प्रबन्ध नहीं करेंगे और बिजली सब स्टेशन की बात है। तो अब यह भविष्य में कब होगा, यह ढाई लाख रुपया क्यों बर्बाद किया गया है ?

श्री राजमंगल पाण्डेय--

यह मेरा कहना है कि यह ५० क्युसेक्स का डिस्चार्ज है और १०० क्युसेक्स का वह हमारा प्रोजेक्ट है। पाइप की कमी थी इसलिये ऐसा हुआ जो मुनासिब था वह हमने कराया है अब ज्यों-ज्यों पाइप उपलब्ध होते जाएंगे हम उन्हें लगाते जाएंगे।

श्री ऊदल--

हम जाने के लिये तैयार हैं।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

ठीक है, आप जाइये, किस अधिकारी के साथ ?

श्री ऊदल--

जिसको चाहे आप भेज द मैं चलने के लिये तैयार हूं।

जनपद, मथुरा, सादाबाद में राजकीय नलकूपों की कमी

*४--श्री राम प्रकाश यादव (जिला मथुरा) (अनुपस्थित)--

क्या सिचाई मंत्री बतायेंगे कि क्या यह सही है कि मथुरा जनपद के सादाबाद विधान सभाई क्षेत्र में आजादी के बाद अब तक खेतों की सिचाई हेतु केवल सात नलकूप लगाये गये है जो कि अपर्याप्त हैं ? यदि हां, तो इस क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुये क्षेत्र की भूमि को सिंचित बनाने के लिये क्या सरकार वहां शीघ्र और नलकूप को लगाने की व्यवस्था करेगी ?

सिचाई मंत्री (श्री मोहम्मद महमूद अली खां)--

मथुरा की सादाबाद तहसील में अब तक ७ राजकीय नलकूप बनाये गये हैं। सादाबाद तहसील में काफी रकबे की सिचाई की जरूरत है। इसके लिये यहां बाद छानबीन अन्वेषणात्मक बोरिंग प्रस्तावित है जिसकी रिपोर्ट के बाद हीऔर नलकूप बनाने के मामले पर गौर किया जा सकेगा क्योंकि मौजूदा नलकूपों का निकास अमूमन कम है।

जनपद सीतापुर के अन्तर्गत शारदा सहायक परियोजना में गबन

*५--श्री हरि केवल (जिला देवरिया)--

क्या सिचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में चल रही शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत जनपद सीतापुर के बिसवां तहसील में ६४ कि० मी०से ७८ कि०मीटर तक अन्य जगह पर नहर निर्माण कार्य में अधिकारीगण एवं ठेकेदारों के दल ने बिना कार्य तथा अन्य प्रकार से लगभग ८० लाख रुपया से अधिक हड़प लिया है ? जिसकी ओर जन-प्रतिनिधि एवं ग्रामीणों ने कुछ मास पूर्व पत्र लिख कर सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है ? यदि हां, तो अब तक कौन सी कार्यवाही की गई है ?

श्री राज मंगल पाण्डेय--

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री हरिकेवल--

श्रीमन्, यह सवाल हमने फरवरी में इसी सदन में कार्य-स्थगन के रूप में किया था और इस बात को लाया था कि वहां ८० लाख रुपये का गोलमाल हुआ है, जिसमें पकड़ भी हुई। मंत्री जी यहां मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हम तीन अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में सारे रिकार्ड को तोड़ने का काम किया जा रहा था। आपने कहा इसपर अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर लिया जाए। वह प्रश्न आया और अब प्रश्न किया तो सूचना मिली कि सूचना एकत्र की जा रही है। इसमें ८० लाख रुपया खर्च कर दिया जायगा और उन अधिकारियों को बचा देने के बाद यह काम पूरा होगा, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सूचना कब तक एकत्र हो जाएगी ?

श्री राजमंगल पाण्डेय--

माननीय सदस्य के ही कथनानुसार इसमें बहुत से ठेकेदार, बहुत से इंजीनियर सम्बद्ध हैं और कई किलोमीटर नहर के निर्माण के बारे में यह है, तो इससे सम्बन्धित बहुत लोग होंगे। इसलिये इसकी सूचना एकत्र करने में भी देर लगेगी। लेकिन जितना सम्भव होगा हम जल्दी करेंगे ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

सिंचाई विभाग के बारे में अमूमन भ्रष्टाचार और घपलेबाजी की शिकायत आती रहती है और जो समाचारपत्रों में छपा है, उससे मालूम होता है कि करोड़ों रुपयों का इसमें घोटाला है, किन्तु सिंचाई योजनाओं को चलाए बिना उत्तर प्रदेश का उद्धार भी नहीं हो सकता है। इसलिए मैं इस सम्बन्ध में जानना चाहता हूं कि आप टाइम-बाउन्ड प्रोग्राम, जो योजना में रहता है उसको अहमियत देते हुए जो भी बड़ा से बड़ा इंजीनियर निर्धारित समय के अन्दर कार्य न करे उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने के लिये तैयार हैं जिससे प्रदेश में सिंचाई योजना ठीक तरह से चल सकें ?

श्री राज मंगल पाण्डेय--

मान्यवर, काशीनाथ मिश्र जैसा आदमी ऐसी बात कहते है तो बड़ा आश्चर्य होता है। कोई भी योजना कई सालों के लिये बनती है और इंसटालमेंट्स में पैसा देते हैं। एक इंसटालमेंट के बाद जब दूसरा इंसटालमेंट देते हैं तो कास्ट बढ़ जाती है। मैं निवेदन करूंगा कि अगर हमारे यहां मिनिस्ट्री का एक्सटेंशन हो तो यह विभाग उनको दे दिया जाय और तब उनसे यह प्रश्न पूछे जायं तो उनको असलियत का पता चलेगा। वह हमारी परेशानियों को समझने की कोशिश करेंगे तो उनका इरादा साफ हो जायेगा। यह दिक्कत होती है। कभी कास्ट बढ़ जाती है और समय बढ़ जाता है तो भ्रष्टाचार को रोकने का भी प्रबंध नहीं कर पाते हैं ।

श्री हरिकेवल--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से कहूंगा कि जो आरोप लगाये गये हैं उनसे संबंधित कागजात को सील करने का काम क्या वह करेंगे और किस तारीख तक सूचना आ जायेगी ?

श्री राजमंगल पांडेय--

मान्यवर, मुझे यह पता है कि कुछ रिकार्ड पकड़ा गया है। अगर माननीय सदस्य मुझे बता देंगे तो तत्काल कार्यवाही करके सील कर देंगे ।

*६--श्री दशरथ सिंह तथा श्री श्रीनारायण--

[८वें गुरूवार में तारांकित प्रश्न संख्या २ पर स्थानान्तरित ।]

गोकुल पर जिला बुलन्दशहर में नई नहर योजना

*७--श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोकुलपुर, परगना-डिवाई, तहसील अनूपशहर, जिला बुलन्दशहर में एक नई नहर निकालने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसमें कितने कृषक प्रभावित हो रहे हैं और वह योजना क्या है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*८—श्री हरिकेवल तथा श्री जमुना प्रसाद बोस—

[विस्तीर्ण होने के कारण निरस्त ।]

विकास खंड सिरसिया, जिला बहराइच में अध्यापिका की नियुक्ति

*९—श्री कमला प्रसाद वर्मा (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जिले के विकास खंड सिरसिया में कन्या प्राइमरी पाठशाला, सिरसिया में वर्षों से कोई भी अध्यापिका की नियुक्ति नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

बहराइच जनपद के विकास खंड सिरसिया के मुख्यालय पर जिला परिषदीय कोई कन्या प्राइमरी पाठशाला संचालित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विकास खण्ड संडीला, जिला हरदोई में टूटा पुल

*१०—श्री अंगने लाल (जिला हरदोई)—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जिला हरदोई, विकास खंड संडीला की अरसलिया ड्रेन का पुल (ग्राम टिकरा से सूडा मार्ग का) कितने वर्षों से टूटा पड़ा है जिसके कारण जनता को बड़ी असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो इस पुल को कब तक बनवा दिया जायेगा ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

जी हां । सन् १९७१ की बाढ़ में इस पुल को नुकसान हुआ था ।

पुल की मरम्मत का काम धन उपलब्ध होने पर किया जा सकेगा ।

श्री अंगने लाल—

मान्यवर, यह १९७२ से टूटी पड़ी है और थोड़े से धन की आवश्यकता है तो क्या मंत्री जी धन एकत्रित करके इसको बनवाने की कृपा करेंगे ।

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मान्यवर, मेरी सूचना यह है कि जिस समय इत्तिला आई उस समय ७ हजार के व्यय का अनुमान था । इसके पीछे धन का प्रश्न नहीं है बल्कि सैंक्शन का है और कभी-कभी बिना सैंक्शन के काम रुक जाते हैं । मैं कोशिश करूंगा कि धन उपब्लध हो सके तो इस काम को कराया जा सके ।

गन्डक नहर की दो प्रमुख शाखाओं के टूटने से रबी की फसल की क्षति तथा गंडक प्रोजेक्ट कमिश्नर द्वारा जांच

*११—श्री पुरुषोत्तम कौशिक, श्री कृपा शंकर आर्य तथा श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ७ दिसम्बर, १९७४ से ७ जनवरी, १९७५ तक देवरिया जनपद में गन्डक नहर की दो प्रमुख शाखाओं खजुरिया तथा चीफ ब्रांच में रसूलपुर माइनर, कल्याण, छापर माइनर, नौगांवा माइनर, भठिया माइनर, बदरौना माइनर, सांडी माइनर, परसोनी माइनर, मिश्रौली माइनर, बहादुरपुर राजबहा के टूट जाने से किसानों की हजारों एकड़ रबी की फसल नष्ट हो गयी हैं है ? यदि हां, तो कुल क्षति कितनी हुई है ?

श्री राज मंगल पाण्डेय--

गंडक नहर के रबी १३८२ फसली में सिचाई के लिये चलाई गयी रसूलपुर माइनर, कल्याण रजवाहा एवं साड़ी माइनर से सिंचित क्षेत्र में कुल २९.४४ में फसल एकड़ को नुकसान पहुंचा है। नौगांवा माइनर, भठिया शाखा बदरौना माइनर, परसौनी माइनर, मिश्रौली माइनर एवं बहादुर पुर रजबहा से फसलों को नुकसान नहीं हुआ है।

*१२--श्री पुरूषोत्तम कौशिक, श्री कृपा शंकर आर्य तथा श्री बांके लाल--

क्या मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में गन्डक प्रोजेक्ट कमिश्नर ने कोई जांच भी की है ? यदि हां, तो जांच के परिणाम क्या है ? क्या गन्डक प्रोजेक्ट कमिश्नर ने किसानों को मुआवजा देने की भी संस्तुति शासन को दी है ?

श्री राज मंगल पाण्डेय--

गंडक परियोजना प्रशासक ने गंडक मुख्य नहर का मील ३३ से मील ५३ तक और भठिया शाखा का मुआवना किया था। मुआयने में सिर्फ ०.३३ एकड़ क्षेत्र में नुकशान पाया गया। गंडक परियोजना प्रशासक ने किसानों को मुआवजा देने के मुताल्लिक कोई सिफारिश शासन को नहीं दी है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि २९.४४ एकड़ में क्षति हुई है जब कि पिपरासी चौबे, टेंडवा, बेलिही शुक्ल, बढ़वालिया, हरैया, नादह, डुम्परयाद, साखे पार, बतरडेरा, प्रसदवां, बन्धु छपरा आदि गांवों के इस विस्तृत क्षेत्र में जल प्लावन हो गया और हजारो एकड़ फसल नष्ट हो गयी। श्री वाई० एन० गुप्त, सुपरिन्टेन्डेंट इंजीनियर और जनुल आबदीन साहब गंडक योजना के प्रशासक वहां गये और दो बार गये, उन्होंने पडरौना विकास खंड के सरपंच, जन प्रतिनिधियों की मीटिंग बुलाई। वहां पर सारी आपत्तियां किसानों की मौजूद हैं। क्या माननीय मंत्री जी वहां के सारे कागजात यहां पर मंगवाने का कष्ट करेंगे ?

श्री राज मंगल पाण्डेय--

मान्यवर, यह सही बात है कि कुछ नहरों की शिकायत की गई थी। उसमें कहीं-कहीं पर कहा जाता है कि नुकसान बहुत कम हुआ है। वहां पर सिंचाई हुई है जिससे वहां के लोगों को काफी राहत हुई है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

मान्यवर, जब गूल का पूरा निर्माण ही नहीं हो पाया था तो सिंचाई का तरीका क्या था ? वहां पर सिंचाई की क्या व्यवस्था है ? माननीय लारी साहब मौजूद हैं, इन्होंने स्वयं देखा था, एक एडिशनल चीफ इंजीनियर भी गये थे, वहां पर किसानों को अहम विपत्ति का सामना करना पड़ा है। उनकी लाखों-लांख की फसल बरबाद हो गई है। वहां पर तमाम अधिकारी उपस्थित थे, वहां पर भीषण विप्लव हुआ है। वहां पर इस प्रकार का घोटाला हुआ है कि पानी बहा कर हजारों की फसल नष्ट कर दी गई हैऔर उलटे उन्हीं से चार्ज किया जा रहा है। यह तो वही कहावत हुई जैसे किसी का घर जला दिया जाय और यह कहा जाय कि घर जला दिया गया, अब उसका मुआवजा दो। क्या मान्यवर, वहां पर कोई टेक्निशियन नियुक्त करके इस बात की जांच करायेंगे कि वहां पर कितनी-कितनी फसल का नुकसान हुआ है और नुकसान के अनुसार उन किसानों को मुआवजा दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री राज मंगल पाण्डेय--

मान्यवर, ये तो खुद ही टेक्निशियन हैं। जांच के बाद यह बताया गया कि वहां पर कुछ नुकसान हुआ है और उस नुकसान का मुआवजा देने के लिये कहा गया था।

श्री अलक्षेन्द्र इन्टर कालेज, मिनगा, बहराइच के प्राचार्य एवं मैनेजिंग कमेटी के खिलाफ क्रमिक अनशन

*१३--श्री कमला प्रसाद वर्मा (अनुपस्थित)--

क्या सरकार को यह जानकारी है कि श्री अलक्षेन्द्र इन्टर कालेज, मिनगा, बहराइच के प्राचार्य एवं मैनेजिंग कमेटी के खिलाफ जनवरी, १९७५ से २० फरवरी, १९७५ तक के बीच क्रमिक तथा आमरण अनशन किया ? यदि हां, तो उनकी प्रमुख मांगें क्या थीं और अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां, प्रमुख मांगों एवं कृत कार्यवाही का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ. ७५३ पर ।)

जिला गोरखपुर के अध्यापकों का बकाया वेतन

*१४--श्री लक्ष्मी नरायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे जवाहरलाल जूनियर हाई स्कूल, बरगाहपुर, लेहड़ा, जिला गोरखपुर के अध्यापकों का वेतन पिछले कई महीनों से बकाया होने के कारण २६-८-७४ को अध्यापकों ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर तथा शासन को इस विषय में आवेदन दिये हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुयी और अध्यापकों को वेतन अभी तक मिला या नहीं ?

श्री अम्मार रिजवी--

दिनांक २६ अगस्त, १९७४ का आवेदन पत्र शासन में प्राप्त नहीं हुआ है । मामले में शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से आवश्यक आख्या मांगी गई है ।

श्री लक्ष्मी नरायण पांडेय--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि २६-८-७४ को ये विद्यालय के अध्यापकों ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को दरख्वास्त दिया। २७-८-७४ को डी० डी० आर० और डायरेक्टर को दिया था। २८-८-७४ को शिक्षा मंत्री को भी दिया था। ये लेटर्स रजिस्ट्री से भेजे गये हैं। उसके बाद यह कहा जाता है कि शासन के पास यह दरख्वास्त नहीं है। तो मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम यह बता दें कि ये अध्यापक जो लगभग दो साल से तनख्वाह नहीं पा रहे हैं, उन अध्यापकों को कब तक तनख्वाह दिलाने की व्यवस्था करा दी जायेगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जिन अध्यापकों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, उनको शीघ्र तनख्वाह दिलाने की व्यवस्था की जा रही है ।

श्री लक्ष्मी नरायण पाडेय--

शिक्षा निदेशक ने हमको इसके जवाब में जो २८-८-७४ को दिया है उसमें लिखा है कि वेतन दिलाने की व्यवस्था की जा रही है और अब आप कहते हैं कि डाइरेक्टर से आख्या मांगी जा रही है। दो व्यक्ति हैं जो इस स्कूल को चला रहे हैं, लेकिन स्कूल की कोई स्थिति नहीं है। वहां पर लड़के रह नहीं गये हैं और अध्यापक भी नहीं रह गये हैं। टेम्पोरेरी रिकगनिशन मिला था और यह सब होने के बावजूद भी उनको परमानेन्ट रिकगनिशन दे दी गयी है। वे लोग उस स्कूल को गांव समाज की जमीन पर कायम किये हैं और उसी के नाम से वह गांव समाज की भूमि को कब्जे किए हुये हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इन बातों की जांच करें तथा जिन अध्यापकों ने वहां पर कार्य किया है उनको वेतन दिलाने की शीघ्र व्यवस्था करें ।

श्री अम्मार रिजवी---

मैं माननीय सदस्य का बहुत आभारी हूं जिन्होंने ये सारे तथ्य सामने रखे। जहां तक इन तमाम चीजों का सम्बन्ध है सब पूरी सूचना आ जायगी तो उन तथ्यों को रख सकूंगा और जहां तक अध्यापकों के वेतन का प्रश्न है जितनी जल्दी हो सकेगा उनको वेतन दिलाया जायेगा।

जनता इण्टर कालेज, अहरौला में प्रधानाचार्य की अनियमित नियुक्ति

*१५---श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)---

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनता इन्टर कालेज, अहरौला, जिला आजमगढ़ में प्रधानाचार्य की अनियमित नियुक्ति तथा सरकार द्वारा प्रबन्ध समिति को मान्यता देने के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र ११-१-७५ से २०-१-७५ के बीच रजिस्टर्ड डाक द्वारा मिला? यदि हां, तो मुख्य शिकायतें क्या हैं तथा उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री अम्मार रिजवी---

जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ को श्री जगदम्बा प्रसाद पाठक का एक शिकायती पत्र दिनांक ९-१-७५ को प्राप्त हुआ जिसमें मुख्य शिकायत श्री सुधाकर लाल, प्रधानाचार्य को केन्द्र व्यवस्थापक न बनाये जाने तथा किसी अन्य प्रवक्ता को केन्द्र व्यवस्थापक बनाये जाने के सम्बन्ध में है।

जिला विद्यालय निरीक्षक ने इस सम्बन्ध में समुचित विचारोपरान्त श्री सुधाकर लाल को केन्द्र व्यवस्थापक के पद से हटाना उचित नहीं समझा।

श्री सत्य प्रकाश---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे जांच-पत्र मिला है उसकी जांच किसने की?

श्री अम्मार रिजवी---

जिला विद्यालय निरीक्षक ने की।

श्री सत्य प्रकाश---

यह मामला जिला विद्यालय निरीक्षक की जांच का नहीं है। क्या माननीय मंत्री जी उसकी जांच उप निदेशक या किसी उच्च अधिकारी से कराने की कृपा करेंगे?

श्री अम्मार रिजवी---

माननीय सदस्य चाहते है तो इसकी जांच करा ली जायेगी।

जिला बरेली में कृषकों पर फर्जी आबपाशी

*१६---श्री राम मूर्ति (जिला बरेली) (अनुपस्थित)---

क्या सिंचाई मंत्री को पता है कि जिला बरेली में फरीदपुर ब्रांच नहर से जो बगेड़ा रजबहा निकला है उसमें गत तीन वर्ष से शिवपुरी विश्राम घर के आगे गांव करतोली, ताहरपुर अगरोली खेडारठ, महमूदपुर, बघेड़ा, भगवानपुर, शिकारपुर, विक्रमपुर, नौगवा तथा गीहापुर में एक बिस्वे तक सिंचाई नहीं हुयी है और न रजबहा की सफाई हुयी है परन्तु फिर भी अनेक कृषकों पर पतरौल और अमीनों ने फर्जी आबपाशी लिख दी जिससे स्थानीय जनता में घोर असन्तोष व रोष व्याप्त है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी तत्काल किसी अधिकारी से इसकी जांच करायेंगे और इन गांवों तक पानी भेजवाने की व्यवस्था तुरन्त करेंगे?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

जी नहीं। पिछले तीन वर्ष में ग्राम अंगरौली को छोड़कर अग्रिम में कुछ न कुछ सींच जरूर हुई है। इस अवधि में राजवहा की जरूरत के मुताबिक सफाई भी की गयी है। अमीन व पतरौलों द्वारा कोई फर्जी सींच नहीं लिखी गयी है। इन ग्रामों के क्षेत्र में जो नहर के टेल की तरफ है पानी कम मात्रा में पहुंचता है जिसको हल करने हेतु नलकूप द्वारा पानी देने की एक योजना जेरेगौर है।

विकास खंड खजुहा तथा अमौली फतेहपुर में सिंचाई

*१७--श्री प्रेमदत्त तथा श्री कृष्णदत्त (उर्फ बालराज) (जिला फतेहपुर)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खंड खजुहा तथा अमौली, जिला फतेहपुर के अन्तर्गत नहरों से कितना रकबा क्रमशः १ जून, ७४ से २८ फरवरी, ७५ तक सींचा गया और कितना रकबा उक्त नहरों के कमान्ड का ५ वर्ष से नहीं सींचा गया? और न सींचने का कारण क्या है?

श्री राज मंगल पाण्डेय--

जिला फतेहपुर के खजुहा तथा अमौली विकास खंडों में जून, ७४ से फरवरी, ७५ तक खरीफ में क्रमशः १००३४ तथा २८२२ एकड़ और रबी में क्रमशः १३५१५ तथा ६००१ एकड़ रकबे की सिंचाई हुई। पिछले ५ वर्ष में प्रस्तावित सिंचाई के रकबे में से खजुहा और अमौली विकास खंडों में क्रमशः औसतन १८०४ तथा ३१७८ एकड़ रकबे की सिंचाई नहीं हो सकी क्योंकि नहर के टेल पर पानी की कमी है।

श्री प्रेम दत्त--

जैसा कि आंकड़े मिले हैं, उनसे ऐसा मालूम होता है कि करीब ५ हजार एकड़ जमीन पर सिंचाई नहीं हो पा रही है। तो क्या सरकार उन क्षेत्रों को जो टेल एन्ड में हैं और सिंचाई नहीं हो पा रही है उनको कमान्ड एरिया से अलग करने की कृपा करेंगे तथा वहां पर कोई राजकीय नलकूप लगवाने की व्यवस्था करेंगे जिससे कि वहां पर सिंचाई की व्यवस्था हो सके?

श्री राज मंगल पाण्डेय--

हमें इसमें कोई एतराज नहीं है।

श्री जगदीश अवस्थी (जिला कानपुर)--

मान्यवर, व्यवस्था यह हो रही है कि जहां पर नहरें हैं, जहां पर पानी नहीं पहुंचता। अगर वहां पर राजकीय नलकूप लगाने के लिये कहा जाता है तो शासन यह कहता है कि चूंकि यह एरिया नहर के कमान्ड एरिया में पड़ता है, इसलिये वे ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उन्हें कौन सी दिक्कतें हैं, जिनके कारण वहां पर राजकीय नलकूप नहीं लगाये जा सकते हैं?

श्री राज मंगल पाडेय--

उसूलन मैं इस चीज को मानता हूं कि अगर नहरों का पानी नहीं पहुंच सकता तो हम उसे कमांड एरिया से निकाल कर अन्य साधन कराने का प्रयास करेंगे बशर्ते कि उन साधनों को उपलब्ध कराने में सरकार को कोई दिक्कत न हुई।

राष्ट्रीय विद्या मन्दिर इन्टर कालेज, अकबरपुर फर्रुखाबाद के सहायक अध्यापकों की बकाया पेंशन

*१८--श्री अनवार जमील (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के राष्ट्रीय विद्या मन्दिर इन्टर कालेज, अकबरपुर के सहायक अध्यापक जो कि ३० जून, १९७२ को रिटायर हो गये थे, को अभी तक पेंशन नहीं मिल सकी है और न उनके पेंशन कागज ही विद्यालय द्वारा अभी तक भेजे गये हैं ? यदि हां, तो सरकार इस विद्यालय के प्रबन्ध आदि के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अम्मार रिजवी--

बार बार लिखने के उपरान्त भी सम्बन्धित अध्यापक द्वारा शीघ्र प्रपत्र प्रस्तुत न करने तत्पश्चात् दिनांक १२-१०-७४ को पत्रजात अपूर्ण अवस्था में विद्यालय में प्रस्तुत करने के कारण अब तक पेन्शन स्वीकृत न हो सकी। विद्यालय द्वारा सम्बन्धित प्रपत्र पूर्ण किये जाने हेतु अध्यापक से पत्र व्यवहार चल रहा है। जिला विद्यालय निरीक्षक, फर्रुखाबाद द्वारा भी प्रबन्धक को शीघ्रता करने हेतु लिखा गया है।

श्री अनवार जमील--

मान्यवर, सरकार की ओर से जो इत्तिला दी गई है वह बिल्कुल गलत है। डिप्टी डायरेक्टर और प्रबन्धक महोदय, ये फिक्स नहीं कर रहे हैं। उसी की वजह से सम्बन्धित अध्यापक को पेंशन नहीं मिल रही है। क्या माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही करने के आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

जैसा कि उत्तर में निवेदन किया पूरे कागजात प्रस्तुत न होनेके कारण पेंशन स्वीकृत नहीं हो सकी। लेकिन पेंशन न मिलना उचित बात नहीं है। मैंने इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिए हैं कि जल्द से जल्द उनको पेंशन स्वीकृत करके मुझे बताया जाय ताकि मैं माननीय सदस्य को बता सकूं कि उनको पेंशन दी जा चुकी है।

उमा रमण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जामों, सुल्तानपुर में अनियमितताओं की जांच तथा नियन्त्रक की नियुक्ति

*१९--श्री त्रिवेणी सहाय--

क्या शिक्षा मंत्री को यह जानकारी है कि दिनांक २७ जनवरी, सन् १९७३ को शिक्षा निदेशक, लखनऊ में अपने पत्र संख्या (९) ११५७७/१४-५१-(४)-७२-७३, द्वारा उमा रमण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जामों, सुल्तानपुर के प्रबन्धक को विद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं के कारण इन्टरमीडिएट संशोधन अधिनियम की धारा १६-डी० (२) के अन्तर्गत कारण बताने की नोटिस दी ? यदि हां, तो इस नोटिस के द्वारा किन-किन अभियोगों के सम्बन्ध में जवाब मांगा गया ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां, शिक्षा निदेशक ने अपने पत्रांक सा० (१)/१२५७७-९/१४-५१(४)/७२-७३, दिनांक २६-१-७३ द्वारा कारण बताओं नोटिस दी थी। नोटिस उल्लिखित अभियोगों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७५४ पर।)

*२०—श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय में नियन्त्रक शीघ्र नियुक्त कर दिये जाने के आदेश राज्य सरकार ने दिये थे जिसके अनुसार जिलाधिकारी सुल्तानपुर ने एस० डी० एम०, मुसाफिरखाना का नाम भी भेज दिया ? यदि हां, तो नियन्त्रक वहां नियुक्त कर दिया गया? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं। अभी शासन ने कोई आदेश नहीं दिए हैं। साधिकार नियंत्रक की नियुक्ति का प्रकरण विभाग के विचाराधीन है।

श्री त्रिवेणी सहाय—

माध्यवर, प्रश्न पूछने के पूर्व मैं आपका ध्यान अभियोग संख्या ३, ४, ५ व ६ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अभियोग संख्या ३ में दिया हुआ है कि विद्यालय के छात्रों से वर्ष १९६९-७० में अनियमित शुल्क ५ रुपये से १० रुपये तक प्रति छात्र की दर से वसूल करना अभियोग ४ में दिया हुआ है विकास खंड की अधिकतर धनराशि काल्पनिक वाउचर लगा कर दुरुपयोग करना और अभियोग ५ में कहा गया है भवन मरम्मत के नामसे अनुपालन मद एवं विकास मद से अनेकों फर्जी वाउचर लगाये गये और सम्बन्धित धनराशियों का दुरुपयोग करना। अभियोग ६ में दिया हुआ है कि विद्यालय को ६ हजार रुपये का क्रीड़ा स्थल अनुदान प्राप्त हुआ, उस धन का पूर्णतया दुरुपयोग करना।

इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि इस कालेज में वहां की प्रबन्धक समिति ने अनियमितताएं की हैं। फर्जी वाउचर लगाना, अध्यापकों का पैसा लेकर खा जाना, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं। जो मनेजर को जमीन दान में दी गई थी, उसको भी सरकार को दिखाकर ६ हजार रुपये में फिर लेली। तो जब इस प्रकार के पर्याप्त सबूत है तो फिर वहां पर नियंत्रक को नियुक्त करने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

श्री अम्मार रिजवी—

मध्यवर, इस संस्था के खिलाफ शिकायती पत्र मिला था। उसी के बाद डी–२ जो कारण बताओं का नोटिस होता है वह दिया गया। उसका जवाब भी शासन को मिला। उसी के बाद एक पत्र शासन को प्राप्त हुआ जिसमें वहां के विद्यालयों के सम्बन्ध में कुछ और आरोप भी लगाये गये हैं। यह खत डी० आई० ओ० एस० ने श्री बिशम्भरनाथ को खुद दिया कि इसके ऊपर अपना स्पष्टीकरण करें। इसी में कुछ देर हुई। इसके अलावा पहले डी–२ और डी–३ की नोटिस एक में दी जाती थी। उसके बाद हाई कोर्ट ने फैसला लिया कि इन दोनों नोटिसेज को अलग-अलग होना चाहिये क्योंकि यह न्याय के नजरिये से ठीक नहीं है कि एक ही में कारण बताओ नोटिस और नियुक्ति, दोनों हों। इस फैसले के बाद पहली कारंवाई खत्म हुई। अब फिर डी–२ के अन्दर नोटिस दिया गया है ताकि जो तमाम इर्रेगुलरिटीज का पता चला है इनके खिलाफ कारंवाई की जा सके और साधिकार नियन्त्रक की नियुक्ति की जा सके।

श्री त्रिवेणी सहाय—

मुझे माननीय मंत्री जी पर दया आती है। इस कालेज के मैनेजर सत्ता पक्ष के एम० पी० हैं। २६–१–७३ को नोटिस दी गयी और आज दो साल हो गये हैं, साधिकार नियन्त्रक नियुक्त करने के यहां से आदेश गये, आदेश यहीं पड़े हैं माननीय रामजी लाल सहायक और माननीय अम्मार रिजवी साहब की टोकरी में। मेरा स्पष्ट चार्ज है कि उस स्कूल में बहुत गड़बड़ी हो रही है। तो क्या इस बात को देखते हुये कि अब गड़बड़ी न होने पाये आप तत्काल उस आदेश को, जिसमें डी० एम० से रिपोर्ट मांगी गयी थी और मुसाफिरखाना के एस० डी० एम० को नियुक्त कर के भेजा गया था निकलवायेंगे और गलत सूचना देने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

मैं सम्मानित सदस्य का बहुत आभारी हूं कि उन्हें मेरे ऊपर दया आयी। मुझे गालिब का एक शेर याद आता है कि :--

"हुये तुम दोस्त जिसके उसका दुश्मन आसमां क्यों हो।"

जहां तक मुसाफिरखाना के एस० डी० एम० का सवाल है, जिस वक्त डी-२ का नोटिस दिया जाता है यह एक फार्मल बात है कि उसी समय यह पूछा जाता है कि अगर सार्वधिकार नियन्त्रक की नियुक्ति हुई तो कौन सा अधिकारी चार्ज लेगा। कहीं पर शासन की तरफ से यह नहीं कहा गया है कि जो अनियमितताएं हैं वह नहीं हैं बल्कि पूरी तरह से उसकी इन्क्वायरी की गयी। साथ ही साथ डी-२ का नोटिस भी दिया गया है। मैं यह आश्वासन दिलाना चाहूंगा कि जो बात सच होगी चाहे कोई कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हो वह बीच में हायल नहीं हो सकेगा और कार्यवाही की जायगी।

श्री त्रिवेणी सहाय--

मंत्री जी जवाब यह देते हैं कि नियन्त्रक नियुक्त करने की बात विचाराधीन है। तो क्या माननीय मंत्री जी शीघ्रातिशीघ्र इस पर निर्णय ले लेंगे और वक्तव्य देंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

निर्णय तो शीघ्र लेंगे, वक्तव्य की बात आपके ऊपर है।

श्री त्रिवेणी सहाय--

श्रीमन्, आप देख रहे हैं कि रोज ८० लाख, ९० लाख का घाटा हो जाता है। इस सदन के माता पिता आप हैं। हम चाहते हैं कि सरकार ठीक से चले। तो आप अगर हमको संरक्षण नहीं देंगे....

श्री अध्यक्ष--

अब बैठें। अब तो होगया ?

श्री त्रिवेणी सहाय--

यह कबतक कर देंगे, इसका आश्वासन दे दें ?

श्री अम्मार रिजवी--

इस पर इलेक्शन लिया जायगा।

गोरखपुर के मान्यता प्राप्त हाई स्कूल व इन्टर कालेजों के अध्यापकों व गैर शिक्षक कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण

*२१--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री विश्राम (जिला आजमगढ़) तथा श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर)--

क्या शिक्षा मंत्री जांच कर बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के किन-किन मान्यता प्राप्त हाई स्कूलों व इन्टर कालेजों के अध्यापकों, गैर शिक्षक कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण गत ७ वर्ष की अवधि से नहीं हुआ है ? यदि हां तो विलम्ब के लिये कौन उत्तरदायी है तथा कब तक यह कार्य पूर्ण हो जायगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

वेतन निर्धारण केवल सहायता प्राप्त हाई स्कूलों एवं इन्टर कालेजों के ही अध्यापकों का किया जाता है। जनपद गोरखपुर के किसी भी सहायता प्राप्त हाईस्कूल व इन्टर कालेज के किसी भी अध्यापक अथवा गैर शिक्षक कर्मचारी का वेतन निर्धारण गत ७ वर्षों से लम्बित नहीं है। शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

श्री किरंगी प्रसाद विशारद---

जो सूचना आयी मंत्री जी के पास वह गलत आयी है। विष्णुपुरा में ही एक इन्टर कालिज है जो मान्यता प्राप्त है, वहां के टीचर्स का आज तक पे फिक्सेशन नहीं हुआ। डी० आई० ओ० एस० तथा आफिस और विद्यालय के बीच बराबर पत्र व्यवहार चलता रहा। तो क्या मंत्री जी संबंधित पत्रावली को मंगा कर इसे फिर से देखेंगे और फिर से जांच कराकर सही सूचना देंगे ?

श्री नसीर रिजवी---

पत्रावली मंगा लूंगा और जांच भी करा लूंगा। अगर गलत सूचना आयी है तो उसके लिये दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

लखनऊ खंड में अस्थायी कार्यरत नलकूप चालक

*२२---श्री वशीर सिंह (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)---

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप विभाग, लखनऊ खण्ड में कार्यरत नलकूप चालकों को अभी तक स्थाई न किये जाने का कारण क्या है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां---

नलकूप विभाग लखनऊ खण्ड के नलकूप चालकों को स्थायी न किए जाने के कारण संलग्न सूची में दिए गए हैं।

(देखिय नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७५५ पर।)

अधिशासी अभियन्ता बलिया श्री पी०पी० एन० सिंह द्वारा कल-पुर्जों की खरीद

*२३---श्री काशीनाथ मिश्र---

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता (श्री पी० पी० एन० सिंह) नलकूप प्रखण्ड बलिया जो आजकल निलम्बित है; ने अपने कार्यकाल के दौरान कितने रुपयों के कल-पुर्जों की खरीद और दफ्तरों के लिये साज-सज्जा की खरीद किन-किन फर्मों या व्यक्तियों से की और किस आधार पर की ?

श्री राज मंगल पाण्डेय---

सूचना मंगायी जा रही है।

श्री काशीनाथ मिश्र---

अध्यक्ष जी इस प्रश्न को आप देखें। सारे कागजात दफ्तर में मौजूद हैं। खाली उनकी जीप पर मरम्मत के नाम से ८० हजार रुपये खर्च किये गये हैं। एक ऐसे व्यक्ति से जो बलिया का है और जिसका कोई ठिकाना नहीं है उससे एक लाख रुपये के पुर्जों आदि की खरीद की गयी है। इसी सब कारण से अधिशासी अभियन्ता निलम्बित भी हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस देरी का कारण क्या है, सूचना क्यों नहीं आयी।

(व्यवधान)

श्री राज मंगल पाण्डेय---

मान्यवर, उसमें हजारों ट्रान्जैक्शन हुये होंगे, निलम्बन तो एक आदमी की रिपोर्ट पर भी हो सकता है। ८० हजार के तो कल पुर्जे आप ही बता रहे हैं कि खरीदे हैं, और न जाने कितने फर्जी वाउचर्स वगैरह हो सकते हैं। तो सारी सूचना एकत्र करने में समय चाहिये।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

क्या यह अभिशासी अभियन्ता निलम्बित है, यदि हां तो उनके खिलाफ क्या चार्जेज हैं जिनके आधार पर निलम्बन किया गया ?

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, सारे रिकार्डस् वगरह तो वहां हैं, जो सूचना मांगी गयी थी, प्रश्न में वह मगायी जा रही है, वह अभी उपलब्ध नहीं है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या वे निलम्बित हैं और निलम्बन क्यों किया गया ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

निलम्बित हैं । मैंने कहा कि अन्य सूचना मंगायी जा रही है । अभी मेरे पास नहीं है । हजारों आइटम्स से संबंधित सूचना मंगाने में विलम्ब होगा ही ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

यह विस्तृत ब्योरा कब तक, सदन के रहते देने की कृपा करेंगे ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

कोशिश तो करूंगा, लेकिन निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता हूं ।

[२३ अप्रैल, १९७५ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न ।]

मैसहा ग्राम का पुल टूटने से कृषकों का यातायात का बन्द होना

*१—श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बहराइच जिले में प्रयागपुर स्थित बघेल ताल के निकाले गये नाले पर मैसहा ग्राम के पास बना पुल टूट गया है ? जिससे कृषकों का यातायात बन्द हो गया है ? यदि हां, तो यह पुल पुनः कब तक बन जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

जी हां, प्रश्न गत पुल कुछ टूट गया है । इससे लगभग २ फरलांग की दूरी पर इस ट्रेन पर बने दूसरे पुल से आमदरफ्त जारी है ।

धन मिलने पर पुल की मरम्मत कराना मुमकिन होगा ।

श्री बाबूलाल वर्मा—

मान्यवर, बहराइच जिले में बघेल ताल से पानी निकालने के लिये ही नाला बना था और मैसहा ग्राम के पास किसानों के खेतों में जाने के लिये ही एक लकड़ी का पुल बनाया गया था जो दो साल बाद ही टूट गया । इस तरह से नाले के दोनों किनारे कट गये हैं और पुल बीच में खड़ा है जिसकी मरम्मत में बहुत मामूली खर्चा है । मंत्री जी कहते हैं कि पैसा होगा तब उसे ठीक करायेंगे । थोड़ा सा ही खर्चा है, तो मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी उसकी जांच करायेंगे और फिर उस पुल की मरम्मत करा देंगे ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

माननीय सदस्य का यह कहना सही है कि इस पुल के टूट जाने से किसानों का काफी नुकसान है और उसी को ध्यान में रखते हुए इसका असेसमेंट कराया गया तो मालूम हुआ कि इसमें २० हजार का खर्च है। इसके लिये ७४–७५ के बजट में तो कुछ है नहीं, ७५–७६ के बजट में हम कोशिश करेंगे कि इसकी अहमियत को देखते हुए जो कुछ कर सकते हैं धन के उपलब्ध होने पर कर सकें।

*२—श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

[विस्तीर्ण होने के कारण निरस्त।]

*३—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री हरि केवल तथा श्री जमुना प्रसाद बोस—

[६वें बुधवार के लिये तारांकित प्रश्न संख्या ८ के अन्तर्गत उत्तरित।]

बघेल ताल जिला बहराइच से निकाले गये नाले की सफाई

*४—श्री बाबू लाल वर्मा—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बहराइच जिलान्तर्गत बघेल ताल से निकाला गया नाला टेढ़ी नदी में गिराया गया था जिसका मुहान टेढ़ी नदी के निकट पट गया जिससे विगत २ वर्षों से नाले का पानी नदी में न गिर कर क्षेत्र में फैल जाता है जिससे हजारों एकड़ भूमि कृषि भूमि जल मग्न हो जाती है और सारी फसल नष्ट हो जाती है? यदि हां, तो नाले की साफ कराने के लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

बघेल ताल से निकाला गया नाला टेढ़ी नदी में गिरता है। लेकिन यह सही नहीं है कि टेढ़ी नदी के पास इस नाले का मुंह पट गया है। टेढ़ी नदी बहुत उथली है व अधिक पानी आ जाने पर इस नाले का पानी खारिज नहीं हो पाता है और निचले इलाकों में रुक जाता है। सिर्फ नाले को साफ करने से कोई सुधार होना मुमकिन नहीं है। इसलिये इस समय नाले की सफाई का सवाल नहीं पैदा होता।

श्री बाबूलाल वर्मा—

केवल बघेल ताल से पानी निकालने के लिये ही यह नाला टेढ़ी नदी में गिराया गया था लेकिन उसका मुहान नदी के निकट पट जाने से पानी टेढ़ी नदी में न जाकर सारे क्षेत्र में फैल जाता है और नाले खोदने का कोई प्रयोजन हल नहीं हुआ। बरसात में नदी का पानी चारों तरफ फैल जाता है और किसानों की हजारों एकड़ जमीन उस पानी में डूब जाती है। तो क्या माननीय मंत्री जी उस नदी को गहरा करा कर सिल्ट निकलवाने की कृपा करेंगे जिससे किसानों की हजारों एकड़ जमीन की रक्षा हो सके?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

केवल फैन के ही टेढ़ी नदी में गिरने की बात नहीं है, जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वत: कहा है कि नदी में सिल्ट भर जाने की वहज से पानी रुकता है और वह काफी ऊंचा हो गया है इसलिये नदी के साफ कराने की जरूरत है। इसकी कोई स्कीम है जिसे हम डिपार्टमेंट के लोगों से दिखवा लेंगे और कोई रास्ता निकल सकता है तो उसे निकलाने की कोशिश करेंगे।

*५—श्री त्रिवेणी सहाय, श्री दशरथ सिंह, श्री रामपति तथा श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी—

[१९–३–७५ के तारांकित प्रश्न संख्या ३ के अन्तर्गत उत्तरित।]

*६—श्री रामपति—

[९–४–७५ के तारांकित प्रश्न संख्या ६ के अन्तर्गत उत्तरित।]

शिक्षा पुनर्व्यवस्था योजना में सी० टी० ग्रेड के अध्यापकों का प्रमोशन

*७—श्री जगदीश नरायन त्रिपाठी (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि शिक्षा पुनर्व्यवस्था योजना में कार्यरत सी० टी० ग्रेड के प्रसाराध्यापक जो १९५४ से कार्यरत है का अभी तक कोई प्रोमोशन नहीं हुआ जबकि उनमें से अनेक अवकाश ग्रहण करने वाले हैं और अनेक ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट भी हो चुके हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं।

अभी तक १२९ सी० टी० वेतन-क्रम के प्रसाराध्यापकों को एल० टी० वेतन-मान में प्रोन्नति दी ज चुकी है।

*८—श्री ऊदल—

[९वें बुधवार के लियेस्थगित।]

*९—श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

*१०—श्री राम रेखा यादव—

[१०वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या २७ पर स्थानान्तरित।]

बस्ती जिले में लुम्बनी मार्ग के पुलों के टूटने से यातायात में अवरोध

*११—श्री राम रेखा यादव (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जिले में बस्ती से लुम्बनी मार्ग पर के सभी लकड़ी के पुल (फजिहतवां, सूपा, सड्डाघाट का पुल तथा अन्य कई पुल) टूट जाने के कारण उपरोक्त मार्ग का यातायात अवरुद्ध हो गया है ? यदि हां, तो उपरोक्त मार्ग के पूलों का निर्माण कब तक हो जायेगा विलम्ब का कारण क्या है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री शिव प्रसाद सिंह)—

जी नहीं।

(१) फजिहतवा नाले के पुल की दशा ठीक है और उस पर यातायात चालू है।

(२) सूपा नाले के पुल का एक डेकिंग प्लैंक टूट जाने के कारण पुल पर से आवागमन न होकर बाईपास द्वारा यातायात तुरन्त चालू कर दिया गया था। टूटे भाग की मरम्मत हो गई है और दिनांक ३-१-१९७५ से यातायात पुल के ऊपर से पुनः चालू हो गया है।

(३) सड्डा नाले पर पक्के पुल का निर्माण कार्य स्वीकृत किया जा चुका है लेकिन धनाभाव के कारण कार्य आरम्भ नहीं किया जा सकता है। इस नाले पर लकड़ी का पुराना पुल बना हुआ है जिसके ऊपर से यातायात चालू है और यातायात में कोई अवरोध नहीं हुआ है।

इस मार्ग पर और कोई अन्य लकड़ी का पुल टूटा नहीं हुआ है।

*१२—श्री प्रेमदत्त—

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।)

रामपुर के अन्तर्गत सादाबाद सिरोंली बाया टांडा सड़क का निर्माण

*१३—श्री बंशीधर (जिला रामपुर) (अनुपस्थित) तथा श्री रघुबीर सिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला रामपुर के अन्तर्गत सादाबाद सिरौली (वाया टांडा) सड़क सन् १९७०-७१ के बजट में स्वीकृत हुयी थी ? यदि हां, तो अब तक इतने लम्बे समय के बाद भी इस सड़क का निर्माण क्यों पूरा नहीं हुआ और इसके पूरा होने की कब तक सम्भावना है ?

श्री शिव प्रसाद सिंह—

जी हां। इस मार्ग पर यथासम्भव कार्य किया गया है, परन्तु निम्नलिखित बाधाओं के कारण मार्ग का निर्माण अभी पूरा नहीं हो पाया है :—

(१) रामपुर व शाहाबाद के बीच में फेरी का पड़ना और पूरे वर्ष सीधा भारी वाहनों के लिये यातायात का साधन न होना।

(२) वित्तीय कठिनाइयों के कारण पर्याप्त अनुदान का न मिलना।

यदि पर्याप्त धन मिलता रहा तो दिसम्बर, १९७६ तक कार्य पूर्ण होने की सम्भावना है।

*१४—श्री बंशीधर तथा श्री रघुवीर सिंह (अनुपस्थित)—

क्या यह सत्य है कि उक्त सड़क के निर्माण के लिये सन् १९७३-७४ के बजट में ४ लाख रुपया स्वीकृत हुआ था ? क्या यह रुपया इसी सड़क के निर्माण में लगाया गया ? यदि नहीं, तो इस धन को दूसरी सड़क के निर्माण में लगाने का क्या कारण था ?

श्री शिव प्रसाद सिंह—

जी हां। यह पूरा धन इसी मार्ग के निर्माण में नहीं लगाया गया। इसका कारण यह था कि अगस्त, १९७३ में वित्तीय संकट के कारण यह आवश्यक हो गया था कि कार्यों पर व्यय विभाग को दिये गये अनुदान के अन्दर ही सीमित रखा जाय। चूंकि इस खंड के कुछ अन्य मार्गों पर अनुदान से अधिक व्यय हो चुका था और पूरे अनुदान से अधिक धन नहीं मिलना था अतः मार्गों पर कार्य की प्रगति धीमी करनी आवश्यक हो गई।

*१५—डाक्टर मलखान सिंह—

[९वें बुधवार के लिये स्थगित।]

प्राथमिक विद्यालयों से प्रमोशन पर आये हुए अध्यापकों का वेतन

*१६—श्री गोरे लाल शाक्य (जिला इटावा)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्तमान शिक्षा नियमों के अनुसार जो अध्यापक प्राथमिक विद्यालयों से जूनियर हाई स्कूलों में प्रमोशन पर आये हैं उनका वेतन क्रम प्राथमिक विद्यालयों की सर्विस न जोड़ कर केवल जूनियर हाई स्कूल सर्विस के आधार पर लगाया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

नोट:—तारांकित प्रश्न संख्या १६ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*१७--श्री पुरूषोत्तम कौशिक--

[९वें बुधवार के लिये स्थगित]

*१८-१९--श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा--

[९वें बुधवार के लिये स्थगित]

फैजाबाद के अकबरपुर शाहगंज रोड पर तमसा पुल की स्थिति जर्जर तथा मरम्मत की मांग

*२०--श्री प्रियदर्शी जेतली (जिला फैजाबाद)--

क्या सरकार को यह जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के अकबरपुर-शाहगंज रोड पर नगरपालिका अकबरपुर में स्थित तमसा पुल की स्थिति अत्यन्त जर्जर हो चुकी है जिससे आवागमन लगभग अवरुद्ध सा हो गया है और किसी भी समय भयंकर दुर्घटना हो सकती है ? यदि हां, तो सरकार क्या उसकी मरम्मत की व्यवस्था कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रसाद सिंह--

प्रश्नगत पुल की स्थिति कमजोर है । पुल के कमजोर होने की विज्ञप्ति जनता की जानकारी के लिये हिन्दी व अंग्रेजी समाचार पत्रों में भी दी जा चुकी है । पुल पर आवागमन अवरुद्ध नहीं है तथा पुल ३ टन घुरीय भार (खाली ट्रक अथवा बस) तक के वाहनों के लिये सुरक्षित है और वाहनों की गति पर नियंत्रण हेतु पुल के दोनों ओर गति अवरोधक लगा दिये गये हैं । यह समस्त कार्यवाही किसी अप्रिय दुर्घटना के रोकने हेतु की गई है ।

इस पुल के निरीक्षण उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के विशेषज्ञों द्वारा कराया जा रहा है तथा मरम्मत की व्यवस्था भी की जा रही है ।

हाई स्कूल एवं इन्टर कालेज के शिक्षकों के अवकाश प्राप्त आयु की सीमा

*२१--श्री प्रेम दत्त--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सामान्य वेतन भोगी हाई स्कूल एवं इन्टर कालेज के शिक्षकों की चाहे वह राजकीय विद्यालयों में हों अथवा प्राइवेट विद्यालयों में हो, की अवकाश प्राप्त आयु की सीमा एक है या अलग-अलग ? यदि अलग है,तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

सरकारी तथा गैर सरकारी हाई स्कूल तथा इन्टरमीडियेट कालेजों के अध्यापकों की अवकाश प्राप्त की आयु क्रमशः ५८ वर्ष तथा ६० वर्ष है । यह भिन्नता दोनों श्रेणी के अध्यापकों की सेवा शर्तों में भिन्नता के कारण है ।

*२२--श्री रघुनाथ--

[९वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

वाराणसी इलाहाबाद की सरहद पर बरना नदी पर पुल बनाने की स्कीम

*२३--श्री रामरति विन्द (जिला वाराणसी)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि वाराणसी--इलाहाबाद की सरहद पर दुर्गागंज जंघई रोड के बीच बरना नदी पर पुल बनाने की स्कीम सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह कब तक बन जायेगा ?

श्री शिव प्रसाद सिंह—

प्रश्न का प्रथम भाग :—

जी नहीं ।

प्रश्न का द्वितीय भाग :—

प्रश्न नहीं उठता ।

*२४—श्री मधुकर दिघे—

[९वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

*२५—श्री मधुकर दिघे—

[९वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

*२६—श्री लक्ष्मी नारायन पाण्डेय—

[१० वे शुक्रवार के लिये तारांकित प्रश्न संख्या २६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*२७—श्री लक्ष्मी नरायन पाण्डेय—

[९वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

*२८—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[९वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

*२९-३०—श्री छज्जू सिंह—

[१६-४-७५ को नियम ३८(२) के प्रश्न संख्या १९ पर उत्तरित ।]

*३१-३२—श्री राम प्रकाश त्रिपाठी—

[११वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ३६-३७ पर स्थानान्तरित ।]

*३३—श्री गोरे लाल शाक्य—

[९वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

*३४—श्री पुरुषोत्तम कौशिक तथा श्री गिरिजा शंकर पाठक—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

*३५—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

[९वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

*३६—श्री ओम प्रकाश—

[९वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

*३७—श्री रघुनाथ—

[९वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

*३८—श्री इन्द्र पाल सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

*३९—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

[९वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

जिला बस्ती तहसील बांसी में ट्यूबवेल से सिंचाई

*४०—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती तहसील बांसी ब्लाक बांसी में सोनारी, तिवारीपुर तथा मथुरापुर ग्रामों में लगभग एक हजार बीघा रबी की सिंचाई के लिये ग्राम सोनारी में सरकार ने कोई ट्यूबवेल बनवाया था जो दोषपूर्ण होने के कारण पानी नहीं दे रहा था और ७३–७४ में इन ग्रामों की उक्त रबी की सिंचाई हेतु ट्यूबवेल से जमीन के नीचे पाइप लाइन इन ग्रामों तक डलवायी गयी जिसमें लगभग दो लाख रुपया खर्च हुआ ? क्या यह सही है कि इस ट्यूबवेल से पानी पीने की आशा में उक्त ग्रामों के किसानों ने लगभग एक हजार बीघा इस वर्ष रबी बोया लेकिन वहां एक बूंद पानी नहीं पहुंच रहा है और हाहाकार मचा हुआ है ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

वर्ष १९५६ में नलकूप संख्या ११ बांसी समूह लगाया गया था इसका वर्तमान विकास ३२,४२१ गैलन प्रति घंटा है। पाइप लाइन डलवाने में अब तक कुल खर्च लगभग रु० ५०,००० हो चुका है। उक्त नलकूप के कमाण्ड में लगभग ३५० एकड़ रबी की बुआई हुई है। इसका वर्तमान कमान्ड ४०० एकड़ है। ज्यादा से ज्यादा रकबे में सिंचाई सहूलियत के वास्ते इस साल पाइप लाइन डाली गई थी जो जनवरी १९७५ में चालू हो गई है।

हरदोई जिले की शाहाबाद नगरपालिका के विद्यालयों के अध्यापकों को नवीन वेतन-क्रम

*४१—श्री दधीच सिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि हरदोई जिले की शाहाबाद नगरपालिका के विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक एवं गैर अध्यापक कर्मचारियों का नवीन वेतन मान मिलना प्रारम्भ हो गया है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब से देना प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां। नगरपालिका शाहाबाद के समस्त बेसिक शिक्षा परिषद् के शिक्षकों को १–८–७२ से अनुमन्य नवीन वेतनमान में वेतन दिया जा रहा है। इसी प्रकार गैर शिक्षक कर्मचारियों (प्रधान लिपिक तथा ५ सेविकाओं को छोड़कर) को भी नवीन वेतनमान में वेतन वितरित किया जा रहा है। प्रधान लिपिक तथा सेविकाओं का मामला अभी विचाराधीन है फिर भी सेविकाओं को १–१०–७४ से वेतनमान का निम्नतम रु० १६५.०० प्रतिमास दिया जा रहा है।

*४२—सरदार कुलतार सिंह—

[१६–४–७५ को वक्तव्य हो जाने के कारण निरस्त।]

सार्वजनिक निर्माण विभाग, रायबरेली में कर्मचारियों की छटनी

*४३—श्री दीनानाथ सेवक (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद रायबरेली में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों की हाल की छटनी में सेना के नाम पर जो छूट दी जा रही है उसमें सेना के शहीदों का परिवार भी सम्मिलित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रसाद सिंह--

जी नहीं ।

सेना के शहीदों के परिवारों के लिये छटंनी में छूट दिये जाने का कोई आदेश नहीं है ।

*४४--श्री अठई राम, श्री शातरूद्ध प्रकाश, श्री बांके लाल तथा श्री हर प्रताप सिंह--

[९वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

सिंचाई मंत्री के दामाद द्वारा जीप का अनियमित रूप से उपयोग करने की जांच

*४५--श्री इन्द्रपाल सिंह (जिला अलीगढ़)--

क्या यह सत्य है कि दिनांक २४ जनवरी, ७५ को अलीगढ़ के नागरिकों ने प्रदेश के सिंचाई मंत्री के दामाद द्वारा अनियमित रूप से उपयोग में लाते हुये उनके निवास गृह पर रिमाडलिंग डिवीजन (सिंचाई) विभाग, एटा की जीप यू० पी० टी० २२३० पकड़ी, जिसकी सूचना मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को दिनांक २९-१-७५ को रजिस्टर्ड पत्र द्वारा दी गयी ? यदि हां, तो पूर्ण तथ्य क्या हैं, जांच किसके द्वारा की गयी और जीप किसके आदेश से किस कार्य हेतु वहां भेजी गयी तथा ड्राइवर का इस संबंध में बयान क्या था ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

२३-१-७५ की शाम को अधिशाशी अभियन्ता ने जीप संख्या यू० पी० टी० २२३० के ड्राइवर को यह कहा कि उनको २४-१-७५ को सुबह ओखला जाना है और शायद माननीय मुख्य मंत्री जी का कुछ सामान उनके दामाद के मकान से ओखला जायेगा। इसलिये वह वहां से सामान ले आवे । ड्राइवर ने उन्हें बताया कि जब वह माननीय मंत्री जी के दामाद के निवास स्थान पीली कोठी पर खड़ा था तो कुछ नागरिकों ने उसको आकर पकड़ लिया और मय जीप के थाने ले गये। वहां पर पुलिस के यह पूछने पर कि जीप किसके आदेश से ले आये और कब-कब लाये, ड्राइवर ने कहा बड़े साहब ने भेजा था और उससे पूर्व वह कभी जीप नहीं लाया ।

मुख्य सचिव की प्राप्त शिकायती पत्र पर जांच की जा रही है ।

जिला जौनपुर के उप जिला विद्यालय निरीक्षक के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच

*४६--श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद), श्री राज किशोर तिवारी (जिला जौनपुर), श्री ओम प्रकाश, श्रीवास्तव जिला जौनपुर), श्री रामशिरोमणि दुबे (जिला जौनपुर) तथा श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी (जिला प्रतापगढ़)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले के उपजिलाविद्यालय निरीक्षक (श्री शिव शंकर सिंह) के विरुद्ध भ्रष्टाचार, अनुचित नियुक्तियों आदि के सम्बन्ध में संयुक्त निदेशक, ने दिनांक १३ फरवरी, १९७५ से १६ फरवरी, १९७५ तक जांच की ? और क्या यह सत्य है कि जांच में अभियोग सही पाये गये हैं ? यदि हां, तो उपरोक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही अब तक की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

जांच करने पर यह पाया गया कि तत्कालीन विद्यालय उप निरीक्षक ने अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का निर्वहन भली प्रकार एवं उत्तरदायित्व के साथ नहीं सम्पादित किया तथा नियमों एवं आदेशों का उल्लंघन किया और वित्तीय नियमों में असावधानी बरती। अतएव उक्त विद्यालय उप निरीक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में दिनांक २०-४-७५ के आदेशों द्वारा उन्हें निलम्बित कर दिया गया है ।

अतारांकित प्रश्न

सोनलिफ्ट एवं कनहर बांध परियोजना जिला मिर्जापुर पर व्यय

१—श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि मिर्जापुर जिला स्थित सोनलिफ्ट एवं कनहर बांध परियोजनाओं पर कुल कितना रुपया खर्च होने की योजना बनी है ? इन योजनाओं पर वर्ष १९७४–७५ में कितना खर्च किया जाना निश्चित किया गया था और कितना वस्तुतः खर्च किया गया ? क्या कनहर बांध परियोजना रिहन्द बांध व पानी भरने में सहायक होगी ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

मिर्जापुर जिला स्थित सोन लिफ्ट एवं कनहर बांध परियोजनाओं की अनुमानित लागत क्रमशः ५.६४ तथा १६.७४ करोड़ रु० है। इन योजनाओं पर १९७४–७५ में निर्माण कार्यों के लिए बजट में क्रमशः ८३.३६ तथा १७.५० लाख रु० के खर्च करने का अन्दाजा था जिसके समक्ष क्रमशः २६.५० तथा १४.२९ लाख रु० खर्च हुआ।

कनहर बांध परियोजना रिहन्द बांध में पानी भरने में सहायक नहीं होगी।

बावतपुर बसनी से नेवादा तक पक्की सड़क

२—श्री ऊदल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बावतपुर बसनी से ताड़ी नेवादा जिला वाराणसी की सड़क पर गत दो वर्ष से सार्वजनिक निर्माण विभाग वाराणसी ने मिट्टी डलवा दिया है। यदि हां तो इस ८ मील की सड़क को पक्का करने का कार्य कब से शुरू किया जायेगा ?

श्री शिव प्रसाद सिंह—

बावतपुर से बसनी तक दो कि० मी० का भाग तारकोल लेपित है इसके आगे बसनी ताडी नेवादा मार्ग पर जिसकी लम्बाई १२ कि० मी० है, वर्ष १९७२–७३ एवं १९७३–७४ में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा टेस्ट वर्क के अन्तर्गत मिट्टी का कार्य कराया गया है। यह मार्ग जिला परिषद् वाराणसी के अधीन है, टेस्ट वर्क के अन्तर्गत बनाई गयी कच्ची सड़कों को पक्का करने की कोई योजना स्वीकृत नहीं है। अतः कार्य प्रारम्भ करने का प्रश्न नहीं उठता।

कछवां बड़ा गांव मार्ग जिला वाराणसी में कच्ची सड़क का निर्माण

३—श्री ऊदल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कछवां बड़ा गांव मार्ग जिला वाराणसी में ९ किलो मीटर सड़क अब भी कच्ची रह गयी है और जिला परिषद् वाराणसी ने उसे सार्वजनिक निर्माण विभाग को ट्रांसफर भी कर दिया है ? यदि हां, तो यह सड़क कब तक बन जायगी ?

श्री शिव प्रसाद सिंह—

कछवां बड़ागांव मार्ग का कमसेंठी अनई भाग जो कच्चा है, जिलापरिषद् के अधीन है। यह भाग सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित नहीं हुआ है। अतः इस कच्चे भाग को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पक्का कराने का कोई प्रश्न नहीं उठता। मामले का शेष भाग सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत है एवं पक्का है।

प्राविन्शियल डिवीजन अल्मोड़ा में गबन

४—श्री मोहम्मदरफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतलायेंगे कि नवम्बर, ६५ व मार्च, ६६ के बीच प्राविन्शियल डिवीजन अल्मोड़ा में कोई गबन हुआ था ? यदि हां, तो वह गबन कितने रूपये का था ? उसकी जांच किसने की थी तथा किन-किन अधिकारियों का ताल्लुक इस गबन से पाया गया था ? उनके नाम व पद क्या हैं ?

श्री शिब प्रसाद सिंह—

"जी हां। यह गबन कुल रु० १८८१२.७७ पैसे का था। इस गबन की जांच विभागीय अधिकारियों, मंडलीय लेखाकार व महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा पुलिस द्वारा भी कराई गई। मामले से सम्बन्धित अधिकारियों के नाम और पद इस प्रकार हैं :—

(१) श्री गुरुदयाल (तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता)।
(२) श्री एस० के० गौड़ (तत्कालीन सहायक अभियन्ता)।
(३) श्री सी० बी० गुप्ता (तत्कालीन सहायक अभियन्ता)।
(४) श्री गोपालदत्त पुलोरिया, कैशियर।

श्री राम प्रकाश यादव—

५—[९वें बुधवार के लिये स्थगित।]

अधिशासी अभियन्ताओं से अधीक्षण अभियन्ता के प्रमोशन तथा सूची बनाने हेतु गठित कमेटी

६—श्री हिम्मत सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में अधिवासी अभियन्ताओं से अधीक्षण अभियन्ता प्रमोशन तथा सूची बनाने के लिये १३ मई, ७३ में एक कमेटी गठित की थी ? यदि हां, तो वह लिस्ट क्या है, उनमें से कितने ले लिये हैं और कितने बाकी है ? क्या यह भी सही है कि लिस्ट से वहां के अधिशासी अभियन्ताओं को प्रमोशन दिया है ? यदि हां, तो उनके क्या नाम हैं ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

विषय गोपनीय है और उत्तर देना जनहित में उचित न होगा।

७—श्री बाबू लाल वर्मा—

[१२ वें मंगल में अतारांकित प्रश्न संख्या १४ पर स्थानान्तरित।]

८—श्री मुहम्मद असरार अहमद—

[विस्तीर्ण होने के कारण निरस्त।]

९—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

[९वें बुधवार के लिये स्थगित।]

१०—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

[२-४-७५ को तारांकित प्रश्न संख्या ४२ के अन्तर्गत उत्तरित।]

११—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

[१२वें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न ४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

भिनगा से लक्ष्मनपुर मार्ग निर्माण कार्य में व्यय

१२--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बहराइच जिले के भिनगा से लक्ष्मन पुर मार्ग पर सड़क निर्माण कार्य वर्ष ७४-७५ में किया गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक कितना व्यय हो चुका है ?

श्री शिव प्रसाद सिंह--

जी हां। प्रश्नगत मार्ग के निर्माण पर ३१-३-१९७५ तक कुल ५,४९,८१२ रुपये व्यय हो चुका है।

जालौन में ग्राम अण्डा के पास मुड़िया माइनर का निर्माण

१३--डाक्टर मलखान सिंह (जिला जालौन)--

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला जालौन में ग्राम अण्डा के पास मुड़िया माइनर का निर्माण कार्य क्यों रुका पड़ा है और यह माइनर कब तक बन कर पूरा हो जायेगी ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

मुड़िया माइनर के निर्माण का कार्य भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण न होने के कारण रुका है। वांछित भूमि का अधिकार विभाग को प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य करना सम्भव हो सकेगा।

गोरखपुर के सरकारी मकानों में अवैध घुसपैठियों के विरुद्ध शिकायत

१४--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोरखपुर में किन-किन सरकारी मकानों में अवैध घुसपैठियों के विरुद्ध शिकायत अक्टूबर, ७४ से जनवरी, ७५ के बीच प्राप्त हुई हैं, इसमें से किन-किन के विरुद्ध कार्यवाही की गई है।

श्री शिव प्रसाद सिंह--

इस अवधि में कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई। अतएवं कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

१५--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

[१९-२-७५ को नियम ३८ (२) के तारांकित प्रश्न १ के अन्तर्गत उत्तरित।]

टौंस नदी के दक्षिण स्थित गोसलपुर, गोविन्दपुर व असावर पर बांध का निर्माण तथा व्यय

१६--श्री रघुनाथ (जिला बलिया)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया तथा गाजीपुर सीमा टौंस नदी के दक्षिण स्थित गोसलपुर, गोविन्दपुर व असावर बांध कब से बनना आरम्भ हुआ और कब बन कर समाप्त हुआ, किन-किन रेट में कम हुआ तथा बन्धा के बनने में कितना रुपया व्यय हुआ ? मंत्री कृपया यह भी बतायें कि इस बांध पर कितने रेगुलेटर बने हैं और उन पर अलग कितना-कितना व्यय हुआ है ?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां--

असावर, गोविन्दपुर और गोसलपुर बांध का कार्य १९५५-५६ में शुरू हुआ और १९६१-६२ में पूर्ण हुआ। मिट्टी के कार्य का रेट असावर बांध पर ९ रु० १५ आने से १३ रु०

गोविन्दपुर बांध पर १० रुपये से १३ रुपये, व गोसलपुर बांध पर ११ रु० ५ आने से १४ रुपये प्रति हजार घनफुट थी। तीनों बांध के बनाने में कुल १६,३७,७२०.४६ रु० खर्च हुआ। कुल १७ रेगुलेटर बनाये गये हैं। गोविन्दपुर में बने गरार ड्रेन पर रेगुलेटर की अनुमानित लागत १,३३,८३४.०० रुपया है और शेष १६ रेगुलेटर की अनुमानित लागत प्रति रेगुलेटर ३,८२८.०० रुपया है।

१७—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

[९वें बुधवार के लिये स्थगित।]

१८—श्री पुरुषोत्तम कौशिक तथा श्री कृपा शंकर आर्य—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

१९—श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

[१२-३-७५ को तारांकित प्रश्न संख्या १८ पर उत्तरित।]

२०—श्री शफीकुर्रहमान वर्क—

[९वें बुधवार के लिये स्थगित।]

गंडक नहर निर्माण देवरिया में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की सेवाओं की समाप्ति

२१—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गंडक नहर निर्माण खंड ३, देवरिया के अन्तर्गत कितने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं? उनमें से कितने अनुसूचित जाति के हैं १९७४-७५ में कितने अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की सेवाएं किस आधार पर समाप्त की गई हैं?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

प्रश्न में उल्लिखित खंड के तहत ३० चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं जिनमें से ३ अनुसूचित जाति के हैं। वर्ष १९७४-७५ में उपरोक्त तीनों नियमित अनुसूचित जाति के कर्मचारियों में से किसी की भी सेवायें समाप्त नहीं की गयी हैं।

कार्यरत नलकूप चालकों की सेवा अवधि तथा उनको रेगुलर पद

२२—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सिंचाई मंत्री १९७४ के द्वितीय सत्र के ११वें बुधवार के ता०प्र०सं० १० के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि जिन १४० नलकूप चालकों को वर्कचार्ज पर रक्खा गया है इनमें से कितने लोग ३ साल से अधिक अवधि पार कर चुके हैं और उनको कब तक रेगुलर पद प्रदान किया जायगा? इसमें कौन हरिजन हैं तथा इसके नाम व पते क्या हैं?

श्री मोहम्मद महमूद अली खां—

सिंचाई कार्य मंडल, गोरखपुर के अन्तर्गत जिन १४० नलकूप चालकों को वर्कचार्ज पर रखा गया है उनमें ५८ वर्कचार्ज कूप चालक ३ साल से अधिक अवधि पूरी कर चुके हैं। रेगुलर पद उपलब्ध होने पर उनको नियमानुसार रेगुलर किए जाने पर विचार किया जा सकेगा। इनमें से हरिजन जाति के कूप चालकों के नाम व पते संलग्न सूची में दिए गए हैं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ७५६ पर।)

जनपद गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, एवं आजमगढ़ के मान्यता प्राप्त हाई स्कूल एवं इन्टर कालेजों में अध्यापकों को सुमोटा पद्धित के अन्तर्गत सुविधा

२३--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर, बस्ती, देवरिया एवं आजमगढ़ के मान्यता प्राप्त हाई स्कूल एवं इन्टर कालेजों से सम्बन्धित अध्यापकों की सुमोटा पद्धति के अन्तर्गत शिक्षा सत्र (१९७३-७४ एवं १९७४-७५) के कुल कितने अध्यापकों को सुविधा प्रदान की गयी है तथा कितने अध्यापक उक्त अवधि में इस सुविधा से वंचित रहे ?

श्री अम्मार रिजवी--

सुमोटो पद्धति के अन्तर्गत इन चारों जनपदों में मान्यता प्राप्त हाई स्कूल तथा इन्टर कालेजों के जे०टी०सी०/बी०टी०सी० अध्यापकों को सी० टी० ग्रेड में प्रोन्नति दिये जाने के सम्बन्ध में वांछित सूचना निम्नवत् है :--

जनपद का नाम	शिक्षा सत्र	उन अध्यापक/अध्यापिकाओं की संख्या जिन्हें प्रोन्नति दी गई।	अभ्युक्ति
आजमगढ़ ..	१९७३-७४		किसी योग्यताधारी व्यक्ति
	१९७४-७५	८६	को वंचित किये जाने की सूचना नहीं है।
गोरखपुर ..	१९७३-७४	शून्य	,, ,,
	१९७४-७५	११७	
देवरिया ..	१९७३-७४	शून्य	१२ व्यक्तियों को प्रोन्नति
	१९७४-७५	५५	के लिये अनुपयुक्त पाया गया।
बस्ती ..	१९७३-७४	१०	२२ व्यक्तियों को प्रोन्नति
	१९७४-७५	४१	के लिये अनुपयुक्त पाया गया।

कन्या पाठशालाएं, बहराइच में अध्यापिकाओं एवं बालिकाओं की संख्या

२४--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच तहसील में कितनी कन्या पाठशालायें हैं और प्रत्येक कन्या पाठशाला में अध्यापिका, एवं बालिकाओं की संख्या क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना अब भी एकत्र की जा रही है।

जिला वाराणसी में बेसिक प्राइमरी पाठशाला, मंगारी, झगौर, भगोतीपुर, बितौरा में इमारतों की मरम्मत

२५—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक प्राइमरी पाठशाला, मंगारी, झगौर, भगोतीपुर, बितौरा तथा जू० हाईस्कूल, हिरामनपुर ब्लाक बिढरा, जिला वाराणसी के कुछ स्कूलों के पास इमारतें नहीं हैं और जिनके पास हैं तो वे रद्दी टूटी-फूटी हालत में हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने जो मुख्य मंत्री को क पत्र १९ सितम्बर, १९७४ को लिखा था उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

दिनांक २५ जुलाई, १९७२ से उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् का गठन होने के बाद भी बेसिक विद्यालयों के भवनों के रख-रखाव एवं मरम्मत आदि का उत्तरदायित्व जिला परिषदों का ही है । अत: जिला परिषद्, वाराणसी के अध्यक्ष से कथित स्कूल भवनों की मरम्मत आदि कराए जाने का अनुरोध किया जा चुका है ।

सदन के आगामी कार्यक्रम के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री अध्यक्ष—

माननीय राजस्व मंत्री ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है एक दिन आपके कक्ष में बैठक हुयी । मुख्य मंत्री जी थे और तिवारी जी भी थे । तो यह उन्होंने कहा था कि २८ तारीख के बाद भी सदन चलेगा। मान्यवर, अभी बहुत से महत्वपूर्ण कार्य पड़े हुये हैं । चर्चा के लिये या वक्तव्य के लिये आपने स्वीकार किया है, वह भी नहीं हुये हैं । मान्यवर, अभी आसमान साफ नहीं हो रहा है । अभी लोक आयुक्त बिल भी ऐसा लगता है कि आने वाला नहीं है । तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर २८ तारीख के बाद.....

श्री अध्यक्ष—

२५ को कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक बुलायेंगे ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, चूंकि शायद २८ तारीख तक ही संभावना है ।

श्री अध्यक्ष—

शासन की ओर से आता है.....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं आपके द्वारा शासन से जानना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

२५ तारीख को कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक बुलाने के लिये.....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

यह निश्चित हो जाना चाहिये, क्योंकि मान्यवर, बहुत आवश्यक कार्य पड़े हैं ।

श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मान्यवर, आप तो सक्षम हैं।

श्री अध्यक्ष—

अगर आप चाहते हैं और.....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, उन्होंने तो अपनी पार्टी का चुनाव रोक दिया, उनके तो बहुत काम रुके पड़े हुये हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं अभी बताने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

बहुत महत्वपूर्ण विषय ऐसे पड़े हैं जिन पर चर्चा होनी है। आपने वक्तव्य के लिये आदेश दिये हैं, यह सब खत्म हो जायेंगे। अगर अनिश्चित काल तक के लिये उठ गयी।

श्री अध्यक्ष—

अभी कैसे मैं मानूं। अभी तो मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि २८ को समाप्त होगी या कब।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, माहौल ऐसा ही बन रहा है।

श्री अध्यक्ष—

माहौल के बारे में आप बेहतर बता सकते हैं।

हरियाणा-उत्तर प्रदेश सीमा विवाद में मध्यस्थ द्वारा दिये गये निर्णय की प्रतिलिपि†

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से हरियाणा–उत्तर प्रदेश सीमा विवाद में मध्यस्थ द्वारा दियें गये निर्णय की प्रतिलिपि को सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री सत्य पाल मलिक (जिला मेरठ)—

मान्यवर, अभी जिस चीज का निर्णय मंत्री जी ने रखा है। उसके ऊपर हम लोग बहस की मांग करते हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह तो आपको मिली है।

श्री सत्यपाल मलिक—

यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है।

श्री अध्यक्ष—

अभी तो सदन के पटल पर रख रहे हैं। इसके पूर्व भी माननीय सदस्यों ने कुछ लिखा था तो मैंने कहा कि शासन स्वयमेव बयान दे। तो एक वक्तव्य स्वीकार पहले से ही है।

---

†छापी नहीं गयी।

श्री सत्यपाल मलिक—

मान्यवर, इस की वजह से तमाम गांवों के लोग परेशान हो रहे हैं। स्थिति बिगड़ रही है। इस पर चर्चा होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

अभी रखा है। इसके पहले जब आपने चाहा था तो वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है।

श्री शतरूद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, जल्दी कर दें।

श्री अध्यक्ष—

२५ तारीख को तय करेंगे।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

सदन २८ तारीख तक है। फिर कब होगा।

श्री अध्यक्ष—

२५ तारीख को बैठक होगी, तब तय करेंगे।

एक सदस्य—

मान्यवर, २५ तारीख को ही कर दें। यह बड़ा अहम मसला है।

श्री अध्यक्ष—

वक्तव्य तो रखा है। आप चाहते हैं तो इस पर बोलने का मौका आपको २५ तारीख को देंगे।

श्री तेज सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सारे प्रदेश की इज्जत का सवाल है। प्रदेश की जमीन का नुकसान हुआ है। जब फसला नहीं हो पाया तो दोनों मुख्य मंत्रियों ने पंच बनाया श्री उमाशंकर दीक्षित को, होम मिनिस्टर साहब को और उन्होंने सुन्दरम साहब को अपना एक अधिकारी नियुक्त किया और उनका जो जजमेन्ट है, वह एक गंदा जजमेन्ट है। इसमें हमको नुकसान पहुंचाया गया है। मुजफ्फरनगर में गांव हरियाणा को दे दिये गये हैं, मेरठ में बहुत जमीन को गहरी धारा मानकर दिया है, बुलन्दशहर में गांव गहरी धारा मानकर दे दिये गये हैं। ऐसा जजमेन्ट है कि गांव-गांव की सीमा जो लगी है उसको दे दिया गया है। इसलिये इसको सारा सदन सुनें और उस पर विचार करे और देखें कि मुख्य मंत्री ने यदि मान लिया तो हम क्यों नहीं मानें। सदन के पटल पर रखकर यदि यहां पास हो जाता है तो इससे उत्तर प्रदेश का गला कट जाता है।

श्री सत्यपाल मलिक—

मान्यवर, हरियाणा के मुख्य मंत्री चालाक हैं और उन्होंने चालाकी के साथ इसको करवाया.....।

(दो सदस्य साथ-साथ बोलने लगे।)

श्री अध्यक्ष—

मैंने २५ तारीख को कह दिया है। आप लोग बहस करना चाहते हैं कि महत्वपूर्ण है कि नहीं। यदि महत्वपूर्ण है तो २५ को समय दे रहे हैं।

उत्तर प्रदेश पर्वतीय विकास निगम लिमिटेड, नैनीताल की द्वितीय वार्षिक रिपोर्ट १९७२–७३†

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश पर्वतीय विकास निगम लिमिटेड, नैनीताल की द्वितीय वार्षिक रिपोर्ट, १९७२–७३ एवं लेखा विवरण को, लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन सहित, कम्पनी ऐक्ट, १९५६ की धारा ६१९-ए की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

विधान सभा सदस्य, श्री चन्द्र शेखर सिंह की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

आप लोगों की सूचना देनी है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १०७/११६/१५१ के अन्तर्गत अपनी शक्तियों के प्रयोग में मैंने यह निर्देश देना अपना कर्त्तव्य समझा कि विधान सभा के सदस्य श्री चन्द्र शेखर सिंह को २३–४–७५ को ११ बजे दिन में बन्दी बना लिया गया और उन्हें इस समय लखनऊ जिला जेल में रखा गया है।

श्री तीरथ राम कोहली (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, सत्याग्रह हो रहा था और उस समय मां-बहनों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं। छोटे-छोटे बच्चों को पकड़ा गया है.....

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, जो अत्याचार और अन्याय हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—

मैं सूचना सिर्फ देता हूं, यदि सूचना न दें तब कहें। अभी सवाल उठता है कि संविधान द्वारा अपेक्षित आपके जो हक की चीज है, उसमें कोई दण्डाधिकारी किसी के गिरफ्तारी को सूचित करता है कि नहीं। मैं इसकी सूचना देता हूं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, अगर सत्याग्रही महिलायें हैं तो उनके लिये महिला पुलिस बुलवायें।

श्री अध्यक्ष—

यह सवाल उठा सकते हैं, जब विशेषाधिकार का कर लें और कार्य-स्थगन का सवाल हो जाय तब।

एक सदस्य—

मान्यवर, महिलाओं को पुलिस पकड़ ऐसी हरकत करेगी ?

श्री अध्यक्ष—

यदि ऐसे ही आप अनियमित होकर काम करेंगे तो कैसे काम चलेगा ? आप अनियमित होते हैं तो दूसरों से नियम पालन की अपेक्षा कैसे करते हैं ?

---

†छापी नहीं गयी।

सहकारिता मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय तीरथ राम कोहली और माननीय श्री आशाराम यादव ने सूचना दी है कि २२ अप्रैल, १९७५ को माननीय सहकारिता मंत्री ने तारांकित प्रश्न संख्या ११ मत्थी (ग) का उत्तर देते हुये यह कहा कि 'सी आयल का' बाजार भाव ८० रुपया प्रति लीटर है। माननीय सूचना देने वाले सदस्यों का यह भी कहना है कि यह सूचना बिलकुल असत्य तथा निराधार है। सबसे ऊंची क्वालिटी के 'सी आयल' का मूल्य १२ रु० प्रति लीटर से अधिक नहीं है .....

श्री तीरथ राम कोहली (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर निर्णय देने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा .....

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मान्यवर, इसमें तो केवल करेक्शन का प्रश्न निहित है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, श्री काशीनाथ मिश्र को ही टेम्पोरेरी सहकारिता मंत्री बना दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

अभी मैं इस पर कोई निर्णय नहीं दे रहा हूं। मैं इसको सहकारिता मंत्री के पास स्पष्टीकरण हेतु भेज रहा हूं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी पर आक्षेप लगाने के सम्बन्ध में राजस्व मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक दूसरी सूचना माननीय श्री तीरथ राम कोहली तथा माननीय श्री ओम प्रकाश सिंह ने दी है कि दिनांक २२-४-७५ को माननीय राजस्व मंत्री ने व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देते हुये माननीय नेता जनसंघ एवम् माननीय नेता विरोधी दल के सम्बन्ध में कुछ आक्षेपात्मक बातें कहीं। माननीय सदस्यों का यह भी कहना है कि २२-४-७५ को माननीय स्वामी प्रसाद सिंह ने बड़े ताव में आकर आक्रोश भरी मुद्रा में माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी नेता जनसंघ दल से कहा, "वह बिलकुल गलत है आप खेद प्रकट कीजिये।" यह भी कहा, "माननीय त्रिपाठी ने किसी तरह से यह पत्र मेरे नाम से कहीं से टाइप किया हुआ है लिया है और उसमें मेरे दस्तखत बना लिये हैं" आगे यह भी कहा, "भू० पू० राजस्व मंत्री जो उनकी पार्टी के रहे उनका रैड उनको मिल गया हो जो चौधरी साहब के कैबिनट में रह चुके हैं ..... माननीय सदस्यों का यह भी कहना है कि इस प्रकार माननीय नेता जनसंघ दल पर उन्होंने आक्षेप किया।

कार्यवाही देखने से पता चलता है कि.....

श्री तीरथ राम कोहली (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, मैं २० तारीख को इलाहाबाद में था। जो फोटोग्राफ कापी मुझे मिली वह मुझे एक ल के ने दी। उसे मैं लेकर जिलाधिकारी के पास गया क्योंकि मंत्रीजी ने यह कहा कि उसको वेरीफाई कर लेना चाहिये था, ताकि वेरीफाई कर लूं। रात हो गई थी। रात में ही मुझे विचार आया कि श्री स्वामी प्रसाद का इलेक्शन पिटीशन वहां पर चल रहा है हाई कोर्ट में। मैंने सोचा कि उसमें माननीय मंत्री जी के अवश्य ह ताक्षर होंगे। तो मैं उसी

[श्री तीरथ राम कोहली]

रात को जो इनके विरोधी वकील हैं, उनके पास गया। फाइल निकलवाई जिस पर इनके सैक्रेटरी के हस्ताक्षर थे और उनसे मैंने फोटोग्राफ साइन को मिलाया तो वह बहुत मिलते थे। परसों जब मैं विधान सभा आया तो मैं इनको ढूंढा और जब वह नहीं मिले तो मैंने माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी को दिया। मैंने अच्छी तरह से तैयारी कर लिया था। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि मैं जांच करूंगा और उसके बाद रिपोर्ट आयेगी। फिर इसी बीच में मंत्री जी ने अपना स्पष्टीकरण क्यों दिया। इन्होंने अवहेलना की है और आपके आदेश भी नहीं माने हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह तो आपकी लड़ाई चल सकती है। मैं तो विशेषाधिकार की बात देख रहा हूं।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

विशेषाधिकार इसलिये बनता है माननीय माधव प्रसाद जी ने पत्र दिखलाया और कहा कि इसकी जांच हो जानी चाहिये। उन्होंने किसी प्रकार का आक्षेप नहीं लगाया, फैक्ट्स को रख दिया। लेकिन कल मंत्री जी ने जवाब देते हुए मेरे नेता के ऊपर आक्षेप लगाया।

श्री अध्यक्ष—

आप सुनें। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि यह जुर्म का मामला बनता है। आपने जाल किया या मंत्री ने किया तो क्या कोर्ट में भेज दें? आपने एक बात कह दी और उन्होंने एक बात कह दी। हम सभी को सम्मानित सदस्य मानते हैं।

(व्यवधान)

श्री तीरथ राम कोहली—

फोटोग्राफ कापी दी?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

माधव बाबू ने कहा कि मेरी जानकारी नहीं है। एक सदस्य ने मुझे दिया उसी को प्रस्तुत कर रहा हूं। जिस भाषा में वह बोले उसी भाषा में मंत्री जी नहीं बोले बल्कि उन्होंने माधव बाबू पर आरोप लगाया कि उन्होंने पैड लेकर उस पर दस्तखत कर दिये.....

श्री अध्यक्ष—

इस सवाल में क्या यह सदन जायेगा। आप बैठ जायं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मान लीजिये हमारे हस्ताक्षर कोई दूसरा कर देता है। क्या इसको जांच का मामला बनाया जाय? माधव प्रसाद त्रिपाठी जी इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

आपने एक बात कह कर उलट दिया। किसी माननीय सदस्य ने दस्तखत कर दिये हों तो क्या इंक्वायरी का विषय बनायें। मैंने तो यह कहा था कि मुझे जानकारी नहीं है। इन्होंने यह कह दिया कि मैंने दस्तखत बना लिये। जब फोटो स्टेट बनाया तो कहीं ओरिजनल तो रहा होगा। कल ही मुझे मिला तो मैंने कैसे बना लिया। उनको यह नहीं कहना चाहिये था। उनके मन में यह भावना थी कि मैंने दस्तखत बना लिये।

श्री अध्यक्ष—

यह औचित्य का मामला हो सकता है। मंत्री जी को क्या कहना चाहिये क्या नहीं कहना चाहिये।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

उन्होंने जानबूझ कर आक्षेप लगाया ।

श्री अध्यक्ष--

क्या आप इस सम्पूर्ण मामले की जांच चाहते हैं ।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

१० हजार रुपया भेजा गया या नहीं ।

श्री अध्यक्ष--

इस तरह नहीं । आपने अध्यक्ष को भी विश्वास में लिया नहीं । आपने कोई ऐसा पत्र पढ़ दिया । मैंने कहा कि कोई फैक्टोस्टेट हो तो उसे मुझे दिखला दीजिये । आपने नहीं किया । बावजूद मेरे कहने के पढ़ दिया । फिर आपने मुझे दिया । उस पर अपने हस्ताक्षर किये । इसका मलतब, आपने दस्तखत किये, मैंने भी दस्तखत किये । लिखकर जांच के लिये भेज दिया । मुख्य मंत्री जी ने कहा कि जांच करायेंगे । इस हालत में यह मामला आया । ऐसे मामले के बारे मे जब बहस करेंगे कि हमारा नहीं है ? आपने पढ़ा है । जो सदस्य पढ़ता है, अपनी जानकारी से उसको पढ़ना चाहिये । यह कह कर वह बरी नहीं हो सकता है कि हमको किसी ने दे दिया ।

श्री चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

मान्यवर, माननीय माधव बाबू ने साफ कह दिया था कि मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता । उसको माननीय मंत्रीजी इन्कार कर सकते थे कि मेरा नहीं है । वहां तक तो ठीक था । लेकिन उन्होंने २/३ बार रिपीट किया कि यह बना लिया गया है, बढ़ लिया गया है और इशारा है कि माधव बाबू ने गढ़ लिया है तो उनको यह नहीं कहना चाहिये था । तो या तो वह कहें कि मैंने नहीं कहा, और अगर कहते हैं कि कहा है तो खेद प्रकट करें कि गलती हो गयी । अगर यह नहीं कहते, तो जांच हो या कुछ हो, लेकिन माननीय मंत्री जी का आरोप माननीय नेता जनसंघ पर लगाता, यह विशेषाधिकार की परिधि में आता है । तो केवल इतने मामले को भेज दें । वह सही हो या गलत हो, उसकी जांच होगी । और जांच होनी चाहिये । माननीय मंत्री जी ने चार्ज लगा दिया, जो माधव बाबू की शिकायत है ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

तो वही शिकायत तो इधर से भी है ।

चौधरी चरण सिंह--

तो उसकी जांच हो जायेगी, तय हो जायेगा । अगर साबित होता है कि त्रिपाठी जी ने गढ़ लिया तो उन पर विशेषाधिकार का मामला चले । लेकिन जांच होने के पहले ही हमला माननीय मंत्री जी ने कर दिया ।

मान्यवर, एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूं । अगर, मान्यवर, आप इस हाउस के मान की रक्षा नहीं करेंगे, तो कौन करेगा ? मैं कल की बात कहता हूं । आप इस मामले में एक अटीट्यूड ऐसा ले रहे हैं, जिससे यह सदन चलना मुश्किल होगा । क्योंकि इस तरह से हमारी सबकी यहां पर बेइज्जती होगी । कल मुझ पर चार्ज लगाया । मैंने कहा गलत है । वह कहते हैं सही है । मैंने कहा तहकीकात करायें । राजी नहीं हुये । तो, मान्यवर, आपका फर्ज था, आपको कमेटी बनाने का अधिकार था, बना देते । लेकिन आपने भी इन्कार कर दिया । तो आपके, मान्यवर, अधिकार कब काम आयेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

वह प्रश्न नहीं है ।

चौधरी चरण सिंह—

लेकिन मान्यवर.....

श्री अध्यक्ष—

कल का सवाल नहीं उठता ।

चौधरी चरण सिंह—

आप मान्यवर, सदन की रक्षा नही कर रहे है ।

श्री अध्यक्ष—

आप कल की उसी बात को उठाना चाहते हैं ।

चौधरी चरण सिंह—

मैं फिर कह रहा हूं मान्यवर, आप सदन की रक्षा नहीं कर रहे हैं ।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

मान्यवर, मैं नहीं चाहता कि माननीय स्वामी प्रसाद सिंह के खिलाफ कोई चार्ज लगायें। मैं उनसे भली भांति परिचित हूं कि वह एक ईमानदार आदमी हैं। लेकिन जब उनके ऊपर एक अभियोग आ गया, तो जांच की प्रक्रिया होती है । लेकिन ऐसा नहीं कि जिसके ऊपर अभियोग लगाया जाय, वही खड़ा होकर कह दे । आवश्यकता इस बात की है कि अगर वह कहते हमने दस्तखत नहीं बनाया, तो वहां तक ठीक था, लेकिन उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की । तब यह मामला महत्वपूर्ण हो जाता है कि जाली दस्तखत बनाने वाला कौन था । मान्यवर, हम लोगों की भी सार्वजनिक जीवन में इज्जत है । अगर इस तरह से इस सदन में हमारे खिलाफ चार्ज लगाये जायेंगे, तो कैसे काम चलेगा ?

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मान्यवर. इन लोगों का औचित्य है कि ये चार्ज लगायें और मंत्री जी का औचित्य नहीं कि वह सफाई दें ? मैं, मान्यवर, कहना चाहता हूं, जो आरोप माननीय मंत्री जी पर लगाना चाहते हैं, वे उधर से आ रहे हैं और माननीय मंत्री जी कह सकते हैं कि हमारे दस्तखत नहीं है, फर्जी दस्तखत हैं । मैं सफाई के साथ कहना चाहता हूं उनके दस्तखत फर्जी बनाये गये ।

(व्यवधान)

श्री तीरथ राम कोहली—

मैंने तो फोटो स्टेट कापी दी है ।

श्री काशी नाथ मिश्र—

फर्जी दस्तखत हैं उसकी जांच कराई जाय ।

श्री त्रिवेणी सहाय—

मैं काशी नाथ जी से सहमत हूं ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

जिन माननीय सदस्य ने प्रिविलेज का मोशन दिया है फर्जी दस्तखत बनाकर, मैं उनके खिलाफ ब्रीच आफ प्रिविलेज का नोटिस देता हूं ।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष---

आप सब आज गर्म हैं। मैं इसको दूसरे दिन के लिये टाल देता हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र---

मैं विशेषाधिकार का प्रश्न माननीय सदस्य के खिलाफ उठाता हूं जिन्होंने झूठे दस्तखत बना कर यह मोशन दिया है।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)---

जब से यह चक्र चला है और उसके पूर्व भी मैंने अनेक सवाल उठाये। आपने उनको स्वीकार नहीं किया। कारण भी नहीं बताया। एक सवाल नियम ५१ में दिया था जिसको आपने स्वीकार किया था। मेरे क्षेत्र के बांध जल गये और बहुत गंभीर स्थिति पैदा हो गयी है। आपने वक्तव्य के लिये स्वीकार किया था पता नहीं वक्तव्य कब होगा ?

श्री अध्यक्ष---

वह २५ को आयेगा। बहुत से इकट्ठा हो गये थे और कई एक दिन में आ रहे हैं।

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)---

वह पत्र आपकी मार्फत देखने को मुझे मिल जायगा ?

श्री अध्यक्ष---

मिल जायगा।

(कई सदस्यों के खड़े होने तथा एक साथ बोलने पर।)

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

मुझे यह कहने का अधिकार नहीं है कि यह फर्जी है?

श्री सतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)---

मेरा भी एक विशेषाधिकार का प्रश्न था।

श्री अध्यक्ष---

विशेषाधिकार जैसे मामले पर निर्णय के लिये आज सदन तैयार नहीं है। दूसरे दिन लिया जायगा।

श्री सतरुद्र प्रकाश---

मेरे विशेषाधिकार के प्रश्न का क्या होगा जो मैंने आज ही भेजा है ?

श्री अध्यक्ष---

आपने बहुत देर से भेजा है। विशेषाधिकार के प्रश्न पर यह आशा नहीं की जा सकती कि उसी वक्त मैं फैसला दे दूंगा। उसे सोचना होता है, पुस्तकें देखनी होती हैं। वह बाद में आयेगा।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

कोहली साहब में जो हाई कोर्ट की बात कही है.....

(व्यवधान---नोट किया)

श्री अध्यक्ष—

कल के मामले में नहीं जा रहे हैं। जो आज कहा है कोहली [redacted] ने इलाहाबाद का एक मामला है उस सम्बन्ध में ..... (व्यवधान)

मैं उनके कल के मामले पर इजाजत नहीं दे रहा हूं। आज के मामले पर इजाजत दे रहा हूं।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

आपने तो मामला टाल दिया है। उनको अगर आप इजाजत देंगे तो हमको भी इजाजत देनी होगी।

श्री अध्यक्ष—

किसी का नाम लेकर कोई कुछ कहता है तो उसे व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने का अधिकार है।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

तो हमको भी बोलने की इजाजत देनी होगी।

श्री अध्यक्ष—

ओम प्रकाश जी आप क्यों नादानी कर रहे हैं?

सवाल यह है कि जो कल मामला उठा था, कल तो नहीं, लेकिन माननीय कोहली ने जो आज कहा कि वे इलाहाबाद में मौजूद थे, तो इसके बारे में वे कह सकते हैं....

श्री राम अवतार (जिला आजमगढ़)—

एक व्यवस्था का सवाल है।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

हो सकता है उसमें बहुत से ऐसे प्रश्न उठें जो बहस की चीज बनें। इसलिये आप पूरे को टाल दें।

श्री अध्यक्ष—

अगर आप किसी के ऊपर आरोप लगायेंगे..... (व्यवधान)।
मैं कहता हूं कि क्या उनको जवाब में कहने का हक नहीं है। आपने कह दिया कि वे इलाहाबाद में थे। तो क्या वे यह नहीं कहते कि हम वहां थे या नहीं थे?

श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)—

इन्होंने पहले ही कहा कि मैं इलाहाबाद गया ही नहीं उनके पास आने की कोई सूचना नहीं थी।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मैंने तो यह कहा कि मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय कोहली जी, आपने जो मंत्री जी के बारे में कहा, उसे आप वापस लेते हैं?

श्री तीरथ राम कोहली—

जी नहीं।

श्री अध्यक्ष—

तो फिर उनको हक है ..... (व्यवधान)। जो कुछ आपने कहा वह निकाल दिया जायेगा। आप उनको सुनना नहीं चाहते।

श्री तीरथ राम कोहली—

मैं सुनने के लिये तैयार हूं लेकिन फिर मुझे भी मौका मिलना चाहिये।

डाक्टर मलखान सिंह (जिला जालौन)—

कल आपने यह व्यवस्था दी थी.....

श्री अध्यक्ष—

माननीय मलखान सिंह, बार-बार आपको कहा जाता है, आप बैठते नहीं हैं।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, बी० के० डी० के कैन्डीडेट श्री शिवनन्दन सिंह बनाम स्वामी प्रसाद सिंह का पिटिशन चल रहा था। जब माननीय कोहली साहब कल बोलने के लिये खड़े हुये तब मुझे मालूम हुआ कि माननीय कोहली साहब तो पिटीशनर की बगल में ही बैठे हुये थे और मेरे पिटिशनर के वकील श्री उदित नारायण शर्मा भूतपूर्व मंत्री के साथ वे बार-बार बैठे रहते थे। अब कल मैंने उन्हें देखा तब मुझे मालूम हुआ कि कोहली साहब हैं, माननीय सदस्य हैं और पिटीशनर के पैरोकार हैं मैं इन्हें नहीं जानता था। मेरी इनसे मुलाकात भी नहीं हुई थी। जहां तक दस्तखत मिलाने की बात है, जब वे वहां दस्तखत मिला रहे थे तो मुझे ही पूछ लेते, मैं वहां था ही। मैं इनको नहीं जानता था इसलिये मैंने कहा कि सब चलता है।..... (व्यवधान)।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर मैं नहीं चाहता था कि आप इस वक्त स्पष्टीकरण दें लेकिन जब उन्होंने माननीय सदस्य का नाम लिया और यह कहा कि मैं इन्हें नहीं जानता था, स्वयं ये वहां बैठे हुये थे। तो जब उन्होंने नाम ले लिया है, इसलिये इन्हें भी स्पष्टीकरण का मौका मिलना ही चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई बहस का विषय नहीं है। एक मर्तबा आपने कह दिया है। (व्यवधान)

श्री तीरथ राम कोहली—

उस दिन मैं इलाहाबाद बिलकुल नहीं था मैं इस सदन के अन्दर मौजूद था जिस दिन की बात वह कह रहे हैं। वह आज से 20, 25 दिन पहले की बात है (व्यवधान) मैं हाईकोर्ट में नहीं था। मैं सदन के अन्दर मौजूद था तो फिर मैं कैसे कह दूं कि मैं हाईकोर्ट गया हुआ था। मैं परसों जब इलाहाबाद से आया उस दिन यह मालूम हुआ। तो यह कहना कि मैं इलाहाबाद में था मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। (व्यवधान)

नियम २०० के अन्तर्गत दी गयी सूचना के सम्बन्ध में जानकारी

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)---

अध्यक्ष महोदय, ऐसा मालूम हुआ कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक नहीं हो रही है। तो मैंने नियम २०० में प्रस्ताव दिया था माननीय राजमंगल पाण्डेय जी के विरुद्ध जांच के लिये। तो उसे आप कब करवायेंगे क्योंकि ऐसा पता चला कि यह सदन को आगे नहीं चलाना चाहते हैं इन्हीं कारणों की वजह से तो मैं चाहूंगा कि आप चर्चा के लिये कब बुलायेंगे।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

संसदीय मंत्री जी ने कहा था कि २८ तारीख के बाद नहीं चलेगा इसी वजह से कि यह जो प्रस्ताव आया है यह न आये। तो इन्हीं दो दिनों में २५ या २८ तारीख को किस दिन आप इसे लेंगे जो यह मुलायम सिंह जी का प्रस्ताव है बहस के लिये।

श्री अध्यक्ष—

यह माननीय माधव प्रसाद जी ने भी उठाया था। मैं समझता हूं कि हम २५ तारीख को कार्यमंत्रणा समिति को बुला लें.....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर मुझे शंका है यह लोकायुक्त बिल भी लायेंगे तो आप अपने गुड आफिसेज का इस्तेमाल करें और यह जो बहुत आवश्यक बिल है यह पास हो जाय। माननीय सहायक जी भी अब चुप बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप बहुत से मामले सहमति से तय कर लेते हैं। कार्यमंत्रणा समिति में श्री मुहम्मद असरार अहमद जो चाहते हैं बहुत से मामले तय कर लेते हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव—

पता चला है जैसा असरार साहब ने कहा मंत्री जी ने बताया है कि सदन आगे न चले.....

श्री अध्यक्ष—

यहां पर जब मैं उपाध्यक्ष था और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी था उस वक्त मुख्य मंत्री गुप्ता जी थे और वे सुने नहीं कह दिया कि हम अनिश्चित काल के लिये स्थगित करते हैं। अध्यक्ष हमारे खैर साहब बैठे हुऐ थे चौधरी साहब भी शायद बैठे हुए थे। यह सदन चलता है या नहीं यह तो शासक दल पर है। वह कहेंगे तो हम क्या करेंगे। २५ तारीख को हम मीटिंग कर लेंगे उसमें यह देख लेंगे यही मैं कह सकता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री गिरिजाशंकर पाठक (जिला वाराणसी)—

मान्यवर मैंने अनेक बार पुलिस के बारे में ध्यान आकर्षित कराया। आज दो तीन घन्टे पहले एक टेलीग्राम मुझे मिला है। तेलियाबाग में एक मरीमाई का मंदिर है वहां शृंगार होता है। तो उसकी प्रशासन से स्वीकृति भी ली थी लेकिन पुलिस ने वहां पर निर्दयता-पूर्वक साढ़े तीन बजे लाठी चार्ज किया जिसमें महिलायें, बच्चे और अनेक लोग घायल हुए।

श्री अध्यक्ष—

आपने २२ तारीख कहा है।

श्री गिरिजा शंकर पाठक—

कल फिर लाठी चार्ज हुआ चन्दौली में प्रदर्शनकारियों पर जो ११ बजे रात हुआ।

श्री अध्यक्ष—

पढ़िये नहीं। वह तो आपने दिया हुआ है।

श्री गिरिजाशंकर पाठक—

वहां पर ११ बजे रात में जिलाधिकारी की मंजूरी से लोग बैठे हुए थे। १७ तारीख को बनारस से एक इंस्पेक्टर चंदौली भेजा गया जिसका नाम के० पी० मिश्रा है जिसे एस० ओ० बनाया गया है। उसके खिलाफ तमाम आरोप है, वहां जाकर उसने खुल्लम-खुल्ला लाठीचार्ज कराया, जिसमें पचासों लोग घायल हुए और श्री चन्द्रशेखर जी जो कमलापति त्रिपाठी के चुनाव के सिलसिले में खास आदमी है उनके पैर वगैरह में काफी चोटें आई है। इसलिये मैं उस सम्बन्ध में काफी कागजात भिजवाए दे रहा हूं। बनारस से जो अखबार निकलते हैं वे नित्य ११-१२ जनता के प्रदर्शनों और पुलिस के अत्याचारों के समाचार से भरा रहता है। भ्रष्टाचार के सागर में बनारस पूरी तरह से डूबा हुआ है, लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। विवशता में लोग रात-रात भर जागकर अपनी लुटिया-थाली बचा रहे हैं अपने खलिहानों को रखा रहे हैं। पुलिस और सुरक्षा की वहां कोई व्यवस्था नहीं है। इस बारे में मैंने मुख्य मंत्री जी से भी कहा उन्होंने पता नहीं फोन किया क्या किया—

श्री अध्यक्ष—

मैंने उनसे कहा था मौका देंगे तो— — — —

श्री गिरिजाशंकर पाठक—

उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि पूरे जिले के बारे में मैं अध्ययन करा रहा हूं, सूचनाएं गृह सचिव से मंगवा रहे हैं। मान्यवर ५ अक्टूबर को गुलजार सिंह के खिलाफ १० हजार लोगों ने प्रदर्शन किया जिसमें ४० लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहां रामविलास नामक एक नामी डकैत था. उसकी फर्जी लाश दिखाकर, गुलजार सिंह, एस० ओ०, मिर्जापुर ने सरकार से ईनाम हासिल कर लिया, जबकि आम जनता में चर्चा है कि वह डकैत अभी जिन्दा है क्षेत्र में घूम रहा है और आतंक बचाए हुए है।

श्री अध्यक्ष—

२२-४-७५ को जो वहां लाठीचार्ज हुआ, उसके बारे में आपने दिया है, इसलिये आप उस दिन की उसी घटना तक अपनी बात सीमित रखें, और सब क्या बता रहे हैं।

श्री गिरिजा शंकर पाठक—

आज बनारस की हालत यह है वहां पर कैंट पुलिस के आज्ञा के विपरीत सिटी एस० पी० ने आदेश लेकर लाठीचार्ज कराया और सिटी में कोई खाली दिन नहीं जाता जिस दिन किसी को लूटा न जाता हो राहजनी न होती हो या लोगों पर अत्याचार न होता हो। रोज अखबार में निकलता है, एक पेज में केवल बनारस शहर के अपराध सम्बन्धी केस रहते हैं—चोरी, राहजनी लूटमार, रिक्शे से खींचकर लूटपाट, शटर तोड़कर चोरी—ये सब वहां की आम बातें हो गई हैं। मार्च मास से अब तक जितने केस हुए हैं, उतने पिछले पूरे २५ वर्ष में नहीं हुए हैं। वहां जो एस० पी० सिटी ओंकारनाथ शर्मा और

[गिरिजा शंकर पाठक]

डी०आई०जी० श्रीवास्तव है, ये जनता में बड़े बदनाम अधिकारी हैं। वहां एक गायत्री पान्डेय, नर्स है, जिसके गिरफ्त में वहां के तमाम बड़े-बड़े अधिकारी और ये दोनों अधिकारी फंसे हैं, वह जो चाहे कराती है, वहां का प्रशासन चलाती है। लोफरों, चोर उचक्कों, को बचाना होगा तो गायत्री पान्डेय सिफारिश करेंगी, पूरे जिले के नामी डकैतों, बदमाशों को पाण्डेय का संरक्षण प्राप्त है, यह उनकी पैरवी करती है। ये अधिकारी सारनाथ में गायत्री पान्डेय के साथ रंगरेलियां मनाया करते हैं, और पूरे प्रशासन को इन्होंने खुली छूट दे रखी है मनमानी करने की। इस घटना की तो रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई। इससे ज्यादा जानकारी इसके बारे में शतरुद्ध प्रकाश जी को है अब आप उनको मौका दे दें।

(श्री शतरुद्ध प्रकाश के खड़ा होने पर)

श्री अध्यक्ष—

मैंने कहा था कि आप एक को इजाजत देंगे अपनी बात कहने की, फिर मैंने कहा आवश्यक कार्यवाही ..... (व्यवधान)..... उन्होंने कहा अब समय नहीं है आप भेज दें। (व्यवधान)

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मेरा एक निवेदन यह है कि जितनी शान्ति से आपने पाठक जी को सुना है, उतनी शान्ति से हम लोगों को कभी नहीं सुना है। उन्होंने बनारस की घटनाओं को बड़े तफसील के साथ आपके सम्मुख रख दिया है। बनारस एक सांस्कृतिक नगर भी है और आपका भी उससे प्रेम रहा है। वहां से एक तार भी आया है एस० पी० सिटी के बारे में। इसमें ५१ में एक वक्तव्य भी स्वीकार किया है।

श्री अध्यक्ष—

देखिये जो अपने दिया है, उसे फिर पढ़े देता हूं—"वाराणसी सदर में मरी माई के मंदिर के वार्षिक श्रृंगार हेतु दिनांक २२-४-७५ को एकत्र जनता पर एस० पी० सिटी द्वारा अन्धाधुन्ध लाठी चार्ज कराया गया। जिसमें पचासों लोग घायल हो गये, घायलों में स्त्री बच्चे भी हैं। थाना केन्ट में घटना की रिपोर्ट नहीं लिखी गई। उत्सव शान्तिपूर्ण करने की अनुमति भी ली गई थी। सम्पूर्ण घटना से जनता में असन्तोष व्याप्त है। जनता में निराशा की भावना व्याप्त है।"

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

कल बनारस के सम्बन्ध में..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

इसको हम वक्तव्य के लिये स्वीकार कर लेंगे तो ठीक रहेगा।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

[× × × ×]

श्री अध्यक्ष—

यह सब नहीं लिखा जायेगा आपका। माननीय गिरजाशंकर पाठक ने एक दिन की वटना के बारे में कहा और उन्होंने कहा कि आप आवश्यक कार्यवाही करके मैं बताऊं। मैं यह मान गया और उनको मौका दे दिया। आप बनारस की स्थिति के बारे में नोटिस दीजिये। (व्यवधान)।

नोट:—[* * * *] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

श्री बाबूलाल वर्मा, श्री ओम प्रकाश सिंह आदि कई माननीय सदस्यों ने चीनी मिलों के सम्बन्ध में दिया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। "उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्र में लाखों क्विन्टल गन्ना खेत में ख होने से....." नुकसान हो रहा है। अगर समय मिला तो २५ तारीख को वक्तव्य दिला दिया जाय और चर्चा भी हो जाय।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, आपने कह दिया कि यह बड़ा महत्वपूर्ण है, इससे हमको बड़ी प्रसन्नता हुई। इसमें शीघ्र से शीघ्र सरकार का स्टेटमेंट आना चाहिये। गन्ने की कहीं खपत नहीं है। मिलें सब बन्द हो गई हैं। इसलिये सरकार से आज ही आश्वासन ले लिया जाय। इसमें शीघ्रता की जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है। हम भी कोशिश करेंगे और आप भी कोशिश कीजिये।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

मान्यवर, जिस तरह से माधव बाबू ने कहा गन्ना किसान अपना गन्ना फूंक रहे हैं। इसलिये मुख्य मन्त्री जी या नारायणदत्त तिवारी जी से कोई बात कहलवा दें।

श्री अध्यक्ष—

२५ तारीख को।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

यह तो बहुत देर हो जायेगी। (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष—

आप नहीं थे। आज सरकार ने भी कहा था और मैंने भी निवेदन किया था कि २३ तारीख को रखिये।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

आप २५ तारीख को भले ही वक्तव्य करायें लेकिन .... (व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, श्री ओम प्रकाश जी चाहते हैं कि इसको २५ तारीख को भले ही ले लिया जाय लेकिन मुख्य मंत्री जी से कहलवा दें कि किसान लोग अपना गन्ना न फूंकें। लोग बहुत ऊब गये हैं।

श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)—

मान्यवर, किसानों के गन्ने के दाम मिल वाले घटा रहे हैं इसलिये मेरी प्रार्थना है कि उनके दाम न घटाये जायं।

श्री अध्यक्ष—

यह ठीक है। यह २५ तारीख को लिया जायेगा।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

श्रीमन्, आप गन्ना मंत्री जी को बुलवा लीजिये। आज ही आश्वासन दिला दिया जाय कि काम से आप छंटनी नहीं हो पायेगी और मिलें बन्द नहीं करने दी जायेंगी।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

गन्ना मंत्री जी के पास भिजवा दें और आज ही वक्तव्य दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष—

मैं इससे सहमत हूं। मैं किसानों के हक में हूं कि उनका कोई नुकसान न हो। एक मर्तबा मैंने कहा था कि जो किसानों का गन्ने का बकाया है वह उनको मिलना चाहिये चाहे सरकार अपने खजाने से दे। लेकिन यह कि २५ को।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, माननीय गन्ना मंत्री जी से कुछ कहलवा दीजिये।

श्री त्रिवेणी सहाय—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से कुछ आश्वासन तो दिलवा दीजिये।

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी आज सदन में यह कह दें कि नुकसान नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—

अभी नहीं वह २५ को।

नियम ३०१ के अन्तर्गत दी गयी सूचना के सम्बन्ध में जानकारी

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर परसों वह इरिलिजेन्ट हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—

मैंने स्वयं नहीं पढ़ा है आपका।

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)—

मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि अगर इस तरीके से पार्टी के प्रचार के लिये या किसी व्यक्ति विशेष के लिये चाहे वह जवाहरलाल नेहरू ही क्यों न हों व्यक्ति विशेष के लिये यह ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

आपने लिखा है माननीय मुख्य मंत्री और सचिव को, सचिव हैं नहीं, सचिव छुट्टी पर हैं।

श्री सत्यपाल मलिक—

मान्यवर, मैंने सचिव को नहीं लिखा है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मामले को आपने देखा नहीं और यहां के लोग सब गायब और ३ बजे के बाद यहां से भी चलना शुरू हो जायेंगे, तो फिर हमको सुनेंगे कब?

श्री अध्यक्ष—

२५ को।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

मान्यवर, निर्णय आप न लें, लेकिन पढ़कर सुना ही दें ।

श्री अध्यक्ष--

मैं पढ़ दूं तो निर्णय देने में देरी नहीं लगेगी। अभी मैंने नहीं देखा। हम देखें क्या है ? व्यवस्था क्या होती है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

मान्यवर, इस तरह की किताबें माननीय मुख्य मंत्री जी छपवाते रहे । मान्यवर, इसके पहले कुछ चार्जज लगाये थे । मान्यवर, अगर आज इसको नहीं लेते हैं तो यह दुरुपयोग चलता रहेगा ।

श्री अध्यक्ष---

अगर ऐसा था तो आपको कल ही देना चाहिये था ।

श्री सत्यपाल मलिक---

मान्यवर, यह तो कल मिला है ।

श्री अध्यक्ष---

कल मिला है तो आज मैं कैसे फैसला दे सकता हूं ।

श्री सत्यपाल मलिक---

मान्यवर, अंतरिम आदेश तो हो जाना चाहिये ?

श्री अध्यक्ष---

यह तो मैं जब देख लूं क्या मामला है, तभी कुछ आदेश दे सकता हूं।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, सदन की प्रतिष्ठा इससे घट रही है । यह सदन के पटल पर रखा जाय, केवल पिजन होल में न रखा जाय ।

श्री अध्यक्ष---

मैं आपसे यह कह रहा हूं कि इसमें सचिव का भी हवाला है । जो विशेषाधिकार के सवाल होते हैं वह जुर्म के सवाल होते हैं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश---

मान्यवर, आपके जितने मातहत अधिकारी हैं, उसकी व्यवस्था आप करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

यह तो हम देखें । उस पर पूछताछ होगी हमारे यहां, इसको इसीलिये मैं २५ कहता हूं ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद---

मान्यवर, मैंने कई दफा आपसे यह बात कही थी कि लिटरेचर पहले मिल जाना चाहिये । वह लिटरेचर जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित है वह पिजन होल में नहीं रखा जा सकता ?

श्री अध्यक्ष—

मैं क्या कह दूं कि यह तो नहीं रखा गया। नियम माने जैसे कानून यह है कि चोरी नहीं होनी चाहिये, उसके लिये सजा है, लेकिन चोरी होती है। 'पिंजन होल' में रखा होगा तो वह अधिकारी जिम्मेदार होगा। आप इस तरह से जबरदस्ती करते हैं। अगर रख दिया है तो हम कैसे कह दें, कैसे मैं पता लगा लूं, रखा गया कि नहीं रखा गया।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, मैंने व्यक्तिगत जानकारी पर कहा है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

प्रकाशित चीजों को पिजन होल में भेजते हैं। आपके आदेशों का क्यों नहीं पालन किया जाता है।

श्री अध्यक्ष—

आपको शासन से नहीं लड़ना है। मुझे मालूम पड़ता है कि आप अध्यक्ष से लड़ना चाहते हैं। आपने आज दिया है तो हम सदन का काम करें या उसके जांच-पड़ताल करें। आपको उसी गम्भीरता से देना चाहिये।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मैं .....

श्री अध्यक्ष—

मैं इसको आज उठाने की इजाजत नहीं देता।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, भारत के झन्डे के अपमान के सम्बन्ध में मैंने कहा था तो आपने कहा था कि लिखकर दे दें। मैं जानना चाहता हूं कि उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है।

श्री अध्यक्ष—

हम कैसे बता सकते हैं, जिस दिन का है उसी का बता सकता हूं।

(श्री शतरुद्र प्रकाश के खड़े होने पर)

आपको सदन की गरिमा के अनुसार काम करना चाहिये। आप नवयुवक हैं झुक सीखना चाहिये और विनयशील होना चाहिये।

१९७५-७६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ४४—कृषि, अनुदान संख्या ४६—भूमि तथा जल संरक्षण, अनुदान संख्या ४७—क्षेत्र विकास, अनुदान संख्या ७६—कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या ९२—ऋण और अग्रिम कृषि

कृषि मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७६ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४४—कृषि के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २३,२८,२६,८०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

संख्या ४४—कृषि, अनुदान संख्या ४६—भूमि तथा जल संरक्षण, अनुदान संख्या ४७—क्षेत्र विकास, अनुदान संख्या ७६—कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या ९२—ऋण और अग्रिम—कृषि

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७६ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४६—भूमि तथा जल संरक्षण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३,०७,३३,९०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत का जाये।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७६ को समाप्त होनेवाले वर्ष में अनुदान संख्या ४७—क्षेत्र विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ६,१४,३८,७०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७६ को समाप्त होनेवाले वर्ष में अनुदान संख्या ७६—कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ७,२६,५५,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७६ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ९२—ऋण और अग्रिम-कृषि के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,६३,७५,२०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

मान्यवर, प्रदेश के आर्थिक जीवन का आधार कृषि है, यह सभी स्वीकार करते हैं। यहां के ७५.३ प्रतिशत व्यक्ति खेती पर आधारित हैं। आजादी से पूर्व खेती, जीवन निर्वाह का एक माध्यम मानी जाती थी किन्तु आजादी के पश्चात् नए शोध और नए अनुसन्धान के जरिए कृषि उत्पादन में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं। जो हरित क्रान्ति आई है मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि वह प्रदेश के अधिकांश सम्पन्न कृषकों तक ही अभी तक पहुंची है। जो लघु और सीमान्त कृषक हैं जिनकी संख्या ८४ प्रतिशत के लगभग है, वे अनुसन्धान के कृषि उत्पादन में वृद्धि के नए तरीकों को अपनाने में अभी तक अग्रसर नहीं हो सके हैं। मान्यवर, शासन का यह प्रयास होगा कि पूरी शक्ति से जितने भी प्रदेश और देश में कृषि के ऊपर शोध और अनुसन्धान के कार्य हो रहे हैं, वे अलाभकर जोतों के ८४ प्रतिशत कृषकों तक शीघ्रातिशीघ्र पहुंच जायं। गत वर्ष तक प्रदेश के ६ जिलों में सीमान्त और लघु कृषकों को १/४ या १/३ तक खाद में, कर्ज में, कीटाणु नाशक दवाओं में और बीज में सहायता दी जाती रही है। यह खुशी का अवसर है कि इस वर्ष २६ जिलों में प्रदेश में इन बहुसंख्यक सीमान्त और लघु कृषकों के आर्थिक विकास में १/३ और १/४ तक को अनुदान तक की सहायता की जायगी। मान्यवर, प्रदेश में आज तक लगभग ४० प्रतिशत सिंचाई होती है लेकिन समस्त क्षेत्रफल में २ फसलें अभी भी नहीं ली जा रही हैं। हमारे कृषि विभाग का निरन्तर प्रयास होगा कि शत प्रतिशत सिंचाई क्षेत्र में २ फसलें अथवा सह फसलें बोई जा सकें और विशेषकर सीमान्त और लघु कृषकों के खेतों में जहां पर सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध हैं। उन छोटे कृषकों में बहु फसलें और सह फसलें उगा कर एक क्रान्ति लाई जाय।

मान्यवर, प्रदेश में पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय है। कृषि विज्ञान संस्थान, कानपुर में कार्यरत हैं और इन दोनों ने बहुत उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण कार्य कृषि के शोध और

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

अनुसन्धान की दिशा में किया है। मैं अत्यन्त प्रसन्नता के साथ यह घोषणा करता हूं कि अभी पन्तनगर ने ट्रिटिकेल नाम के एक गेहूं को जन्म दिया है जो पहाड़ों में, विशेषकर खुश्क इलाकों में कृषि उपादन में क्रान्ति ला देगा। इसमें कम पानी की आवश्यकता है, कम बीज की भी आवश्यकता है और गेहूं के मुकाबले में इसका उत्पादन भी अधिक होगा। इसी प्रकार की क्रान्ति अनुसन्धान कार्य में सोयाबीन के मामले में और सूरजमुखी के मामले में पन्तनगर यूनिवर्सिटी ने लगायी है। माननीय सदस्यों को अवश्य जानकारी होगी कि सूरजमुखी के फूल से जो तेल निकाला जाता है वह आज सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और विशेषकर दिल के मरीजों के लिए यह सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। प्रोटीन की दृष्टि से जो दूध सोयाबीन से बनाया जाता है या जो प्रोटीन नामक गुण सोयाबीन में पाया जाता है वह भी एक बहुत अच्छा खाद्य पदार्थ है। उसकी तरफ भी पन्तनगर विश्वविद्यालय विषेष ध्यान दे रहा है। इसी तरह से कृषि विश्वविद्यालय में फल और सब्जियों पर भी कार्य हो रहा है। वहां चुकन्दर के क्षेत्रफल पर अनुसन्धान कार्य हो रहा है, जिससे कि गन्ने की क्रशिंग के पश्चात् चुकन्दर के फल से, जो १५ प्रतिशत तक शुगर की रिकवरी देता है, चीनी मिलों को चलाया जाय तथा चीनी का उत्पादन और बढ़ाया जाय। पूर्वी यू० पी० में शुगर मिलें तो अधिक अवश्य हैं लेकिन आवश्यकतानुसार उनको गन्ना उपलब्ध नहीं हो पाता है। अगर हम चुकन्दर की कृषि को वहां के किसानों तक भी पहुंचा सकें तो पूर्वी यू० पी० की चीनी मिलें भी अधिक चीनी का उत्पादन कर सकेंगी।

इसी प्रकार कृषि विज्ञान संस्थान कानपुर ने सब्जी, तथा गेहूं की विशेष प्रजातियों को जन्म दे कर कृषकों के लिए क्रान्तिकारी योगदान दिया है। सरकार की तरफ से यह आदेश प्रसारित कर दिए गए हैं कि प्रदेश में ब्लाक स्तर पर अगले वर्ष, जिला स्तर पर इस वर्ष और मन्डलीय स्तर पर कृषि ज्ञान मेलों की स्थापना की जाय जिसमें कृषक अपनी समस्यायें विशेषज्ञों के सामने रख सकें और विशेषज्ञ उनका समाधान कर सकें। इरादा हमारा यह भी है कि जिस प्रकार हमारे विद्यार्थी करेस्पोंडेन्स कोर्स के जरिए शिक्षा पाते हैं और परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं उसी प्रकार पन्तनगर और चन्द्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय अलग-अलग फार्मर्स क्लब स्थापित करें और हर गांव में फार्मर्स क्लब के मेम्बर हों और वहां के कृषक अपनी समस्याओं को सीधे इन कृषिविश्वविद्यालयों में भेज सकें और कृषि विद्यालयों से उनका समाधान, उनका उत्तर, उनकी समस्याओं को हल करने का तरीका, जो नयी खोज हुई हो वह, खाद का प्रयोग, नये प्रकार की जो प्रजातियों, बीज, फल और सब्जी की खेती है उसकी जानकारी घर बैठे कृषक प्राप्त कर सके। इस प्रकार की व्यवस्था शीघ्र चालू करने पर सरकार विचार कर रही है और कोशिश करेंगे कि इस नए वर्ष में वह चालू हो जाय। हमने यह भी आदेश प्रसारित किए हैं कि फसल प्रतियोगिता जो पिछले कई सालों से बन्द थी, पुनः चालू की जाये ताकि हमारे कृषक अखिल भारतीय कृषि प्रतियोगिता में भाग ले सकें और प्रदेश का नाम ऊंचा कर सकें।

गेहूं के क्षेत्र में जो हमने प्रगति की है वह केवल अनुसन्धान के जरिए नए बीज आदि के कारण हुई है, उसी प्रकार हमारी कोशिश है कि चावल में भी नए-नए शोध करके नए बीज किसानों को दिए जायं। जिस प्रकार गेहूं के मामले में हमने तरक्की की है उसी प्रकार चावल के मामले में भी हम तरक्की करना चाहते हैं। चावल के मामले में अभी हमारा प्रदेश दूसरे प्रदेशों से पीछे है। यह हमें स्वीकार करना चाहिए और स्वीकार करके ही हम अगले वर्ष १९७५-७६ चावल के क्षेत्र में भी तरक्की करेंगे हम नए-नए किस्म के बीजों को सम्पूर्ण सिंचित और असिंचित क्षेत्र के किसानों को देंगे और पैदावार बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ब्राडकास्टिंग के जरिए नहीं ट्रान्सप्लांटिंग के जरिए। गेहूं और चावल ही दो फसलें हमारे यहां मुख्य हैं। गेहूं के मामले में यह सुन कर माननीय सदस्यों को प्रसन्नता होगी कि आज तक इतना उत्पादन प्रदेश में नहीं हुआ जितना इस वर्ष हुआ है। इस वर्ष सौभाग्य से एक नया कीर्तिमान उत्पादन का स्थापित होगा।

इसके अतिरिक्त मान्यवर, फसल की कटाई के एक्जेक्ट नतीजे देने के लिए भी उचित व्यवस्था की जा रही है जिससे कि सही आंकड़े मिल सकें। हमारे सभी विशेषज्ञ इस बात को मानते हैं कि अगर बीज अच्छा इस्तेमाल किया जाए तो १५ प्रतिशत उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। अच्छे बीज के ही फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि हुई है। कृषि विभाग ने निश्चय किया है कि गत वर्ष जितना बीज बांटा है उसका तीन गुना बीज अगले वर्ष बांटने की व्यवस्था की जाएगी और वह बीज लाभ हानि का ख्याल किए बिना, बिना लाभ के दिया जाएगा। इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा कि खाद और बीज समय से किसानों को मिल सके। किसी को इस बात की शिकायत का अवसर न मिलने पाए कि बीज समय से नहीं मिला या खाद समय से नहीं मिली। इसके लिए कड़ाई से पालन करने के आदेश दे दिए गए हैं।

उसी ही प्रकार मान्यवर बीज के बाद फिर खाद का मामला आता है। खाद का सही इस्तेमाल हो सके, सही प्रकार के खेतों में, सही प्रकार की फसलों के लिए, सही प्रकार की मात्रा में, इसकी जानकारी अभी तक हमारें प्रदेश में कृषकों को कम है। इस वर्ष इस पर और जोर दिया जाएगा कि भूमि का परीक्षण करके ही काश्तकार अपनी जमीन में खाद का प्रयोग करें। इस समय जो दो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी कि मैंने चर्चा की है, और जो २३ कृषि महाविद्यालय हैं वहां भूमि का परीक्षण होगा। ३१ इस समय हमारे जिलास्तर पर या मंडलीय स्तर पर और करीब ११ मोबाइल युनिट्स इस प्रकार से भूमि परीक्षणण के हमने कायम किए हैं। इस प्रकार हमारे प्रदेश में ५६ यूनिट्स भूमि परीक्षण का कार्य करेंगी। इससे कृषक अपनी जमीन की खुराक का सही अन्दाज लगा कर सही इस्तेमाल खाद का कर सकेंगे ताकि खाद वेस्ट भी न जाय और जितनी आवश्यकता कृषि को हो, उसका इस्तेमाल करके वह अपनी पैदावार भी बढ़ाने में सफल हो सके।

एक बात मेरे दिमाग से निकल गयी थी। वह यह है कि जहां मैंने बीज की चर्चा की थी, कृषि विभाग ने पन्त नगर यूनिवर्सिटी में वहां तराई सीड कारपोरेशन की स्थापना की है। वह बहुत बड़े पैमाने पर बीज का उत्पादन करता है और सारे हिन्दुस्तान में उन्नत-शील बीज भेजता है और उसके लिए उसने ख्याति प्राप्त की है। इसी प्रकार दो और सीड कारपोरेशन एक श्री चन्द्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर में और दूसरा आचार्य नरेन्द्रदेव कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद में स्थापित करने की बात भी स्वीकार कर ली गयी है। उनके ऊपर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। ये सभी कृषि के लिए उन्नतशील बीज के सम्बर्द्धन का प्रयास करेंगे। माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि उत्तर प्रदेश में कृषि के अनुसन्धान और उसकी शिक्षा सम्बन्धी कार्य के लिए एक परिषद् का गठन पहली मई को किया जायेगा। राज्य कृषि बोर्ड भी इस प्रदेश में पहले से है जिसका कि पुनर्गठन किया जा रहा है। जो अनुसन्धान कार्य होते हैं वे कृषकों तक किस हद तक पहुंच पाए हैं या अभी तक क्यों नहीं पहुँच सके हैं, क्या समस्या है इसको भी वे देखते रहे और उसके कार्यान्वयन में भी सहयोग दें, इस बात पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है और उस पर हम विशेष ध्यान देंगे।

इसके अतिरिक्त हम लोगों ने १९७५-७६ के वर्ष में ५ हजार गोबर गैस प्लांट्स स्थापित करने का निश्चय किया है। अभी तक केवल २ शिक्षक खादी ग्राम उद्योग कमीशन के थे जो इतने बड़े प्रदेश में कृषकों को गोबर गैस प्लांट को स्थापित करने में उनकी सहायता करते थे। सरकार ने यह व्यवस्था की है कि तीन जगहों पर काशीपुर, वाराणसी और मेरठ में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित हो और अब तीनों चल रहे हैं। उनके जरिए २१६ कर्मचारियों का प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जिससे वे गांव के कृषकों को यह प्लान्ट ठीक करने में

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

योगदान दे सकें। माननीय सदस्यों को अच्छी तरह से जानकारी है कि जहां कम्पोस्ट खाद की तरफ प्रदेश में बहुत ध्यान दिया जाता है, बहुत जोर दिया जाता है, उस कम्पोस्ट से केवल आधा फीसदी नाइट्रोजन मिलता है। हम प्रयास यह कर रहे हैं कि कृषक वह यह तरीका अपनावें। गोबर गैस प्लान्ट के जरिए जो खाद बनेगी उससे पहले के मुकाबले चौगुनी नाइट्रोजन उपलब्ध हो सकेगी। यानी दो प्रतिशत नाइट्रोजन गोबर गैस प्लान्ट से दे सकेंगे। अलावा इसके जो चूल्हे के अन्दर खाना बनाने या दूध पकाने में गोबर बेकार जाती है। अब वह धरती की खूराक के लिए जायगी। मान्यवर इसके अलावा हमारी माताओं बहनों की आंखें खराब होती हैं, धुयें से मकान काला होता है और स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अगर हमारे कृषक गोबर गैस प्लान्ट लगायें तो उनको बहुत फायदा इससे होगा। धुयें से स्वास्थ्य और आंखें खराब होने से बचेंगी। बर्तन और मकान काले नहीं होंगे। इसके अलावा शक्तिशाली खाद भी बामुकाबिले कम्पोस्ट के प्राप्त कर सकेंगे।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त पौध संरक्षण की तरफ भी सरकार का विशेष ध्यान है। हमारे प्रदेश में ८७५ ब्लाक्स हैं। ८७५ के ८७५ ब्लाक्स में, प्रत्येक में पौध संरक्षण का कार्य हमारे प्रदेश में चालू है। शिकायतें यह आती थीं कि कीटाणु नाशक दवाओं मे मिलावट होती है। शिकायतें आती थीं कि दवायें प्रभाव हीन हैं। तो इस पर भी आदेश दिये गये हैं कि छापे मार-मार कर कीटाणु नाशक दवाओं के गुण को देखा जाय। अगर किसी ने मिलावट की है तो कड़ाई से उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय। यह भी मान्यवर, आदेश दिये गए हैं कोई भी कीटाणु नाशक दवाई नहीं ली जायगी। जिसके ऊपर एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। इसके अलावा दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग डेट कब उसका निर्माण हुआ है और कब तक यह सही काम करेगी, इस प्रकार की बातों को देखकर दवायें क्रय की जायेंगी। इसी तरह से मिलावट के ऊपर भी प्रदेश में विशेष ध्यान दिया जायेगा।

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि एक बात का प्रचार ज्यादा से ज्यादा हो। पीछे भी मैं कई दफे कह चुका हूं। उत्तर प्रदेश के विशेषज्ञों के अनुसार इस प्रदेश में 60 करोड़ चूहे हैं। ६ चूहे एक व्यक्ति के बराबर, जो एक व्यक्ति अनाज खाता है उसके बराबर अनाज खा जाते हैं १० करोड़ जनसंख्या के लिये जितना अनाज उपलब्ध हो या होना चाहिये उतना ही अनाज बरबाद इस प्रदेश के चूहे कर रहे हैं।

एक योजना चूहों के विनाश के लिये बनायी गयी है। प्रदेश के १२ जिलों में जहां सघन कृषि की जा रही है। वहां पर चूहे जो हमारा इतना बडा नुकसान करते हैं, उनको मारने की योजना चलायी जा रही है। करीब-करीब १२ करोड़ चूहे इस वर्ष मारने की योजना है।

एक सदस्य—

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। क्या गिने हैं?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

स्पष्टीकरण बाद में ले लीजिएगा। मान्यवर, एक दिन माननीय सदस्य के नेता इस बात की चर्चा कर रहे थे कि कितने चूहे हैं और कैसे गिने हैं। मान्यवर विशेषज्ञ हैं अपने प्रदेश में भी हैं जो इस बात की जानकारी कराते हैं कि चूहे कितने होंगे। रैन्डम एक्सपेरीमेन्ट के आधार पर संख्या का अनुमान लगाया जाता है। एक निश्चित क्षेत्रफल को खोदा जाता है। उसमें देखा जाता है कि कितने चूहें हैं। रेन्डम एक्सपेरीमेन्ट के आधार पर ही कहा जाता है अनुमान लगाया जाता है कि प्रदेश, देश और संसार में इतने चूहे हो सकते हैं।

मान्यवर एक हैरत और ताज्जुब की बात मुझको भारत सरकार की एक पुस्तक देखने को मिली उसमें मान्यवर यह लिखा हुआ था कि १ जोड़ा चूहा ३ वर्ष में ३५ करोड़ चूहे पैदा करता है। ऐसी स्थिति है चूहों की। इसलिए यह कोशिश होगी कि सरकार की कि अगले ५ साल के अन्दर प्रदेश से चूहों का विनाश किया जाय। १२ करोड़ चूहे इस वर्ष नष्ट करने की योजना १२ जिलों में है।

मान्यवर, सभी मानते हैं कि १० फीसदी तक वैज्ञानिक ढंग के भंडारण न होने के कारण अनाज खराब होता है, इस सरकार ने निश्चय किया है कि उन्नत किस्म की बुखारियां बहुत मुनासिब कीमत पर एक चौथाई टन की या आधे टन की कृषकों को दिलायी जायं। इसका जो लक्ष्य निर्धारित किया है वह २५ हजार बुखारियों की स्थापना का है। इससे जो अनाज पैदा होता है उसको १० फीसदी तक इस तरह से बचा सकें ताकि जो घुन लग जाता है या शक्ति खराब हो जाती है या अन्य कीटाणुओं से हानि हो जाती है उसको बचाया जा सके। इस तरह हमारा उत्पादन नुकसान से बच जाएगा और स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में इस समय २४६ मन्डियां हैं जहां कि कृषि उत्पादन मन्डी अधिनियम लागू किया जा चुका है। हमारी चेष्टा है कि ५ वर्ष में २५ करोड़ रुपये से ७० मन्डियों के मन्डी स्थलों का निर्माण कराया जाय। यह भी चेष्टा है कि कृषकों को लिंक रोड से सहायता पहुंचाई जाय और बड़े-बड़े गांवों को मन्डियों से जोड़ा जाय। पानी के पीने की, साये की जानवरों के लिए शेड का, निलामी के लिए साये हेतु वृक्षों का भी प्रबन्ध करने की व्यवस्था कर रहे हैं। मान्यवर, शासन की यह भी चेष्टा है कि इस चालू वित्तीय वर्ष में जो आमदनी आज है उससे ड्योढ़ी या दो गुनी आमदनी कृषि उत्पादन मन्डियों को हो, ऐसा हम प्रयास करेंगे।

मान्यवर हमें स्वीकार करना चाहिए कि प्रदेश में प्रति वर्ष आबादी तेजी से बढ़ती जाती है। लेकिन कृषि योग्य भूमि तेजी के साथ न केवल नालों के किनारे प्रति वर्ष कटती जाती है बल्कि कल कारखाने, सड़कें रेलवे, लाइनें और नयी कालोनी बनने से भी घटती जाती है। इस तरह घटने के साथ-साथ किसान के बेटों में जमीन बंटती ही जा रही है। इसलिए उसके लिए आवश्यक हो गया है कि उन्नतिशील बीजों का प्रयोग किया जाय, खाद और सिचाई की उचित व्यवस्था कर सधन कृषि की जाय। इसके साथ ही साथ आज मान्यवर प्रदेश में १२,३०,००० रेवीन्स हैं जो जमुना और चम्बल की घाटियां है, उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। तीसरे हमीरपुर जिले में बेतवा हैं। इन सब में प्रति वर्ष नयी जमीन नदियों के किनारे से कटती जाती है और माननीय सदस्यों को जानकारी है ही कि आगरा में जहां चम्बल और जमुना के रेवीन्स हैं, जहां हाथी का पता भी न चले ३०-३० और ४०-४० फीट गहरे कटाव हो चुके हैं। इस तरह से कृषकों की जमीन कट जाती है उनकी आमदनी का कोई साधन नहीं रह जाता है तो मजबूर होकर वह चोरी और डकैती करते हैं। प्रदेश सरकार का प्रतिवर्ष २० लाख रुपया और जब से एन्टी-डकैती अभियान चला है तब से लेकर आज तक ३ करोड़ रुपया एन्टी डकैती आपरेशन्स पर व्यय हो चुका है। सरकार की यह कोशिश होगी कि रेवीन्स रिक्लेमेशन की तरफ विशेष ध्यान दिया जाय। सरकार पाइलेट प्रोजेक्ट चलाकर सक्रियता के साथ इसके रिक्लेमेशन पर विचार करेगी ताकि जमीन का कटाव न हो, जो जमीन रेवीन्स बन चुकी है और कट चुकी है, उसको समतल बनाया जा सके।

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

इसी प्रकार मान्यवर १० लाख हेक्टेयर ऊसर भूमि है। अभी तक ऊसर भूमि का अच्छा और बड़े पैमाने पर कोई विकास तथा सुधार नहीं हो सका है। यह प्रसन्नता का विषय है कि कृषि विश्वविद्यालय कानपुर के जो कुलपति हैं श्री कौल, उनकी इसमें विशेष रुचि है, ऊसर के सुधार में उन्होंने एक नोट शासन को भेजा है और वह शासन के विचाराधीन है। उनकी कोशिश व दिलचस्पी से तथा करनाल जहां इसका अनुसन्धान केन्द्र है, उनसे जानकारी प्राप्त करके अपने प्रदेश के ऊसर के सुधार पर भी कोई ठोस कदम उठाने पर यह सरकार विचार करेगी।

इसी प्रकार मान्यवर, स्वायल कन्जरवेशन का भी प्रश्न है। भूमि का संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। प्रदेश में ५२ लाख हेक्टेयर जमीन है जिसका संरक्षण करना है और अब तक हम केवल १९ लाख हेक्टेयर भूमि का संरक्षण कर चुके हैं। काम अभी भी बहुत बाकी है। १,१२,००० हेक्टेयर भूमि का संरक्षण इस वर्ष करना है। मैं यह मानता हूं कि यह कार्य बहुत बड़ा है और भूमि का संरक्षण कर, ऊसर भूमि का सुधार कर, रेवीन्स की भूमि को समतल कर, हम बढ़ती हुई आबादी को नया खाना देने में समर्थ होंगे। इसके लिए सरकार प्रयत्नशील है।

जहां तक "एग्रो" का प्रश्न है, यह भी कृषि विभाग में आता है। सरकार १९७५-७६ के वर्ष में हापुड़ में उर्वरक प्लान स्थापित करने पर विचार कर रही है। इसके अलावा जो पुराने और नए ट्रैक्टर हैं उनकी ओवरहालिंग की और मरम्मत की व्यवस्था की जा रही है। हमारी यह भी चेष्टा हो रही है और इस सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार भी चल रहा है कि तंजौर से जो ट्रैक्टर आता है वह रेल द्वारा और सड़क से आता है? हमने यह सोचा है कि उधर के कृषकों के लिए एक सेल प्वाइन्ट हापुड़ में स्थापित कर दिया जाय। अभी इस दिशा में पत्र-व्यवहार चल रहा है।

कृषकों को बहुत भारी शिकायत थी कि जो भूमि विकास बैंक से कर्जा दिया जाता है और वह कर्जा जिनफर्म को दिया जाता है वह खराब माल ऊंची कीमत पर कृषकों को देते थे। शासन ने यह निर्णय किया है कि मेरठ, बरेली और लखनऊ डिवीजन में यह सारा काम एग्रो करेगी। जो बाद में भी सेवा करेगी किसानों की। यदि उसमें कोई खराबी होती है है तो उस दिशा में भी एग्रो सचेत रहेगी। सरकार ने यह निश्चय किया है कि कृषक कहीं से भी अपनी इच्छानुसार जो स्वीकृत फर्म्स हैं उनसे स्वीकृत इंजन या पम्प ले सकता है। इससे जो अब तक कृषकों को शिकायत रही है वह नहीं रहेगी। मान्यवर, दस जिलों में दस नये सेवा केन्द्र एग्रो ने स्थापित करने का निश्चय किया है। ये स्थान रामपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर, हापुड़, शाहाबाद, संडीला, धामपुर, नगीना, अमरोहा और सिसवा बाजार हैं। इसी प्रकार कोसी, कोटद्वार, कर्णप्रयाग तथा कुंडा में फसल संरक्षण फैक्ट्रियों में उत्पादन का कार्य प्रारम्भ होगा। कायमगंज, हापुड़ तथा लखनऊ में आलू के पाउडर तथा आलू मिक्स बनाने का प्रयोग किया जाएगा। विकासनगर में फल संरक्षण की इकाई की स्थापना का कार्य भी प्रारम्भ होगा। मुरादाबाद में पशु आहार बनाने की फैक्टरी में उत्पादन प्रारम्भ होगा। अन्न के भंडारण के लिए बुखारी, (बीन्स) तथा गोबर गैस प्लान्ट के यन्त्रों का निर्माण व्यापक रूप से किया जाएगा। लखनऊ में आधुनिक दाल मिल की भारत सरकार के सहयोग से स्थापना की जाएगी। हापुड़ में मसाले पैक करने की इकाई की स्थापना इसी वर्ष कर दी जाएगी।

जहां इन बातों की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया है वहीं मैं यह कहना चाहूंगा कि फल और सब्जी का भी बहुत भारी महत्व है। इसलिए प्रदेश की सरकार ने कोशिश की है कि जो हमारे पुराने बागात हैं ९,४०० हैक्टेयर में उनका पुनर्नवीनीकरण किया जाय और ७,८०० हेक्टेयर में नए बागात लगाए जायं। कृषि पुनर्वित्त निगम की सहायता से १४ जिलों में उद्यान रोपण की योजना है। यह जिले

वाराणसी, मिर्जापुर, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, आगरा, एटा, अलीगढ़, सहारनपुर, देहरादून, झांसी व ललितपुर हैं। इस समय प्रदेश में ३३ नर्सरियां हैं। सब्जी के अच्छे बीज उपलब्ध कराने के लिए ५ नर्सरी काम कर रही हैं लेकिन इस वर्ष यह कोशिश है कि हर मन्डल में उन्नत सब्जी के बीज का उत्पादन किया जाय। सरकार की यह कोशिश होगी कि अनाज का प्रयोग कम हो और अनाज के साथ-साथ सब्जी का प्रयोग बढ़े। इसके लिए कृषक अपने घर में और खेतों में अपने बच्चों के लिए, रिश्तेदारों के लिए सब्जी उत्पन्न करे। इसके लिए एक अभियान चलाया जायगा। मान्यवर, प्रदेश में ७ लाख के करीब निजी नलकूप हैं और इससे भी ज्यादा तादाद में मेसनरी वैल्स हैं। कोशिश यह होगी कि हर कृषक यहां एक या एक से अधिक फलदार पेड़ लगाए जिससे शाया प्राप्त कर सके और फल भी खा सके और प्रदेश की जलवायु को संतुलित रखने में सहायक हो सके। मान्यवर, प्रदेश में बहुत बडी मात्रा में आलू का उत्पादन हुआ है। इस प्रदेश में देश का ३४ प्रतिशत आलू उत्पन्न होता है। लेकिन भन्डारण की व्यवस्था केवल ६ १/२ लाख टन या ६ ३/४ लाख टन के करीब है। हमारी यह चेष्टा होगी कि अगले वर्ष भन्डारण की क्षमता कुछ और बढ़ायी जाय। भडारण के सिलसिले में जो कई वर्ष से शिकायत थी कृषकों की, आलू उत्पादकों की, शीतगृह मालिकों की, कि बिजली शीतगृहों को नहीं मिलती, सरकार ने उसके लिए यह प्रयास किया कि १८ घन्टे बिजली उनके लिए उपलब्ध करायी जाय। मैं यह स्वीकार करता हूं कि कुछ जगहों पर, सी क्लास की म्युनिसिपैलिटीज आदि जगहों पर कुछ कम बिजली जरूर रही, लेकिन फिर भी तमाम प्रदेश का औसत ४७ मिनट ही कम रहा, १८ घन्टे में।

शीतगृहों में आलू रखने के नये भाव १२ १/२ रुपये प्रति क्विन्टल हैं। सरकार ने एक नया आदेश प्रसारित किया कि जो नियमों का उल्लघंन करेगा, उसके खिलाफ भारत सुरक्षा नियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। उसका सालीटरी इफेक्ट भी हुआ है। जो अवांछनीय तत्व थे, वे उससे घबराये हैं। सरकार इस बात की भी कोशिश करेगी कि शीतगृहों के सम्बन्ध में एक अधिनियम शीघ्रातिशीघ्र इस माननीय सदन से स्वीकार कराये, जिससे जो शीतगृहों के अन्दर दोष हैं, और उत्पादको का शोषण किया जाता है, वह न हो सके। मान्यवर, हमारी यह भी कोशिश होगी जिस पर सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है, कि आलू उत्पादन का एक निगम बने, जो उत्पादन की तरफ, आलू रखने की तरफ और मार्केटिंग की तरफ ध्यान दे। आज सबसे बड़ी दिक्कत आलू उत्पादकों की यह है कि उनके बिक्री की एजेन्सी प्राइवेट एजेंसी है। पी० सी० एफ० ने भी केवल १४४ टन ही आलू उत्पादकों का खरीदा। सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि कोई इस प्रकार की एजेन्सी आलू के लिए बनायी जाय, जो उत्पादकों के आलू की खरीद कर सके। तो दूसरे स्टेट में उत्पादको के इन्टेरेस्ट में, इस प्रकार की एजेन्सी के गठन करने पर सरकार विचार कर रही है।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में बुन्देलखंड निगम और पूर्वान्चल विकास निगम की भी स्थापना गत वर्ष में हुयी है। अगले वर्ष पूर्वान्चल विकास निगम ने दो मिनी चीनी मिलें बस्ती तथा आजमगढ़ जनपद में एक वर्कशाप गोरखपुर जनपद में, एक दाल मिल बहराइच जनपद में, एक लकड़ी का सामान बनाने की इकाई बस्ती जनपद में, एक ऊनी धागा बनाने का कारखाना फैजाबाद में स्थापित करने का निश्चय किया है। इसी तरह से बुन्देलखंड विकास निगम के जरिये एक मिनी चीनी मिल करछना, (जिला इलाहाबाद) में झांसी और खिल्ली-मड़ौरा में दो स्टोन क्रशर, राठ और माधोगढ़ में स्थापित चीनी मिलों के साथ एक-एक तेल

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

मिल की स्थापना उन्हीं चीनी मिलों में वर्क शाप तथा कृषि यन्त्रों के निर्माण की व्यवस्था की गयी है। करबी (जिला बांदा) औरई (जिला जालौन) और झांसी में एक-एक ईंट के, भट्ठों की इकाइयां स्थापित करने पर भी बुन्देलखंड निगम ने निश्चय किया है। इस प्रकार इस चालू वित्तीय वर्ष में कृषि का उत्पादन बढ़ाने हेतु, निगमों के जरिये कृषकों तक शोध कार्य पहुंचाने की ओर मैंने माननीय सदस्यों का ध्यान आपके माध्यम के आकर्षित किया है। मुझे उम्मीद है कि माननीय सदस्य जब अपने विचार रखेंगे उनको सुनकर मैं और फायदा उठाऊंगा उनके विचारों को सुन कर हम कुछ और कार्यवाही ही करने की चेष्टा करेंगे। इसके अतिरिक्त परसों २५ तारीख को जब मांगों पर मतदान होगा मैं माननीय सदस्यों की बातों पर उत्तर दूंगा उस समय मुमकिन है कि मैं कुछ और नई घोषणायें माननीय सदस्यों को सुन कर कर सकूं। इतना कह कर मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

*श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा के प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४४ के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४६ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४७ के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ७६ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १२ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, इस कमी करने का उद्देश्य कृषि विभाग में व्याप्त अनियमितता, अनिश्चय, भ्रष्टाचार और सुझाव से सम्बन्धित है। मैं माननीय मन्त्री के विचारों को बड़े ध्यान से सुनता रहा। मुझे यह आशा थी कि इस बार कोई नई चीज इस बजट में होंगी लेकिन वही घिसी पिटी बातें और पुरानी बातों को दोहराया गया जिनको पूर्व के मन्त्री अपने भाषण के दौरान कहा करते हैं। माननीय मन्त्री जी ने यह कहा कि किसानों को जानकारी देने के लिए ज्ञान केन्द्र जिलास्तर पर स्थापित किए जा रहे हैं। अंग्रेजी काल में ईस्ट इन्डिया कम्पनी को भी इस बात की चिन्ता हुई थी कि कृषि विभाग का सुधार कैसे किया जाय? और कई चीजें उसमें चलती रहीं। मान्यवर, १९वीं शताब्दी में १२ अमरीकी किसानों को यहां कपास के उत्पादन के लिए बुलाया गया था लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली। सन् १९६४ में मद्रास सरकार ने भाप से चलने वाले कुछ औजारों का प्रयोग जुताई और अन्य साधनों के लिए प्रयोग किया था लेकिन उसमें भी वह असफल रही। उसके बाद अन्त में ब्रिटेन की एक अनुसन्धान शाला के संचालक सर जौन रसिल को बुलाया गया था जिनसे कि भारत की खेती के बारें में अपनी राय देने के सम्बन्ध में कहा गया था। उन्होंने यह राय दी कि जो भी जानकारी कृषि विभाग को या भारत के कृषि विशेषज्ञों को आजकल इस सम्बन्ध में हो पायी है उसे किसानों तक पहुंचा दी जाय। इस पर उन्होंने रिपोर्ट भी दी थी। उसी हेतु सन् १९४८-४९ मेंप्रचार के लिए एक विभाग इसी कृषि विभाग के अन्तर्गत कायम किया गया लेकिन उस विभाग से ऐसा मालूम होता है, जैसा कि मंत्री जी की बातों से विदित होता है, कि जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बोर्ड बनाने की बात कही गई है, उसी राय के आप भी बन चुके जैसा कि अंग्रंजों की राय थी। यह जो बीच का समय गुजरा उसका सदुपयोग नहीं किया गया, दुरुपयोग किया गया।

मान्यवर कृषि में सबसे बड़ी चीज जो है वह है स्थिरता और मनोबल का होना। उसके बाद पूंजी, श्रम और हुनर होना चाहिए। इसके साथ ही साथ मैं स्थिरता के बारे में कहूं कि भूमि सम्बन्धी जो आपके कानून हैं वह अलग-अलग हैं। कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां कि जमीन के सम्बन्ध में अलग-अलग विधियां हों। एक ही जमीन पर चार-चार बार मुकदमें चलते हैं। उत्तर प्रदेश में ही केवल ऐसा है। पहला है आपका लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट। दाखिल खारिज का मुकदमा १० साल तक लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट में लड़िए, फिर जमींदारी एबोलिशन ऐक्ट में लड़िए, फिर चकबन्दी आ गई तो उसमें लड़िए। इस प्रकार यहां का किसान मुकदमेंबाजी में ही सालों लगा रहता है। इससे उसकी पूंजी और परिश्रम बेकार जाता है और साथ ही साथ दरिद्र होता जा रहा है। इसका मुख्य कारण यह भी है कि जमीन के सम्बन्ध में कोई निश्चित कानून आपके यहां नहीं है। मैं नहीं जानता कि मैं कहां तक सही हूं लेकिन मुझे जानकारी है कि एक कमेटी बनायी गयी थी जिसने कि दो साल पहले जो मौजूदा भूमि सम्बन्धी कानून है, उसको समाप्त करने के बारे में रिपोर्ट दी थी और कहा था कि एक ही कानून जमीन के बारे में होना चाहिए और सब कानूनों को समाप्त कर दिया जाना चाहिये जिससे जो वाद चलते हैं रुक जायं और किसानों का पैसा फालतू खर्च न हो जो कि खेती की तरक्की के लिए काम आ सकता है। लेकिन सरकार ने उसके ऊपर कोई कार्य व कार्यवाही नहीं की और न उसे कानून के रूप मे बनाया। मैं समझता हूं कि कई रेवेन्यू मिनिस्टर इसके अध्यक्ष रह चुके हैं, हाईकोर्ट के कई जज और कई देश विधि वेत्ता, बड़े-बड़े वकील जो रेवेन्यू के मास्टर हैं वे इसके सदस्य रह चुके हैं लेकिन इन लोगों की राय के मुताबिक सरकार ने कुछ भी काम नही किया है। इससे पता चलता है कि सरकार ने कोई दिलचस्पी, किसानों को निश्चित करने या उनमें स्थिरता लाने को कोशिश नहीं की है। मैं चाहूंगा कि यदि मंत्री जी को जरा भी हमदर्दी किसानों के प्रति है तो इसके ऊपर वे ध्यान दें और इस समस्या को सुलझावें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी उसी दल के हैं जहां पर महात्मा गांधी का नाम बार-बार लिया जाता है और उनके आदेश पर चलने की बात कही जाती है। माननीय मन्त्री जी ने यह कहा कि पूर्वांचल निगम और बुन्देलखंड निगम बनाया जा रहा है। उसको बनाकर कारखाने लगाने की बात और वर्कशाप लगाने की बात कही। लेकिन इससे मुझे प्रसन्नता नहीं हुई और मैं समझता हूं कि अन्य माननीय सदस्य को भी प्रसन्नता नहीं होगी क्यों कि निगम बनाने से लाभ जो है अन्ततोगत्वा किसानों को नहीं होगा। कुछ लोगों को रोजी मिल जाएगी बस इतना ही सिर्फ उससे फायदा हो जाएगा। हमारे बापू जी ने बेकार बड़ी सीधी सी बात कही थी कि खेतों में जो लोग लगे हुये हैं वह न रहे उनके परिवार वालों को भी काम दिया जाय और उनको व्यस्त रखा जाय। उनकी आमदनी बढ़ाने का एक ही तरीका है, माननीय मन्त्रीजी निगमको घोषणा के साथ-साथ यह कहते कि इस निगम ने यह तय किया है कि अपने क्षेत्र में लघु उद्योग बढ़ाने और कुटीर उद्योग चलाने के लिये यह योजना बनाई है और हर किसान को जो बेकार रहता है उसको काम देंगे, उसके बेटे को काम देंगे, उसके घर के लोगों को काम देंगे तो मुझे प्रसन्नता होती। लेकिन उससे कुछ भी होने वाला नहीं है एक नहीं कई निगम आप बना दें।

हमारा प्रदेश कृषि के मामले में बहुत महत्व रखता है। गेहूं के बारे में मन्त्री जी ने कहा कि इसमें हमें आशातीत सफलता मिली है। मुझे जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं उसके

[श्री शारदा प्रसाद रावत]

अनुसार आपकी औसत उपज १२.२५ क्विन्टल है जब कि बंगाल, हरयाणा में २० क्विन्टल लगभग है। मान्यवर, जब इतना बड़ा अन्तर हो तो फिर इसको आप आशातीत सफलता माने तो यह बात जो है निराशाजनक लगती है। यदि मन्त्री जी यह कहते कि मुझे अफसोस है कि हम गेहूं में तरक्की नहीं कर सके तो मुझे विशेष खुशी होती। लेकिन यहां पर सारी चीजें जो हैं वह रिकार्ड के ऊपर होती हैं। तो तुझे इन बातों से तकलीफ हुई है।

चावल के मामले में यह कहा गया कि अन्य प्रदेशों से हम पीछे हैं। मुझे दुख है, मैं एक किसान हूं और इस प्रदेश का किसान हूं, मुझे लज्जा आती है इस बात से कि पूरे प्रदेश में चावल के मामले में हम हर प्रदेश से पीछे हैं। इसका कारण मैं आगे चल कर निवेदन करूंगा।

मान्यवर, पांच चीजें हैं जिनके कारण हमारे प्रदेश में कृषि का महत्व है। सबसे पहली चीज यह है किहमारे यहां अधिकांश लोग ८० फीसदी लोग खेती करते हैं या खेती से सम्बन्ध रखते हैं। उनकी तरक्की से ही खेती की तरक्की हो सकती है। जब तक उनकी तरक्की नहीं होगी तब तक खेती की तरक्की नहीं होगी और फिर अन्य क्षेत्रों में भी तरक्की नहीं होगी। उसको मैं यों कहना चाहता हूं कि जहां तक पैदावार पिछले वर्ष गेहूं की इस प्रदेश में हुई थी यदि उससे सवाई ज्यादा इस साल हुई है तो जितने बैल गाड़ियां उसे मन्डियों तक ढोने में लगे होंगे उसकी सवाई ज्यादा बैलगाड़ियां इस साल लगायी जायेंगी और जितने ट्रक मन्डियों से दूसरी मन्डियों तक ढोने के लिए लगे होंगे उसके सवाई ज्यादा इस साल लगेंगे और जितने व्यापारी, मुनीम और पल्लेदार उस काम में लगे होंगे ठीक उसके सवाई ज्यादा इस साल लगेंगे। तो जो भी ट्रक या बैलगाड़ियों की मांग कर रहे हैं उनको लगाने के लिए कारखाने की जरूरत होगी। तो उसमें हमारे बहुत से लोगों को पल्लेदार आदि को रोजगार मिल जाएगा और इसके साथ-साथ और भी चीजें हैं उनकी क्रयशक्ति बढ़ेगी और अन्य वस्तुयें भी उसमें इस्तेमाल होंगी जैसे कपड़ा, जूता, साइकिल हैं या दूसरी चीजें हैं या अन्य चीजें—किताब या कापी हों—ये सब उस सवाये के अनुपात से बढ़ती जायेंगी और उनके कारखाने भी अधिक से अधिक उत्पादन करेंगे। नतीजा यह होगा कि उन कारखानों के मजदूरों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। उससे यह होगा कि जो लोग बेकार हैं, उनको काम मिल सकेगा। मान्यवर, यह देखा गया है कि जब प्रदेश में भयंकर बाढ़ आती है, फसलें बर्बाद हो जाती हैं और फिर उससे किसान के पास कपड़ा खरीदने के लिए पैसा नहीं रह जाता है तो उस समय कानपुर या अन्य जगहों पर कपड़े के कारखाने बन्द होने लगते हैं। वहां हड़तालें होने लगती हैं और यह मांग होने लगती है कि उन कारखानों को सरकार अपने हाथ में ले ले। इस सबका कारण यह था कि क्रयशक्ति नहीं बढ़ी। मैं तो यहां तक कहूंगा कि जो देहातों के खेती में लगे लोग हैं, जो खेतिहर मजदूर हैं, जब तक उनकी क्रयशक्ति नहीं बढ़ेगी, तब तक इस देश का उत्पादन वह चाहे जिस क्षेत्र का हो नहीं बढ़ेगा न उसका मार्केट ही डेवलप कर सकता है। न उसके कारखाने अधिक लग सकते हैं। लगेंगे भी तो उनकी उत्पादित वस्तुओं की मांग नहीं होगी, क्योंकि अधिक उत्पादित वस्तुयें खरीदी नहीं जा सकेंगी और वे कारखाने बेकार हो जायेंगे।

मान्यवर, जो आदमी हैं वह खेती छोड़कर अन्य प्रदेशों में तभी जाएंगे, जब उनको यह इतमिनान हो कि इसमें हमें भोजन मिलेगा। शहर की तरफ वे तब ही बढ़ेंगे जब उनको विश्वास हो कि वहां उनको रोजी रोटी मिल सकेगी। लेकिन जब पैदावार नहीं बढ़ेगी तो शहर के आदमी भी भूखे रहेंगे और गांव के आदमी भी। और जो शहर के आदमी हैं, वे भी मजबूर होकर गांव की ओर भागेंगे। कहीं-कहीं कभी इस बात का नारा लगाया गया कि शहर के लोग गांव की ओर चलें। वह ब्रिटेन की स्थिति थी और यह उस समय की जब उसे जर्मनी ने चारों ओर के पनडुब्बियों से घेर लिया था। उस समय यह नारा था

कि गांवों में लोग जायं और अधिक अन्न उत्पादन करें तथा जो उत्पादन मूल्य है --जो बाजार भाव है, उससे भी अधिक किसानों को उनके उत्पादन का मूल्य दिया जाय। अमेरिका और ब्रिटेन में इस तरह की मिसालें मौजूद हैं। आज हम अमेरिका के सामने तथा अन्य देशों के सामने अपने सिर को झुकाकर अन्न के लिए भीख मांगते हैं। निश्चित रूप से इससे हमारा सम्मान घटता है, हमारी अन्तर्राष्ट्रीय जगत में प्रतिष्ठा घटती है। जब हम उनके सामने जाकर गल्ले की भीख मांगते हैं, तो यह बात हमारे लिए कम अपमान की नहीं है। मैं यह चाहूंगा कि आज इस प्रदेश में इस सरकार को भी यह घोषणा करनी चाहिए कि चाहे प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो हम किसान को प्रोत्साहित करने के लिए उसके गल्ले का बाजार भाव से भी ज्यादा दाम देंगे। आपको यह करके उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। इस साल तो आंकडे हमें नहीं मिल पाए हैं, लेकिन पिछले साल जो मिले थे, उसमें पड़ा था कि सन् १९६८-६९ में गेहूं की पैदावार का प्रतिशत उस समय तक हुई समस्त वर्ष की पैदावार की अपेक्षा सबसे अधिक था। उसका कारण यह नहीं था कि उस साल कोई विशेष बात या घटना हुई थी, उसका कारण सिर्फ एक था कि १९६५ में भारत की एक अन्य देश के साथ लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई में हमारे तत्कालीन प्रधान मन्त्री ने ऐलान कर दिया था कि हम एक वक्त भूखे रह जाएंगे, दो वक्त भूखे रह जायेंगे, बिना खाए मर जायेंगे लेकिन अमरीका से सिर झुका कर गेहूं मंगाया नहीं जायगा। उस समय जो नारा 'जय जवान' के साथ "जय किसान" का दिया गया था उसका प्रभाव था कि १९६८-६९, १९७० और १९७१ में बम्पर फसल हुई। उस समय किसानों का स्वाभिमान जागा था और किसानों में उसका प्रतिफल था। यह उस नेता को श्रेय था जिसने यह नारा दिया था। उसके बाद जहां किसानों में यह भावना आई थी वहां उस साल गेहू मंहगा हुआ था। १९६७ में १०७ रुपये क्विन्टल गेहूं बिका था। दूसरी तरफ संविद सरकार ने ८०-८५ रुपये क्विन्टल के हिसाब से लेवी ली थी। जब अप्रैल, में १५०-१६० रुपये का गेहूं का भाव था वह आगे जाकर मिला और १२५, ११५और११० रुपए पर आ गया।

जब किसान गल्ला पैदा करता है, अप्रैल और मई में गल्ला सस्ता होता है और अगस्त सितम्बर में मंहगा होता है। लेकिन यह १९६७ से लेकर १९७० तक यह रिकार्ड रहा कि अप्रैल मई में गल्ला मंहगा था और अगस्त सितम्बर में सस्ता हो गया। जो गेहूं ८४ तथा ९० रुपये था वह ७६ रुपये पर आ गया। इसमें कोई बात नहीं थी और घाटा हो गया वह व्यापारियों को गया क्योंकि कोई किसान इतनेदिनों तक गल्ला अपने पास नहीं रख सकता। मैं बड़े-बड़े फार्म वालों की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि उन किसानों की बात कर रहा हूं जिनका व्यवसाय हीं खेती है। मध्यम वर्ग के किसानों की बात करता हूं। वह ज्यादा दिन गेहूं नहीं रख सकता है। नवम्बर का घाटा भी बड़े व्यापारियों को हुआ। उस समय मन्त्री जी भी मन्त्रि-परिषद् में थें। जो नीति निर्धारित की गई थी, उसका यह फल था कि जब किसान बेचने आया तो महंगा रहा और बाद में सस्ता रहा। लेकिन आज नीति अलग है। पिछले वर्ष १०५ रुपये क्विन्टल गेहूं किसानों ने दिया। हमारा किसान बड़ा उदार है। लेकिन उसे उस समय कष्ट होता है जब उसको मजदूर जिसको वह ३ रुपए रोज मजदूरी देता है अगस्त सितम्बर में ढाई तीन रुपए किलो गेहूं खरीदता है। उसको कसक पैदा होती है और वह कहता है कि मैं कितना दबाया जा रहा हूं कि मुझसे १०५ रुपए गेहूं लिया गया और जो मेरे साथ काम करने वाला है उसको तीन रुपये किलो गेहूं मिलता है।

हमारे माननीय सदस्य जो यहां मौजूद हैं और जिन्होंने इस स्थिति का अध्ययन किया होगा उनके दिल में दर्द पैदा होता होगा। किसान यह नहीं चाहता है कि आप उसे अधिक कीमत दें। लेकिन यह नहीं होना चाहिये कि उससे तो आप १०५ रुपये लें और

[श्री शारदा प्रसाद रावत]

व्यापारी उसे रख ले तो उसे १५०-२०० रुपये विक्न्टल के दाम मिलें। यहीं पर जो है सरकार की तरफ घृणा करता है। यहीं पर उसके दिल में ज्वालामुखी उभड़ती है। वह हमेशा कमजोर रहा है। उसने कभी क्रान्ति नहीं किया है। देहात के छोटे-छोटे मजदूर, देहात के छोटे-छोटे किसान, जो अपनी शादी के लिए, अपनी गिरंव की हुई जमीन को छुड़ाने के लिये, जो उसने अपना गेहूं १०५ रुपये में बेचा है और फिर मजदूरी करके पैसा कमाता है और फिर अपने खाने के लिये वह गेहूं २००-२५० रुपये में खरीदता है, तो उसके दिल पर क्या बीतेंगी? इससे आपके वित्त पर असर आयेगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, लेकिन ऐसी बात नहीं। जो मुद्रास्फीति होती है जो पूंजी आप लगाते हैं, उससे आपकी मुद्रास्फीति होती है। कहीं भी ऐसा नहीं देखा गया है कि किसानों को गेहूं की कीमत देने से मुद्रास्फीति हो। यह अगर सुना जाता है तो राजनैतिक नेताओं के मुंह से। किसानों को अधिक दाम देने से आपकी मुद्रास्फीति नहीं होने वाली है, उससे आपके कारखाने तरक्की करेंगे।

मान्यवर, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हमारी बनी, उसमें इस देश के राजनैतिक नेताओं ने यह निश्चय किया कि ३७ प्रतिशत हम कृषि पर लगायेंगे और उसके बाद ५ प्रतिशत बड़े उद्योगों पर लगायेंगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना में आपने उसको घटाकर २० प्रतिशत कर दिया और बड़े उद्योगों पर कर दिया २४ प्रतिशत और तीसरी में भी वही २० और २४ का रेशियो आपका रहा और फिर भी आप कृषि की तरक्की की बात करते हैं, कारखानों पर आप अधिक पैसा लगा रहे हैं। दूसरे देशों में कारखानें इसलिये लगते हैं चूंकि वहां पर आदमियों की कमी है, इसलिए वहां पर मशीनों से ज्यादा काम लिया जाता है। लेकिन हमारे देश में या चीन में आदमी ज्यादा है, यहां पर जितनी ही कम मशीनों का प्रयोग होगा, उतने ही आपके आदमियों को काम मिलेगा और उतना ही आपके आदमियों के हाथ में पैसा आयेगा। जब देहात के लोगों के हाथ में पैसा आयेगा, तो वह किसान अपना सारा पैसा अपनी खेती के सुधार में लगायेगा। किसान एक धोती पहन कर रह लेगा। उसे अगर अवसर मिलता है तो वह नलकूप लगायेगा। चाहे उसे गिरवी रखना पड़े चाहे उसे कर्ज लेना पड़े, लेकिन फिर भी वह खेत में खाद डालेगा। जो पैसा मिलता है वह कृषि की ओर जाता है। मैंने भी निवेदन किया कि कारखाने अधिक हैं। वहां पर लोग खेती से हटते गये और वह देश सम्पन्न हो गया लेकिन वहां पर आदमी कम थे और काम अधिक था। लेकिन हमारे देश में आदमी ज्यादा हैं और काम कम है। कम्युनिस्ट देश चीन में १९६२ में यह तय किया कि हम सर्वप्रथम खेती पर पैसा खर्च करेंगे और नम्बर दो पर कुटीर उद्योग पर खर्च करेंगे तथा नम्बर तीन पर भारी उद्योग पर पैसा खर्च करेंगे। उसके बाद उस देश ने तरक्की की। उसने कभी भी अमरीका से अन्न नहीं मांगा और न उसके सामने झुका। उसने अपनी नीति के कारण 10 वर्षों में विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में उभर आया और बड़ी शक्तियों ने उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाया। जब तक आप अपनी नीति को निश्चित नहीं करेंगे जब तक आप सही कदम नहीं उठायेंगे, तब तक प्रदेश की तरक्की नहीं होगी खेती की तरक्की नहीं होंगी और किसान की तरक्की नहीं होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय कृषि मन्त्री जी ने कृषि विभाग की ओर कोई सुधार की बात नहीं कही, इससे मुझे निराशा हुई। आज स्थिति यह है कि कृषि विभाग का एक अधिकारी जिला स्तर पर होता है। जहां तक कृषि उत्पादन का सवाल है उसको उसके सम्बन्ध में ज्ञान नहीं होता है। आप ब्लाक स्तर पर चले जाइये तो वहां पर एक सहायक विकास अधिकारी (कृषि) होता है वह विकास क्षेत्र अधिकारी के मातहत कार्य करता है। उसको हमेशा क्षेत्र विकास अधिकारी का मुंह ताकना पड़ता है वह स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य नहीं कर पाता है। इसी प्रकार से आपका

जो कृषि अधिकारी होता है वह जिला नियोजन अधिकारी के मातहत होता है उन्हीं के अधीन और उन्हीं के इशारे पर कार्य करता है। वह बेचारा जिला नियोजन अधिकारी की २४ घंटे खुशामद किया करता है। जिला नियोजन अधिकारी को भी तकनीकी जानकारी नहीं होती है। उनके लिए यह बाइंडिंग नहीं है कि वे कृषि में स्नातक हों, कहने का मतलब यह है कि उनको तकनीकी जानकारी नहीं होती है। और कृषि डाइरेक्टर साहब जो हैं वह नथे हुए हैं ए० पी० साहब से। जो ए० पी० सी० कहेंगे वही डाइरेक्टर साहब करेंगे। मैं तो कहता हूं कि तकनीकी जानकारी न तो डाइरेक्टर को ही है और न ए० पी० सी० को ही है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

वह डाइरेक्टर हो जायेंगे।

श्री शारदा प्रसाद रावत--

इनका मुख्य काम यह है कि खेती की तरक्की हो और उत्पादन बढे। किसान को यह जानकारी दे कि अमुक खाद कितनी डाली जाये। किसान आज जागरूक है। वह जानता है कि कितनी खाद उसे देनी है कितनी फौस्फेट देनी है, कितनी पोटाश देनी है, कितनी नाइट्रोजन देनी है कितना ड्रेसिंग में और कितनी टौप ड्रेसिंग उसे देनी है। इसके अतिरिक्त विशेष जानकारी के लिए आपके बुलेटिन प्रसारित होते रहते हैं। जिन्हें वह बड़ी गौर से सुनता है। कृषि के काम के लिए आपके जो विकास क्षेत्र अधिकारी है, उसे कृषि विभाग के अन्तर्गत आप कीजिये। दूसरे ग्राम सेवक जो कृषि में सहायता करते है, कृषकों की सहायता करते है वे भी कृषि विभाग के अन्तर्गत होने चाहिये जो इस समय सामुदायिक विभाग के अन्तर्गत है। ग्राम सेवक और क्षेत्र विकास अधिकारी के बाद आपके जिले में एग्रीकल्चर औफिसर आते हैं वे सब कृषि विभाग के हों। मेरी माननीय मन्त्री जी से यह प्रार्थना है कि जिलाधीश, जो कि जिले के प्रशासन सुप्रीम अथारिटी होती है उसको छोड़कर जितने भी आपके कृषि अधिकारी हैं वे अन्य लोगों से मुक्त हों, उन पर किसी अन्य अधिकारी का अंकुश न हो। श्रीमन, माननीय मन्त्री जी इस बात का अन्दाजा लगायें कि एक सहकारी क्षेत्र विकास अधिकारी एक विकास क्षेत्र की कितनी सेवा कर पायेगा? आज उसकी बात भी कोई सुनने वाला नहीं है। ग्राम सेवक उसकी बात सुन ले तो सुन ले? मंत्री जी से मेरा सुझाव है कि जिन ८० फीसदी लोगों का जीवन बसर केवल कृषि पर आधारित है, प्रदेश के लोगों का आधारित है, जो इतना महत्वपूर्ण विभाग है उसको इस प्रकार से अपंग बनाकर रखने का क्या क्या औचित्य है?

अब मैं सिंचाई विभाग की ओर आता हूं। ग्राम स्तर पर आपका नहर का पतरौल और टयूबवैल्स आपरेटर आते है, उनके ऊपर भी कोई अंकुश नहीं है। यदि क्षेत्र विकास अधिकारी को कृषि विभाग का अधिकारी बनाकर क्षेत्रीय स्तर पर नियुक्त करते हैं और उस मातहत ३-४ आदमियों को एक ग्राम स्तर पर पतरौल और औपरेटर, दूसरे सहकारिता विभाग के सुपरवाइजर, जो खाद का वितरण करते है, उन लोगों को जो उन्हें पैसा देते हैं, उनको यह भी पता नहीं किस किसान को कितना-कितना खाद देना है तो किसानों की दशा सुधर सकती है।

(इस समय २ बजकर २४ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायण राय पीठासीन हुये।)

उसे यह भी ज्ञान नहीं होता है। हम देख रहे हैं न उससे कोई जवाब तलब होता है और न कोई पूछ ताछ; उसे किसी प्रकार का तकनीकी ज्ञान भी नहीं होता है कि कितने गेहूं के रकबे में कितने खाद की आवश्यकता होगी।

[श्री शारदा प्रसाद रावत]

तो मान्यवर, मेरा यह निवेदन है कि कोआपरेटिव सुपरवाइजर, जो किसानों को खाद देता है, और जो जल्द से जल्द पैसा दे देता है, उसे देता है, उसकी तरक्की और तनज्जुली खेती की पैदावार से जुड़ी हुई नहीं है। इसलिये उसे पैदावार बढ़ाने की कोई चिन्ता नहीं है। उसको भी कृषि विभाग की रिकमेंडेशन पर खाद देने वाली बात का अंकुश होना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय रावत जी, आप और कितना समय लेंगे ?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

मान्यवर, केवल २० मिनट।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि जब प्रदेश की नीति यह हो गई है कि ६० फीसदी खाद का वितरण सहकारिता विभाग से होता है और जो खाद का वितरण करने वाले है, वे न तो कृषि के विशेषज्ञ है और न उन्हें कृषि की कोई शिक्षा है तो फिर कैसे उम्मेद की जाय कि किसान को, उसकी आवश्यकता के अनुसार, खाद मिलेगा और वह उसका सही इस्तेमाल करेगा। आपरेटर जब चाहे चला जाता है. उसकी अगर कोई शिकायत किसाने को करनी हो तो उसे सिंचाई विभाग के हेडक्वार्टर पर जाना पड़ता है। इसी प्रकार से बिजली के लाइनमैन की अगर कोई शिकायत करनी हो तो उसे भी जिले के हैडक्वार्टर पर जाना होता है। तो किसान को इतनी फुर्सत कहा है कि वह सुपरवाइजर, लाइनमैन, पतरौल और आपरेटर की शिकायत करने के लिये दौड़ा दौड़ा जिले को जाय। और न ये अधिकारी किसानों की बात सुनते है। तो इस विभाग का सुधार किया जाय और इसको और अधिकार दिए जायं। आज जिला कृषि अधिकारी का काम केवल खाद तौलना रह गया है। वह केवल खाद गोदाम का निरीक्षण करता है, कहां खाद नहीं बंटी यह देखता है और गबन के केसेज को देखता है। जो उसकी टेक्निकल जानकारी है वह खत्म हो रही है। हर जिले में आपके कई एडीशनल कृषि अधिकारी होते हैं। कम से कम उतने जरूर होते है जितनी तहसीलें एक जिले में होती हैं। मेरा सुझाव है कि इन अतिरिक्त कृषि अधिकारियों को तहसील स्तर पर रखा जाय और उस तहसील की पूरी जानकारी और जिम्मेदारी उनको दी जाय। मतलब इनको अपने काम के साथ जिला कृषि अधिकारी का जो कार्य है उसको भी इनके सुपुर्द किया जाय। आज होता यह है कि मुजफ्फरनगर अगर पैदावार में उत्तर प्रदेश में प्रथम आ जाय तो इनाम देंगे आप डी० पी० ओ० को। लेकिन अगर पैदावार में कमी हो गयी तो उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। प्रदेश की पैदावार बढ़ गयी तो ए० पी० सी० को वाहवाही मिलेगी और पैदावार कम हो गयी तो बदनामी मिलेगी कृषि विभाग को। तो कृषि विभाग की इकाई को अलग करके उसको सारी ताकत देने की आवश्यकता है। जैसा मैंने निवेदन किया, ग्राम स्तर पर क्षेत्र विकास अधिकारी के अंकुश में बिजली, पानी और सहकारिता के लोगों को होना चाहिये। और कुछ नहीं हो सकता है तो इतना तो अवश्य हो सकता है कि उनकी चरित्र पंजिका में प्रविष्टि के लिये राय क्षेत्र विकास अधिकारी की ली जाय कि क्या आपके ब्लाक के पतरौल, आपरेटर, लाइनमैन या सहकारी विभाग के सुपरवाइजर ने किसानों की सेवा में कुछ काम किया या नहीं। जब यह अंकुश होगा तो ये लोग अलग-अलग विभागों में रहते हुए भी दिलचस्पी लेंगे और किसान को जो शिकायत होगी वह क्षेत्र विकास अधिकारी से कह कर उसे दूर करा लेगा।

कृषि के लिये कुछ चीजें जरूरी हैं। सर्वप्रथम तो भूमि जरूरी है। माननीय मन्त्री जी ने बतलाया कि भूमि संरक्षण का कार्य चल रहा है। भूमि संरक्षण में मेड़बन्दी की जाती है। ऊसर भूमि को खेती के योग्य करने का प्रयास किया जा रहा है। मैंने एक

भूतपूर्व कृषि मन्त्री का वक्तव्य पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा था कि व्यवस्था यह की जा रही है आज से १०-१२ साल पहले, कि जो ऊसर भूमि है उसका ऐलाटमेंट जिस किसान को करना है कर दिया जाय और फिर तो-चार साल में उसे खती के लायक कर के उसे दे दी जाय। माननीय मन्त्री जी ने इस बारे में कोई नीति नहीं घोषित की जो ऊसर भूमि आप तोड़ रहे हैं इसके बारे में बड़ा प्रयास किया गया और तमाम कमेटियां अलग-अलग अपनी रिपोर्ट बराबर देती रहीं। और उसके बाद उन्होंने हमेशा ही अपनी यह राय दी है कि ऊसर भूमि को खेती योग्य बनाया जाय। यही राय पहले १८८७ में कायम की गयी, फिर १९०१ में, फिर १९३८ में। प्लानिंग कमीशन ने भी आल इन्डिया बेसिस पर यही राय दी थी कि ऊसर भूमि को खेती योग्य बनाया जाय। मगर इस सरकार के पास इसके लिये कोई निश्चित नीति नहीं है। अगर आप ऊसर भूमि को किसी एक व्यक्ति के लिए एलाट कर दें। उसको ४-५ साल तक खेती योग्य भूमि बनाने में मदद दें, जब जमीन खेती योग्य हो जाय तो वह जमीन उसे ही दे दें। तो इससे जमीन का क्षेत्रफल बढ़ाया जा सकता है।

भूमि संरक्षण विभाग द्वारा मेड़बन्दी का काम चलता है। मेरी जानकारी यह है कि इसमें बड़ा भ्रष्टाचार होता है। जितना पैसा इस काम के लिए लिया जाता है उसका आधा पैसा भ्रष्टाचार में चला जाता है। मेरा सुझाव यह है कि मेड़ बनाने का काम आप किसान पर ही छोड़ दें, वह स्वयं ही उसे बनाये। आप उसे पैसा दे दें। हर किसान अपने खेत की हालत को सुधारना चाहता है, वह बड़ी खुशी से मेड़ बनायेगा। आप केवल उसको तकनीकी जानकारी दे दें।

एक बात यह कहना चाहता हूं कि जंगल काटने से भूमि नहीं बढ़ायी जा सकती। विशेषज्ञों की राय के अनुसार जंगल भी कम से कम २०-२५ प्रतिशत भूमि में होना आवश्यक है, जबकि आपके यहां केवल १० प्रतिशत ही में जंगल हैं। तो आप जंगल से भूमि नहीं ले सकते, यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए आपको खेती बढ़ाने के अच्छे तरीकों को अपनाना होगा। खेती में उत्पादन बढ़ाने के लिये श्रम की जरूरत होती है, पूंजी और हुनर की जरूरत होती है। आपके यहां श्रम की कमी नहीं है क्योंकि ८० प्रतिशत किसान काफी समय बेकार रहते हैं। पूंजी के साथ-साथ हुनर भी आवश्यक है। यह जरूरी नहीं है जिस अनुपात में आप खाद अधिक डालें उतनी उसी अनुपात में उपज भी ज्यादा हो। पदावार तो एक निश्चित सीमा के अन्दर ही बढ़ेगी। अब बीज कितना डाला जाय, कैसे डाला जाय, खाद कितनी डाली जाय, इसके लिए हुनर की आवश्यकता है। मैं मन्त्री जी की इस बात से सहमत हूं कि यदि बीज अच्छा डाला जाए तो उपज १५ प्रतिशत बढ़ सकती है। तो खाद का इस्तेमाल खाद के रूप में हो, पानी की व्यवस्था की जाय, बीज की व्यवस्था हो, इन सब में पूंजी की ही बात है। खेती मान्यवर, चाहे ५० एकड़ की हो, चाहे २५ एकड़ की हो चाहे २ एकड़ की हो, अगर गेहूं का एक बीज उसमें पड़ेगा तो दोनों खेतों में बराबर ही जगह लेगा और बराबर उसको खाद और पानी दिया जाएगा तो वह बराबर ही पैदावार देगा। इसमें कोई अन्तर आने वाला नहीं है। अगर किसी तरह से गांव तक पूंजी नहीं पहुंचा पाए या उसको टेकनिकल ज्ञान नहीं दे सके तो इसमें और किसी का दोष नहीं है, सरकार ने ही उसको नहीं किया। आप जानते हैं कि कृषि विभाग आज मुख्य काम क्या कर रहा है। कहीं पर दालों का प्रदर्शन करना हुआ तो चना, मटर का बीज बंटवा दिया, कहीं सूरजमुखी का प्रदर्शन करा दिया।

[श्री शारदा प्रसाद रावत]

मैं आपके जरिए माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक प्रदर्शन की बात है, सूरजमुखी के प्रदर्शन के लिए हमारे क्षेत्र विकास अधिकारी ने मेरे यहां भी ६ किलो बीज एक बार भेजवा दिया था जिसमें से एक भी बीज नहीं जमा। १५ दिन बाद जब उनसे कहा तो उन्होंने बतला दिया कि यह बीज आस्ट्रेलिया से मंगाया गया था। किसान का पैसा बेकार गया, किसान का एक एकड़ खेत बेकार गया, उसकी खाद बेकार गयी, उसका परिश्रम बेकार गया, उसकी पूंजी बेकार गयी और एक शब्द में आपने उसका निवारण कर दिया कि आस्ट्रेलिया से बीज आया था और वह नहीं उगा। यह क्या प्रदर्शन हुआ कि आस्ट्रेलिया से आप बीज मंगायें, और वह उग ही नहीं सके ? प्रदर्शन में कुछ रुपये की खाद दी जाती है और उस खाद को इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है। प्रदर्शन में लाखों लाख रुपया आपका खर्च हो और उससे कोई फायदा न हो तो यह बात कुछ समझ में नहीं आती है। ग्राम सेवक तो फर्जी लिख कर आपको दे देगा कि यहां प्रदर्शन किया गया, ए० डी० ओ० लिख कर दे देगा कि यहां प्रदर्शन किया गया और इस तरह से विभाग को सूचना चली जाएगी कि प्रदर्शन में इतना खर्च किया गया।

प्रदर्शन के सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। प्रदर्शन जो हो वह किसान की लागत के ऊपर किसान के खेत पर हो। अगर किसान की लागत पर किसान के खेत पर प्रदर्शन किया जाय, केवल टेकनिकल जानकारी आप उसे दें तो वह अपने काम में ज्यादा कामयाब होगा और उसको ज्यादा तरक्की मिल सकेगी। किसान जो बीज अपने खेत पर बोयेगा उसको देख कर उसका बगलगीर किसान भी उसका अनुसरण करेगा। चाहे कोई १० एकड़ का किसान हो, चाहे कोई ३ एकड़ का किसान हो, उसमें आपको भेद नहीं करना चाहिए इसके लिए आप एक नीति निश्चित करें कि किसान किसान में पक्षपात न हो। उसके लिए एक उसूल होना चाहिए और वह उसूल क्या हो कि वह पूरे खेत का मालिक हो। जिससे चाहे कोई ३ एकड़ का काश्तकार हो, चाहे ५० एकड़ का काश्तकार हो, उसके पास जो भी जमीन हो वह सब का मालिक हो और वह सब की तरक्की के लिए काम कर सके। मैं कहूंगा कि कृषि विभाग द्वारा इसके लिए सर्वे कराया जाय और हर गांव के स्तर पर यह पता लगाया जाय कि कितने किसान ऐसे हैं जो सरप्लस गल्ला पैदा कर सकते हैं और कितने किसान ऐसे हैं जिनको आज खाने पर को भी नहीं है लेकिन अगर उनको सहायता दी जाय तो वे अधिक पैदावार बढ़ा सकेंगे। इसके साथ ही साथ यह भी सर्वे कराया जाय कि उनके पास साधन क्या हैं। नलकूप है कि नहीं है, खाद इस्तेमाल करने की जानकारी उनको है या नहीं है। तो गांव के स्तर पर ऐसे दो, तीन या पांच-पांच किसान तैयार कराये जायं और जिनके पास साधन न हों उनको साधन दिए जायं और साथ ही साथ यदि उनके पास पैसा हो तो उनसे पैसा लेकर ही उनके खेत पर उनको साधन दिए जायं। यदि पैसा नहीं है तो उसको अन्य साधनों जैसे बैंक के जरिए से या कोआपरेटिव के जरिए से या भूमि विकास बैंक से उनको कर्ज दिलाया जाय और उनको साधन सम्पन्न किया जाय। इसके अलावा जो भी नयी तकनीकी जानकारी हो उसको गांवों को पहुंचाने की व्यवस्था की जाय। इस तरह से मैं समझता हूं कि ज्यादा लाभ होगा। प्रदर्शन जो कराया जाय वह उसके खेत पर किसान के ही पैसे से कराया जाय। उसको देख करके ज्यादा लोग प्रभावित होंगे और किसान का भी उत्साह बढ़ेगा कि उसकी जमीन पर उसकी ही पूंजी लगी है। यह जो आप २००-१०० रुपया प्रदर्शन के लिए दे रहे हैं इसको बन्द कर दीजिए। इससे कोई फायदा नहीं है। यह कर्मचारियों की पाकिट में चला जाता है, इसका कोई सदुपयोग नहीं है।

दूसरी चीज आपने गोबर गैस की बात की। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुयी। मेरा एक सुझाव है कि १२ एकड़ जमीन से अधिक के जो किसान हों उनके लिए आप कम्पलसरी करें कि आप फार्म के साथ डेरी फार्म भी लगाये। या आप कम्पलसरी करें या ऐसी ही

कोई व्यवस्था करे। इसके लिए आप किसानों को बैंक से कर्ज दिलाइए या किसी अन्य तरीके से कर्ज दिलाइए। जो किसान इसके लिए तैयार न हों उनको भी तैयार कराइए। या कोई ऐसा नियम बनाइए, जिससे यह लोग फार्म के साथ डेरी फार्म भी कायम करें। अभी माननीय मन्त्री जी ने कम्पोस्ट और गोबर की खाद की बात की। आपको इस तरफ देखना पड़ेगा। सारे भारतवर्ष के नेताओं के जो वक्तव्य आ रहे हैं वह गोबर की तरफ आ रहे हैं। इसके पहले हमारे बापू जी ने जब गोबर की बात कही तो किसी ने ध्यान नहीं दिया पर अब ध्यान दे रहे हैं। चलिए देर से ध्यान आया, पर आया तो। यह ठीक है कि कम्पोस्ट से ज्यादा नत्रजन गोबर में मिलती है। इसलिए आप डेरी फार्म स्थापित जरूर करें। इससे गोबर मिलेगा। गोबर का उपयोग गोबर गैस में करने से बिजली की कमी दूर होगी। इसके साथ ही साथ आपकी श्वेत क्रान्ति की जो बात है डेरी फार्म स्थापित करने की वह भी सफल होगी। बिजली की कमी दूर होगी, आप जो उर्वरक के लिए जो हम चिल्ला रहे हैं तो उसकी भी कमी दूर होगी। ३ फायदे होंगे। इसके साथ-साथ अगर १० डेरी फार्म भी हो जायेंगे कहीं पर तो वहां उसमें १०० आदमियों को रोजी मिलेगी। जो १०० आदमी बेकार हैं वह रोजी से लग जायेंगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस तरफ मन्त्री महोदय अवश्य ध्यान दें। किसानों को फार्म के साथ-साथ डेरी फाम लगाने के लिए अवश्य कहा जाय।

श्री अधिष्ठाता---

अन्त में भी आपको बोलने के लिए समय मिलेगा

श्री शारदा प्रसाद रावत---

मान्यवर, मैं २-३ मिनट और लूंगा।

श्री अधिष्ठाता---

ठीक है।

श्री शारदा प्रसाद रावत---

इसके साथ-साथ मन्त्री जी ने एक बात और कही कि कीटाणु नाशक दवाओं के लिए आदेश दे दिया गया है कि जो दवायें जिनकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है, उनका इस्तेमाल न किया जाय। मान्यवर, इस सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूं। पायरिला के नाश के लिए साइथियान, एम० वी० थियान जो यह दवायें हैं, यह मान्यवर, गोरखपुर में सन् १९७३ में खरीदी गयीं थीं। अब मान्यवर, फरवरी १९७४ भी समाप्त हो चुका है, और यही दवायें कृषि विभाग के द्वारा प्रयोग में लायी जा रही हैं।

मान्यवर, इन चीजों के अलावा कुछ और भी चीजें हैं। बड़ी शिकायते हैं गबन की और खाद के बारे में भी शिकायत हैं। गोदाम के इन्चार्ज के बारे में गबन की शिकायतें आती है। ऐसे गोदाम हैं जहां गबन होता है। अगर किसी व्यक्ति से यह कहा जाय कि कृषि विभाग का बदनाम आदमी कौन तो वह कह देगा कि सीड स्टोर का इन्चार्ज है। एक घृणा किसानों में आ गयी है कि यह गलत काम करते हैं। मुझे सुचना मिली है कि १९६५ की खाद आपके प्रदेश में एक गोदाम में अभी पड़ी है जो किसानों तक नहीं पहुंचा पाए हैं। ऐसे तमाम सीड स्टोर इन्चार्जों की और उससे सम्बन्धित कर्मचारियों की शिकायतें बराबर आती रही है और इसमें बहुत से लोग मुअत्तल भी हैं। इसकी जानकारी मन्त्री जी को विशेष होगी, मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है। एक जानकारी मिली है कि जिला हरदोई के कृषि अधिकारी एक हैं जिनका कई बार स्थानान्तरण हुआ, लेकिन वह रुकते गए। मैं

[श्री शारदा प्रसाद रावत]

उनके खिलाफ नहीं कहता, आरोप सही हों या गलत हों, लेकिन एक विधायक का पत्र मेरे पास है जिसमें उनके विरुद्ध आरोप हैं। उसकी प्रति मन्त्री जी को भी मिली होगी, तो मैं उनको इसकी जानकारी करा देना चाहता हूं। इसके साथ मैं चाहूंगा कि यह सदन हमारे कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार करे।

श्री ईश्वरी सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने कृषि अनुदान पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं कृषि अनुदान के समर्थन में और कटौती के निरर्थक प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज की परिस्थिति में यह कहना कि इस प्रदेश में खेती की तरक्की नहीं हुई या उत्पादन नहीं हुआ—यह बहुत ही गलत है। इस बात को जब मैं कहता हूं तो मान्यवर, आपके माध्यम से मैं कुछ बातें उनके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि इस चौथी योजना काल में इस प्रदेश में जबकि गेहूं का उत्पादन प्रदेश में २४ मिलियन टन था और आज उसका उत्पादन ३८ मिलियन टन है।

मान्यवर, एक प्रमाण और है कि इस देश और प्रदेश में उत्पादन बढ़ रहा है यह इससे साफ जाहिर होता है कि जो विदेशों से अन्न मंगाना पड़ता था, उसकी तादाद बराबर घटती जा रही है। मिसाल के तौर पर १९६५ में ६५,८३,००० टन हमको गेहूं या आटा मंगाना पड़ा था और १९७२ में वह घटकर ३,१५,००० टन रह गया। पिछले साल कुछ अनाज की पैदावार घटी थी, लेकिन निरन्तर बढ़ रही है। इसका सबसे बड़ा सबूत गेहूं के सही दाम दिलाने का है। मान्यवर, मन्त्री जी ने जैसा कहा था कि आलू की पैदावार बढ़ी है और उसको खपाने का प्रश्न है। गन्ना की पैदावार ज्यादा हुई है, उसके पेरने का प्रश्न है। तो इन सब का जो अधिक उत्पादन हुआ है वह सबूत है कि कृषि का उत्पादन इस प्रदेश में बढ़ रहा है। मैं कृषि मन्त्री जी को इस बात की चेतावनी देना चाहता हूं कि यह मानते हुए कि उत्पादन बढ़ रहा है, मेरा दावा यह है कि केवल अनाज की खेती से किसान की तरक्की नहीं की जा सकती है। हमारा यह अनुभव है और हमने यह अध्ययन किया है कि आस्ट्रेलिया जैसे देश में जहां पर फी किसान परिवार के पास ३०० एकड़ जमीन और अमेरिका जैसे धनाढ्य देश में जहां पर १४५ एकड़ जमीन फी परिवार के पास है, लेकिन वहां पर अन्य खेती से सम्बन्धित उद्योग धंधे हैं। हमारे देश में २.२ एकड़ जमीन फी किसान परिवार के पास है, तो केवल अनाज की खेती के बल पर हम कामयाब नहीं हो सकते। इसलिये इस देश में खेती की ठोस बुनियाद डालने के लिये, बुनियादी तरीके से हमें यह सोचना होगा कि खेती के साथ-साथ हम जो खेती से सम्बन्धित उद्योग धंधे हैं, जैसे डेयरी, मुर्गी पालन, पशुपालन, या कामर्शियल क्राप है उनको बढ़ाने का प्रश्न है और जब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया जायेगा, तब तक किसान आत्म निर्भर नहीं बन सकता, हम किसान की आर्थिक दशा नहीं सुधार सकते। जहां अमेरिका में ५० लाख किसान परिवार हैं तो वहां पर ६५ लाख से ज्यादा डेयरी है और ८० लाख से ज्यादा पोल्ट्री फार्म्स हैं। मैं यह मानता हूं कि उनके पास पैसा अधिक है, मशीनरी ज्यादा हैं, परन्तु अगर आप वास्तव में सोशलिस्ट पैटर्न देना चाहते हैं तो इन चीजों को सोचना होगा ताकि किसान की आर्थिक उन्नति हो सके और वह आत्म-निर्भर बन सकें।

मैं आपके माध्यम से, अधिष्ठाता महोदय, एक निवेदन और करना चाहता हूं जहां उत्पादन का एक महत्वपूर्ण सवाल है, वहीं यह भी बहुत अधिक महत्व का सवाल है कि जो किसान हैं, कर्जा लेकर, मेहनत करके, पैदावार ज्यादा करते हैं तो हम उसकी पैदावार की क्या कीमत दिलाते हैं। जो मौजूदा लैवी प्राइस सरकार ने १०५ रुपये की फिक्स की है। वह कम है। जो आलू की दुर्दशा हुई है, जो गन्ने की दुर्दशा होने वाली है, उसको देखते हुए हमें बुनियादी रूप से सोचना होगा कि हम इस प्रदेश के किसानों को लागत की कीमत दिला पाते हैं कि नहीं। अक्सर अधिकारी यह दलील देते हैं कि १०५ रुपये गेहूं की कीमत

जो दे रहे हैं, वह बाजार में इससे भी कम कीमत पर उठने वाला है। ऐसे अधिकारियों से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि और सम्बन्धित मन्त्री महोदय से भी निवेदन करना चाहता हूं कि कीमत घटने और बढ़ने का सवाल नहीं है। असली सवाल यह है कि हमारी नीति से किसानों को उनके उत्पादन की सही कीमत मिलती है कि नहीं, लागत मिलती है कि नहीं। अगर कीमत घटती है और किसान को लागत की कीमत नहीं मिलती है और लागत की कीमत से भी कीमत गिरती है तो सरकार की यह भी जिम्मेदारी है कि वह उस कीमत को बढ़ाए। आज अगर १०५ रुपये से १०० रुपये या ९५ रुपये कीमत हो जाती है और किसानों की गेहूं की लागत १२५ रुपये या १३० रुपये प्रति क्विन्टल आती है तो यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह यह देखे कि उनको बाजार भाव पर कीमत मिले। केवल हम यह संतोष कर लें कि कीमत गिर रही है इसलिए कीमत सही है तो मैं इसको नहीं मानता। हमें बुनियादी तौर पर सोचना होगा कि जो भी किसान का उत्पादन है उसकी सही कीमत कृषकों को मिले। मुझे मन्त्री जी की एक लाचारी सुनकर हार्दिक दुःख हुआ। उन्होंने कहा कि प्रदेश में २५ लाख टन आलू हुआ लेकिन उसको खरीदने वाली एजेन्सी नहीं है। अगर एजेन्सी नहीं है तो यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह एजेन्सी क्रिएट करे और आलू का बाहर भिजवाए। इसके लिए मेरा एक ठोस सुझाव है कि हमारे यहां आलू होता है, पहाड़ों में सेब होता है और लखनऊ इलाहाबाद के आस-पास अमरूद होता है। आपको चाहिए कि बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, नागपुर जैसे बड़े-बड़े शहरों में जहां इन की काफी खपत हो सकती है, अपना शीतगृह बनायें। यह दुःख की बात है कि सेब हमारे यहां होता है और हिमांचल ले जाता है और अपनी मोहर लगाकर बेचता है। एक बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपका हार्टिकल्चर डायरेक्टोरेट है। डायरेक्टोरेट अलग बनाया बड़ी खुशी की बात है लेकिन उसका हाल यह है कि वह बिना सरो सामान के ताज का बादशाह है। उनका स्टाफ अलग नहीं है। जब अलग डायरेक्टोरेट है तो उसका सारा इन्तजाम भी करना चाहिए। दूसरा सुझाव यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार को यह फैसला लेना चाहिए कि खेती की ठोस बुनियाद डालनी है तो कोई संगठन हो चाहे एग्रीकल्चर बोर्ड हो जो कि कृषि उत्पादन के लिए किसान को सही लागत दिलाये। जब हम यह करेंगे तभी हम कह सकेंगे कि कृषि की उन्नति की ओर हम कदम बढ़ा रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं और एक बार फिर कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री हरिकेवल (जिला देवरिया)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मन्त्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है, उस पर मेरे दो-तीन सुझाव हैं। वैसे तो जितने भी अनुदान पेश हो रहे हैं, उनसे ऐसा लगता है कि पूरा प्रदेश हर मामले में तरक्की कर रहा है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें तरक्की न हो रही हो। यह कृषि विभाग भी विचित्र ढंग की विडम्बना बन चुका है। यह भ्रष्टाचार का जनक है। कोई दरख्वास्त दे भी दें चाहे गरीब किसान हो या इस सदन का सदस्य हो उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती। मान्यवर, हरदोई जिले के जिला कृषि अधिकारी के खिलाफ १९७३ में उस जिले के १७ विधायकों ने दरख्वास्त दी फिर उसके बाद २६ विधायकों ने दिनांक ३० दिसम्बर १९७१ को दरख्वास्त दी और फिर दिनांक १५ अप्रैल, १९७४ को ३३ विधायकों ने दरख्वास्त दी। इसके बावजूद श्रीमन् उस जिला कृषि अधिकारी जिसके ऊपर सरकारी लाखों रुपये के दुरूपयोग का सवाल था, के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरिकेवल]

अब मैं देवरिया जनपद की कठिनाइयों के बारे में, मान्यवर, बताना चाहता हूं। संयोग से उस जिले से आने वाले मन्त्री जी इस सदन में नहीं हैं। मान्यवर, १९६९ में हमारे जनपद में बरवा कृषि फार्म आलू कोल्ड स्टोरेज का तैयार हो गया। जितने सरकार के फार्म चल रहे हैं, अगर उनको देखा जाय तो ९५ प्रतिशत से अधिक जो फार्म हैं, वहां सरकार की पूंजी डूब रही है। ठीक से न चलने के कारण। लेकिन अगर बरवा कृषि फार्म की रिपोर्ट १९७१ की देखी जाय तो पता चलेगा कि करीब एक लाख का शुद्ध मुनाफा हुआ। लेकिन १९६९ में बने बरवा सरकारी कोल्ड स्टोर को इस समय तक बिजली नहीं मिली। मैंने सवाल किया सदन में। मन्त्री जी ने उत्तर दिया कि कोल्ड स्टोरज १९६९ में बनकर तैयार है। १९७३ में बिजली की दरख्वास्त हुयी जो १९७४ में स्वीकृत हुयी और सदन में बताया गया कि फरवरी के महीने में बिजली की लाइन मिल गई। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज भी उस बरवां फार्म को बिजली नहीं दी गयी। मान्यवर, यह सरकार कागज में झूठ बोलने का काम करती है। मान्यवर केवल एक पक्ष में आलू रखने का जो किराया कोल्ड स्टोरेज के लिए देना पड़ता है वह करीब ५०,००० रुपए होता है। अगर ५०,००० रुपये १९६९ से १९७५ तक प्रति वर्ष के हिसाब लगाया जाता है तो सरकार के खजाने से उतना रुपया देवरिया जिले के कसिया, लारी आदि प्राइवेट कोल्ड स्टोरेज को देना पड़ा। अगर बरवा कोल्ड स्टोरेज को बिजली दे दी गयी होती, तो इतना नुकसान सरकार का बच जाता। तो आज यह स्थिति प्रदेश की है।

दूसरी बात कहना चाहता हूं। एक तेवतिया साहब हैं। प्याज के बीज के लिए टेन्डर मांगे। जो बाजार भाव में प्याज का बीज बिक रहा था, उससे १२ रुपये अधिक पर खरीदा और काले धन की कमाई कर ली। यह स्थिति आज प्रदेश में है, श्रीमन्। जब किसानों को बीज की जरूरत होती है, तो बीज नहीं मिलता। जब किसान का खेत बो गया, पानी दे दिया गया, जब फसल आने को होती है, तो कहा जाता है कि बीज ले जाओ। जब यह स्थिति बीज के वितरण की है, प्रदेश की कैसे तरक्की होगी?

खाद की भी यही बिडम्बना है। जब खाद की आवश्यकता होती है, नहीं मिलती। यूरिया पहले ५४ रुपये बोरी मिल रही थी। उसका दाम बढ़ाकर १०५ रुपये कर दिया गया। जो पुरानी खाद थी, वह प्रभावशाली लोगों को मिली जिसको बिहार में चोरबाजारी से बेचा गया। चाहे कृषि विभाग के लोग रहे हों या दूसरे प्रभावशाली बड़े लोग, उन सबको उस चोर बाजारी में हिस्सा मिला। मान्यवर, सरकार को इस तरह की चोरबाजारी को रोकने का काम करना चाहिये, लेकिन सरकार ने यह नहीं किया। इसका नतीजा यह हुआ कि जो छोटे-छोटे काश्तकार हैं, १० बीघा तक के, उनको खाद नहीं मिली। आज भी देवरिया में यही स्थिति है। देवरिया में कीटनाशक दवाई गयी, जो पुराने रेट पर गयी थी, कुछ खाद भी प्राप्त हुयी थी, लेकिन इन सभी को चोरबाजारी में ऊंचे दरों पर बेचा जा रहा है। सरेआम बाजार में चोरबाजारी चल रही है, कोई प्रतिबन्ध नहीं है। मैं कृषि मन्त्री जी से, मान्यवर, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की चोरबाजारी में प्रतिबन्ध लगायें।

सलेमपुर सीड स्टोर है। वहां पर करीब ३ लाख रुपये की चोरी हुयी है खाद की। देवरिया जिले के कृषि रक्षा अधिकारी ने ६,०५४ रुपये अपनी दस्तखत से बैंक से निकाला। उसके बाद कह दिया यह रुपया किसी दूसरे ने फर्जी दस्तखत के निकाल लिया है और इस तरह से दूसरे लोगों को फसाने का काम कर रहे हैं। इस तरह से देवरिया के किसानों का और गरीबों का कैसे भला होगा। मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर यही जिला कृषि अधिकारी, जब पडरौना जायंगे, जब कसिया जायेंगे, जब सलेमपुर जायेंगे, तो गरीब जनता कहां से उनको रुपया और शराब की बोतल देगी?

मान्यवर, किसानों को गेहूं का दाम १०५ रुपये प्रति क्विन्टल दिया जा रहा है, जबकि उसको बीज ३०० रुपये प्रति क्विन्टल मिलता है। यह सरकार की किस तरह की दोहरी नीति है ? मान्यवर, यह सरकार गांवों में, भोलेभाले किसानों के घरों में सीधे डकैती डालना चाहती है और गल्ला वसूल करना चाहती है। यह सरकार आज प्रदेश के करोड़ों लोगों के घरों में कानूनी तरीके से डकैती डालकर, उनकी गाढ़ी-कमाई को लूटना चाहती है। यह न खाद दे सकती है, न पानी दे सकती है, न बीज दे सकती है, ऐसी सरकार द्वारा जो कृषि विभाग का बजट आया है, वह सिर्फ जनता को एक धोखा देने के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए मैं इस बजट का विरोध करता हूं।

श्री विमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय कृषि मन्त्री जी द्वारा जो कृषि का बजट पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, इसमें शक नहीं कि कृषि के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुयी है और उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि हमारे खाद्यान्नों का कुल उत्पादन १९५०-५१ में ११७.७५ लाख मैट्रिक टन था। जो बढ़ करके १९७०-७१ में १९४.६७ लाख मैट्रिक टन हो गया जो अपने आपमें एक कीर्तिमान है। इसके बावजूद आगे दो सालों में सूखे और पाले के कारण हमारी उपज उतनी नहीं हुई जितनी कि आशा थी जिसके कारण दिक्कतें बढ़ीं। लेकिन साथ ही साथ यह भी अपनी जगह पर सही बात है कि प्रदेश का ८० फीसदी किसान जो प्रदेश की अर्थ व्यवस्था की रीढ़ है उसका हर स्तर पर शोषण होता है। यह अगर कहा जाय तो वह भी गलत न होगा क्योंकि हर ओर हम देखते हैं कि वह एक तरह से भ्रष्टाचार का शिकार है। राज्य सरकार ने व्यवस्था की पिछले साल पुराने रेट पर किसान को खाद मिल सके और जिले-जिले में वह खाद भेजी भी गयी। लेकिन वास्तविकता यह है कि उस खाद का अधिकतर भाग पुराने रेट पर अगर किसानों में कोई पा पाया तो वह किसान पाया जो प्रभावशाली तथा ताकतवर था और कमजोर किसान उससे महरूम रह गया। फर्रुखाबाद में सात ट्रक टन खाद पुराने रेट की गयी लेकिन अधिकतर खाद नए रेट पर ही बेची गयी और सारा रुपया कृषि विभाग के स्थानीय कर्मचारियों ने खा लिया। शिकायत होने पर ए० डी० एम० (पी०) ने जांच की और गुरसहायगंज में पुलिस में रिपोर्ट लिखाई गयी लेकिन कोई कार्यवाही उस पर नहीं हो सकी और जांच की रिपोर्ट भी दब गयी। सबसे ज्यादा सराहना प्रदेश का किसान अब इस बात की करेगा कि माननीय मन्त्री जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाने का इरादा कर लिया है।

मैं अपने जिले की आलू की समस्या का भी थोड़ा जिक्र कर देना चाहता हूं। २४ लाख हेक्टेयर जमीन में वहां आलू पैदा होता है। किसान की बदकिस्मती है कि उसके पास मेहनत और पसीना है लेकिन आवाज नहीं है ताकि उसकी तकलीफ का निराकरण हो सके। आज फर्रुखाबाद का आलू उत्पादक ही नहीं सारे प्रदेश का आलू उत्पादक कराह रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे ने उनके साथ खिलवाड़ किया है। कमालगंज, फतेहगढ़ और फर्रुखाबाद के स्टेशनों से आलू का लदान होता था। १९७२-७३ में वहां आलू की बहुत अच्छी फसल हुई थी, लेकिन इस साल उससे भी ज्यादा अच्छी हुई। लेकिन १९७२-७३ में जितने वैगन आलू के लदान के लिए इन स्टेशनों पर पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा दिए गए थे उससे कहीं कम ३१ मार्च १९७५ तक वैगन्स आलू लदान के लिए इस वर्ष दिए गए। मैं पूर्वोत्तर रेलवे के अधिकारियों द्वारा इससे माननीय सदन के समक्ष आरोप लगाता हूं कि उन्होंने जानबूझ कर गड़बड़ी की है और मांग करता हूं कि अधिकारियों की खुली जांच होनी चाहिए। जो आंकड़े उन्होंने माननीय मन्त्री जी को दिए हैं, वे तोड़ मरोड़ कर गलत आंकड़े दिए गए हैं ताकि गलत बात को

[श्री विमल प्रसाद तिवारी]

सही साबित किया जा सके। इस तरह से कोई राहत किसान को नहीं मिल सकी। महाराष्ट्र तथा आसाम को आलू भेजने के लिए नेफेड तथा पी० सी० एफ० के लोग आलू की खरीदारी के सिलसिले में वहां गए लेकिन जिलाधिकारी तथा ए० डी० एम० (पी०) ने बतलाया कि वे उनसे नहीं मिले और जाने किससे मिल कर चले गये और आज तक आलू की खरीददारी शुरू नहीं हुई और आज १० रुपये कुन्टल पर आलू वहां मारा-मारा फिर रहा है और १५ करोड़ रुपये की हानि आलू उत्पादकों को फर्रुखाबाद में हुई। कोल्ड स्टोरेज के मालिकों के खिलाफ ही कोई कार्यवाही हुई डी० आई० आर० के अन्तर्गत परन्तु उससे अभी तक किसान को राहत नहीं मिली। मैं निवेदन करूंगा कि डिफेन्स आफ इन्डिया के रूल ११४ के अन्तर्गत जो कोल्ड स्टोरेज आर्डर, १९७२ बना वह डिफेक्टिव है और किसान के हित में नहीं है ।

सबसे बड़ी बात माननीय सदस्य जौनपुर बतला रहे थे जो सामने आई कि जब कोल्ड स्टोरेज में आलू सड़ जाता है तो किसान को कोई राहत नहीं मिलती, कोई मुआविजा नहीं मिल पाता।कोल्ड स्टोरेज बलिया में भी माननीय सदस्य के अनुसार यही हुआ। कोल्ड स्टोरेज आर्डर के अन्तर्गत आरबीट्रेशन करते हैं डायरेक्टर एग्रिकल्चर। अब जो गरीब किसान १० अथवा २०कुन्टल आलू कोल्ड स्टोरेज में रखता है उसकी क्या हैसियत है कि वह डायरेक्टर एग्रिकल्चर के सामनेजाय और आर्बिट्रेशन के बाद भी यह प्रतिबन्ध है कि दीवानी में मुकदमा दायर करे। तब अपना मुआवजा पाए जो कि किसान के लिए नामुमकिन है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि वे यह बतायें कि अब तक कितने किसानों को मुआंवजा मिला है। हमारें यहां के एक कोल्ड स्टोरेज में सैकड़ों मन आलू गत वर्षो में सड़ा है। यह ऐसी दिल हिलाने वाली बात है जो अपने आप साबित करदेगी कि किसान इसका कोई मुआवजा न पा सका। इसलिए आपको कोल्ड स्टोरेज ऐक्ट में व्यापक संशोधन करने होंगे ताकि किसानों के व्यापक हितों की रक्षा हो सके। जिला अधिकारियों को आर्बिट्रेटर बना दिया जाय, यदि आलू खराब होता है तो साथ ही साथ यह प्रतिबन्ध भी लगा दिया जाय कि आर्बिट्रेटर के रूप में जिलाधिकारी का जो फैसला हो जाएगा, तो उसे सिविल कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं रहेगी । जिलाधिकारी कोल्ड स्टोरेज के मालिकों से किसान का पैसा लेन्ड रेवेन्यू की शकल में वसूल कर दिलवाये । तभी किसानों के हितों की रक्षा हो सकती है। किसान आपकी मदद करना चाहता है, मेहनत करके आपकी सहायता करना चाहता है। जैसा मैंने कहा आज जो आलू की हालत है उसमें यदि सपोर्ट प्राइस फिक्स करके आलू की खरीद शुरू कर दी जाती तो उसके उत्पादकों को नुकसान न उठाना पड़ता और वह उससे बच जाता। लेकिन वह नहीं किया गया। दूसरी ही बातें होती रहीं। आलू उत्पादकों को लूटा गया, उसकी कोई बात सुनी नहीं गई। मेरे साथी जो आलू उत्पादक जिलों के हैं, वे जानते हैं कि इन आलू उत्पादकों को कोई राहत नहीं पहुंचाई गई। उसके सम्बन्ध में मैं सुझाव देना चाहता हूं । यदि आलू पर आधारित उद्योग स्थापित न किया गया तो आगामी सालों में इस व्यापार को, आलू के उत्पादन को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है और किसान आलू का उत्पादन करना बन्द कर सकते हैं ।

लिहाजा आलू उत्पादक को उसका उचित मूल्य मिलना चाहिए। यदि इस इन्डस्ट्री के लिए आप रुपया ही रुकावट समझते हैं तो इसको ज्वाइन्ट सेक्टर में लीजिए जिसमें कि ५१ प्रतिशत गवर्नेंट का शेयर हो और ४९ प्रतिशत किसान सहर्ष लेने के लिये तैयार है क्योंकि उसमें उसका फायदा निहित है। एक और बात कह कर मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा कि यह भी बड़ी असंगति मालूम होती है कि एक तरफ तो सरकार और कृषि विभाग पूरा जोर लगा रही है कि किसान उत्पादन बढ़ाए और दूसरी तरफ जब किसान कर्जा लेकर, मेहनत करके उत्पादन करता है, जैसे फर्रुखाबाद में आज किसान तड़प रहा है, उसे कच्चे

आढ़तिए ने चूसा, पक्के आढ़तिये ने चूसा, कोल्ड स्टोरेज वाले ने चूसा, स्थानीय कृषि विभाग के कर्मचारियों ने चूसा, कहीं उसे राहत नहीं मिली। माननीय सदस्य मांग कर रहे हैं कि लेवी की कीमत १०५ रुपए कम है। इसमें कोई शक नहीं है कि यह कम है। फिर वही प्राइस सपोर्ट की बात आ जाती है गेहूं का भाव अलग-अलग मन्डियों में गिर रहा है। कहीं ऐसा न हो कि आलू की ही स्थिति गेहूं की भी हो जाय। और तब यह कीमत सपोर्ट प्राइस होगी। इन शब्दों के साथ में बजट का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि वर्तमान कृषि मन्त्री के कार्यकाल में कृषि की उन्नति होगी और मैं फिर दुहराता हूं कि प्रदेश के आलू उत्पादकों के लिए सपोर्ट प्राइस फिक्स की जाय और आलू की खरीद सरकार करे।

*श्रीमती शान्ति देवी यादव (जिला बदायूं)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कृषि विभाग के बजट में जो कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है, उसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ी हुई हूं। अधिष्ठाता महोदय, हमारे जो कृषि मन्त्री हैं वे. एक बड़े अच्छे कृषकों में से हैं और बड़े-बड़े अच्छे विद्वान लोग कृषि के बारे में अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं...

श्री आशा राम यादव (जिला मिर्जापुर)--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। जिस प्रकार आप हर पार्टी को नम्बर दे रहे हैं, उसी तरह मुझे भी बोलने का नम्बर देना चाहिए। चूंकि आपने मुझे समय नहीं दिया इसलिए मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री आशा राम यादव सदन त्याग कर चले गए।)

श्रीमती शान्ति देवी यादव--

अधिष्ठाता महोदय, कृषि एवं किसान की तरक्की का जहां तक सवाल है, उसके लिये पूरे हाउस में किसी की दो रायें नहीं हैं कि उसकी तरक्की हो। मेरा मंत्री जी से यही कहना है कि जब किसान की फसल आती है तो उस वक्त गेहूं के रेट बहुत डाऊन होते हैं। किसान कितना लागत लगाकर पैदा करता है वह उनको पता है कि कितना उसका खर्च होता है एन०ए०सी०, के० ६८ या दूसरे बीज जो हैं वह हमें ३ रुपये किलो मिलते हैं और डी० ए० पी० का कट्टा १२० रु० मिलता है और उसके साथ-साथ पानी का खर्च अलग है। इन सब को अगर आप लगायें तो गेहूं जो है १५० रु० क्विन्टल से कम नहीं होता है और आप किसान को १०५ रुपया देंगे तो उससे किसान जो है कभी सुखी नहीं होगा और गेहूं की तरफ से उसका मन मुड़ जायेगा और वह गेहूं नहीं लगायेगा। गेहूं का दाम जो है मटर और चना से ८ गुना ज्यादा होता है। तो मटर का भाव १६० रु० क्विन्टल है और गेहूं का भाव १०५ रु० क्विन्टल रखा है। मैं यह बात इसलिये भी कह रही हूं कि हमारे कृषि मंत्री बहुत अच्छे कृषक हैं और उनको यह जानकारी भी होगी कि गेहूं और मटर तथा चना के भाव में कितना फर्क है और इसके अलावा उसे पानी-बिजली की कितनी जरूरत है। जब किसान देशी गेहूं बोता था तो उसे खाद और खाद की इतनी अवश्यकता नहीं होती थी और जो गांव में खाद होती थी उसे डाल देता था और थो ा बहुत रासायनिक खाद डाल देता था और गेहूं पैदा कर लेता था। और अब हमें गेहूं के लिये एक एक में दो कट्टे खाद और ६, ६ दफा उसमें पानी लगाना पड़ता है और फिर १५ रुपये हार्स पावर के पानी का खर्च अलग से आता है। १६२ रु० डी० ए० पी० और १०७ रु० यूरिया का खर्च आता है। तो जब आप १०५ रु० गेहूं उससे खरीदते हैं तो उसके दिल से पूछिये कि इस भाव पर देने में उसके मन में क्या घटती होगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती शान्तिदेवी यादव]

यही हाल आलू का है। हमारे फर्रुखाबाद में सबसे ज्यादा आलू पैदा होता है। उन्होंने इस बात पर खुशी व्यक्त की है कि पैदावार बढ़ी है। पिछली दफा मेरे सात सौ बोरे कोल्ड स्टोर में पड़े हुए थे। जब मैं निकालने गई तो १५ रु० के हिसाब से पैसा मागने लगे। मैंने कहा साढ़े आठ रुपया रेट है तो मैं तो साढ़े आ से ज्यादा आपको नहीं दे सकती हूं। तो उस वक्त उस हिसाब से साढ़े आठ रुपये के हिसाब से पैसा मुझसे लिया लेकिन उसकी वजह से इस साल मेरा आलू कोल्ड स्टोर में नहीं रखा गया। तो इस तरह से किसानों से पैसा वसूल करते हैं जो रिश्वत नहीं देगा, उसका काम नही होता है। तो इस प्रकार का भ्रष्टाचार सरकार में है। किसान को किसी जगह न्याय नहीं मिलता है और आज भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है। गेहूं की वसूली का काम आपने लेखपाल के सुपुर्द किया है। लेखपाल जो है अगर हमारे पास पांच एकड़ जमीन है चाहे उसमें गेहूं पैदा होता है या नहीं, वह पूरे में लिख देता है कि गेहूं की पैदावार हुई है। अगर किसान दो सौ रुपये लेखपाल को दे देता है तो वह लिख देता है कि गेहूं नहीं लगाया गया है या पैदा नहीं हुआ है। अगर दो सौ रुपया नहीं दिया तो उसे कदम-कदम पर परेशान होना पड़ता है। तो गवर्नमेन्ट में इस तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है। वहां किसान कैसे फल-फूल सकता है।

यही खाद की समस्या है जो पुरानी खाद थी, उसके लिए कहा गया कि वह पुराने रेट पर बेच दी। लेकिन बी० डी० ओ० ने पुरानी खाद नये रेट पर बेच दी। मैं उस वक्त बीमार थी और लखनऊ में पड़ी थी। मैंने खबर भेजी कि यह जो पुराने कीमत पर खाद बिक रही है, उसे डिपार्टमेंट वालो से ले लो। तो हमारे यहां खाद को बेचते हुए रंगे हाथों पकड़े गये। आशापुर में हमारे लड़के उनको पकड़ कर ले गये उसमें हमारे ही लड़के नहीं थे और भी थे उनको तहसील में ले गये, बी० डी० ओ० और खरीददार को पकड़ कर ले गये। रातभर तहसीलदार लड़कों को बिठाले रहे और सबेरे लिख दिया कि लावारिश खाद पाई गई। उन्होंने मेरे लड़के से कहा कि तुम्हारी मम्मी हैं नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, चुप हो जाओ। उसने उनसे अप्लीकेशन लिखवाकर दस्तखत करवा लिए। मैं जब घर गई और मुझे मालूम हुआ कि आसफपुर ब्लाक में ऐसा हुआ है तो मैंने कलेक्टर साहब को तुरन्त दरख्वास्त दी। उस पर जांच हुई और तमाम गवाहान के मुताबिक यह साबित हुआ कि वास्तव में ऐसा हुआ है। मैंने मंत्री महोदय को भी लिखकर दिया कि मंत्री महोदय मेरे ब्लाक में ऐसा हुआ है, लेकिन लौटकर उनसे मुझे जवाब तक नहीं मिला। मैं यह चाहती हूं कि हमारा काम, किसानों का काम जो कृषि और सामुदायिक विकास दोनों के द्वारा होता है, उसे एक विभाग के सुपुर्द कर दिया जाए। दोनों डिपार्टमेंटों के बीच किसान बेचारा परेशान हो रहा है जो किसान के इस्तेमाल की हैं, वे कृषि डिपार्टमेंट में जानी चाहिये, जिससे किसान अपनी एक जगह निश्चित कर ले कि वह मौका पड़ने पर कृषि मंत्री के पास जाए या सामुदायिक विकास मंत्री के पास जाए। सामुदायिक विकास मंत्री जी तो हम लोगों की दिक्कतें जानते नहीं हैं, क्योंकि वह किसान हैं नहीं। जब मेरे लिखने पर कुछ कागज का जवाब नहीं भेजा कि इसका जवाब यह है, तो उससे मुझे बड़ी तकलीफ पहुंची है। उसका जवाब मुझे आजतक नहीं मिला। कम से कम जो विधायक लिख कर दे, उसका जवाब तो मिलना ही चाहिये कि इंक्वायरी का क्या हुआ। आजतक भी वह बी० डी० ओ० उस ब्लाक से दूसरी जगह नहीं पहुंचा है। कहती हूं तो कहा जाता है कि वह अपोजीशन के आदमी हैं। आप कृषि के सम्बन्ध में खाद, बिजली और पानी का ठीक इंतजाम कर दें तो आप हमारा गेहूं १०५ रु० में भी खरीद ले तो हमें कोई मलाल नहीं होगा। इसके अलावा देने के वक्त भी हमें १०५ के भाव में वह मिलना चाहिये। आपने जो खाद यूरिया, डी० ए० पी० का मूल्य कर दिया है, उसे पुराने भाव पर दें, तो आप १४० रुपये में भी हमारा गेहू ले लें तो हमें कोई एतराज नहीं है। किन्तु यह तो हम लोगों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है कि आपने पानी, बिजली और खाद का दामतिगुना कर दिया है, लेकिन हमसे गेहूं पुराने मूल्य पर ही जबरन वसूला जा रहा है। किसान इस तरह से जीवित नहीं रहेगा।

ब्लाकों में भ्रष्टाचार की आज हालत यह है कि किसी का ट्यूबवेल बना खड़ा हो, और उस पर ब्लाक की यह रिपोर्ट लगती हो, तो जब तक वह ५०० रुपया नहीं देगा, तब तक रिपोर्ट नही मिलेगी कि इनका कुंआ तैयार है। तो किसान किस-किस को रुपया दे, किस-किस की जेब भरे। मैं कृषि मंत्री जी को तो कुछ कह नहीं सकती हूं क्योंकि वह बड़े विद्वान हैं, बड़े भारी कृषक हैं और मैं छोटी काश्तकार हूं, किन्तु इस मामले में मंत्री जी से प्रार्थना करूंगी कि डिपार्टमेंट को एक जगह होना चाहिये और अधिकारियों को यह चेतावनी देनी चाहिये कि वह सही तरीके से काम करें और जो हम विधायक लिखकर दें, उस पर अमल किया जाए।

श्री जगदीश अवस्थी (जिला कानपुर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बड़ी कृपा है कि आपने मुझे इस सदन में कृषि अनुदान पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। अभी माननीय सदस्यों ने कृषि मंत्रालय पर जो अपने विचार व्यक्त किए, सभी लगभग इस बात से सहमत हुए हैं कि इस मंत्रालय ने कुछ चीजें छोड़कर बहुत तरक्की की है। इस वक्त हमारा प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है और बड़ा दायित्व हमारे प्रदेश पर है इसलिये आवश्यक है कि हम अपने प्रदेश को कम से कम अन्न के सम्बंध में आत्मनिर्भर करें। प्रदेश की ८० प्रतिशत जनता यानी कृषक जो सबसे बड़ा उत्पादक है और इस काम मे लगा हुआ है, लेकिन जिस मेहनत के साथ, जिस परिश्रम के साथ किसान अपना उत्पादन करता है और उसको साधन नहीं मिल पाते हैं तो उसके अन्दर कुंठा की भावना पैदा हो जाती है। मैं निवेदन करूंगा कि अब वक्त आगया है जब उनको इस बात का दायित्व शासन को लेना चाहिये कि हर किसान को समय के अन्दर बीज, खाद तथा पानी मुहैया होना चाहिये। अगर किसान को समय से बीज नहीं मिलता है तो उसका परिणाम यह होता है कि उसका परिश्रम निष्फल जाता है। आज यह बात हो गई है कि अगर किसान को समय पर बीज मिल जाता है तो पानी नही मिलता है, कभी खाद नहीं मिलती है। आज कृषि विभाग और सिंचाई विभाग तथा सामुदायिक विकास विभाग में कोई समन्वय नहीं रह गया है। अगर कृषि मंत्री जी के साथ सिंचाई विभाग भी आजाये तो समन्वय ठीक हो जायेगा। किसान को पानी नहीं मिलता तो वह इंजीनियर के पास दौड़ता है और वह कह देते हैं कि हमारे पास पानी नहीं है। अगर किसान नलकूप की बात करता है तो उसको बिजली नहीं मिलती है। इसलिये कृषि मंत्री जी विचार करें। इन-इन विभागों में समन्वय होना चाहिये।

कृषि मंत्री जी ने घोषणा की है कि ऊसर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिये हमने नियमों में संशोधन किया है। जो सक्षम लोग हैं वे खेती कर सकते हैं। उनको ऊसर भूमि देंगे और सुविधायें देंगे। वे उसको उपजाऊ बनायें। मैं निवेदन करूंगा कि विभाग के पास आंकड़े मौजूद हैं कि किस जिले में कितनी ऊसर भूमि है। इसलिये सरकार की तरफ से किसी एक जिले को लिया जाय और वहां की ऊसर भूमि का सर्वेक्षण कराकर उसको सरकार की ओर से उपजाऊ बनाया जाये और उसको किसानों को दे दिया जाय। इससे आप कह सकेंगे कि अमुक जिले में एक इंच भूमि भी ऐसी नहीं है, जिसमें खेती न होती हो।

चम्बल के किनारे पर जहां ऊंची नीची भूमि है और जमुना के किनारे पर आप का विभाग ऐसी भूमि को समतल कर रहा है। गंगा के तट पर बहुत सी भूमि पड़ी है, इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि कानपुर में गंगा के किनारे जो ऊंची-नीची जमीन है उसको भी समतल बनाने का प्रोग्राम बनाया जाय।

श्री बिमल प्रसाद तिवारी जी ने आलू उत्पादकों की व्यवस्था का वर्णन किया है। मैं भी उसी क्षेत्र से आता हूं। आज हालत यह हो गई है कि जो कोल्ड स्टोरेज हैं, उनके मालिक चूंकि सरकार ने रेट फिक्स कर दिया है, इसलिये वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं और

[श्री जगदीश अवस्थी]

स्थान खाली होने पर भी आलू नहीं रखते हैं। आप नियमों का कठोरता से पालन कराइये। आपने आलू उत्पादकों को कोई प्राइस सपोर्ट नहीं दी है। आलू की बिक्री का उचित प्रबंध किया जाये, चाहे बाहर भेजे लेकिन उनको आलू का उचित मूल्य मिलना चाहिये। आलू उत्पादकों को जो घाटा हुआ है उससे वे उत्साह रहित हो गये हैं और वह यह सोच रहे हैं कि भविष्य में वह आलू पदा करें या न करें। तो मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस ओर भी बहुत ध्यान दें। यह बड़ी विकट समस्या पैदा हो गयी है। सन् १९५० में बन विभाग में बहुत सी जमीन लिखा दी गई, वहां पर न कोई वन लगा है और न कोई पेड़ है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो बन विभाग के नाम की जमीनें एलाटेड पड़ी हैं, जहां पर खेती होती है, तो ऐसी भूमि को आप कम से कम उपजाऊ बनाने की चेष्टा करें। खेती के सम्बन्ध में हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा मैं भी मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी ने यह घोषणा की कि हम किसानों को सस्ते दामों पर खाद देंगे। कुछ अधिकारियों ने मिल-जुल कर पिछली बार बहुत सी गड़बड़ी की थी, खाद का दुरुपयोग किया उस पर जांच पड़ताल हुई, परन्तु आज भी दोषी अधिकारी बैठे हुए हैं वे आज भी उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह इस काम के लिए सक्षम हैं, जो उन्होंने काम के लिये बीड़ा उठाया है, वह अपनी शक्ति का प्रयोग करके उस विभाग की बुराई को दूर करने की कृपा करें। माननीय मंत्री जी से मेरा यह भी अनुरोध है कि पिछली बार नई-पुरानी खादों में घपला करके अधिकारियों ने काफी पैसा कमाया, उसकी जांच-पड़ताल करने की कृपा की जाय, ताकि किसानों को सही समय पर और सही दाम पर खाद मिल सके। अगर आपने खाद समय के बाद दिया तो उससे लाभ नहीं हो पायेगा। आपने जो कृषि उत्पादन मंडियां बना रखी हैं, उसमें मान्यवर, कोई काम नहीं हो रहा है। मैं चाहूंगा मंत्री जी से कि जो ये समितियां हैं उनको कामयाब बनायें। अगर आप चाहते हैं कि जो किसान उत्पादन करता है, उसकी ठीक-ठीक दाम मिले, उसकी वस्तुओं का ठीक-ठीक वितरण हो, तो आप इसके लिये उचित व्यवस्था करने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदानों का अनुमोदन करता हूं।

*श्री उमानाथ (जिला जौनपुर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं मान्यवर, जो कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है, उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, जो हमारे उधर के साथी लोग हैं, ज्यादातर उन लोगों ने विभागीय आलोचनाएं कीं और साथ ही साथ बजट का उन्होंने समर्थन भी किया। माननीय ईश्वरी सिंह को सुनने के बाद ऐसा लगा कि शायद वह अपने इस बजट से निराश ही थे। ५ वर्ष का मेरा अनुभव है, माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान नहीं देते जो इधर से सुझाव दिया जाता है। जहां पांच बजा, बजट पास हो जाता है मंत्री जी भी प्रसन्न हो जाते हैं और उनके सचिव भी प्रसन्न हो जाते हैं।

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि ७५ प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि शासन द्वारा यह महसूस किये जाने पर भी कृषि का उचित विकास नहीं किया गया है। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि गेहूं का उत्पादन अधिक हुआ, लेकिन जब गेहूं का उत्पादन कम होता है तो यह सरकार दैवी आपदाओं पर अपना दोष डाल देती है। मुझे नहीं मालूम कि किसानों को कौन सी सुविधा इस सरकार ने दी है, जिससे उत्पादन अच्छा हुआ है। उसको उन्नति किस्म का बीज नहीं मिला और उसे सिचाई के लिये पानी नहीं मिला और खाद नहीं मिली। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि कड़ाई से आदेश

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिये जायेंगें कि किसानों को समय से बीज मिल सके। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पिछले साल बीज के लिये लाइन लगी और बहुत से लोगों को बीज मिल भी नहीं पाया। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था को दूर किया जाये।

मान्यवर, कृषि करोड़ों लोगों का व्यवसाय है। उसके माध्यम से तमाम उद्योग चलते हैं। अपने देश का बाजार इसी पर आधारित है। आय का ५० प्रतिशत इसी खेती से मिलता है। करोड़ों लोगों के भोजन की व्यवस्था किसान करता है, लेकिन उनको भर पेट भोजन नहीं मिल पाता है, उसका एक कारण है सरकार की दोषपूर्ण नीतियां। औद्योगिक विकास भी खेती पर ही निर्भर है। जैसे कपास, गन्ना आदि खेती से ही पैदा होते हैं और इन पर हमारे उद्योग आधारित हैं। माननीय गन्ना मंत्री जी नहीं हैं। मैं कहना चाहता हूं कि किसानों का गन्ना खड़ा है और वह खेतों में सूख रहा है लेकिन मिले उसको ले नहीं रही है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि मिलों पर दबाव डाला जाये कि वे किसानों के गन्ने को ले।

मान्यवर, बैंक खोले गये हैं जिससे किसानों को कर्ज मिल सके; लेकिन मान्यवर किसानों को कर्ज मिल नहीं पाता है जो बड़ा आदमी है उसी को कर्ज मिल पाता है। बड़े आदमी से मेरा मतलब है जिसकी सिफारिश होती है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि जौनपुर में एक गांव है वहां का एक व्यक्ति ट्रैक्टर लेना चाहता था, उसने कर्ज लेना चाहा परन्तु उसे कर्ज नहीं मिल सका इसलिये मजबूर होकर उसने एक प्राइवेट फर्म से कर्ज ले लिया और ट्रैक्टर लेने के लये एग्रो में गया लेकिन वहां पर कहा गया कि आपने बैंक से लोन नहीं लिया है, जिसके कारण ट्रैक्टर नहीं मिल सकता है। एग्रो और कृषि विभाग मनमाने ढंग से काम करता है। अभी तक तो खाने पीने की चीजों में मिलावट होती थी, लेकिन अब खाद में भी मिलावट होने लगी है। प्रतापगढ़ का उदाहरण मैं इस सम्बन्ध में देना चहता हूं कि वहां पर खाद में मिलावट हो रही है। ऐसा मालूम पड़ता है कि प्रदेश में कोई शासन या प्रशासन है ही नहीं। भगैसरा सीड स्टोर पर लगभग ४५ हजार के घोटाले की जानकारी मिली थी। एक गजैटेड अधिकारी द्वारा ताला खुलवाने पर यूरिया के स्थान पर १०८ बोरी बालू पाई गई। परानपुर में ४० हजार, कुंडा में २० हजार के घोटाले के मामले प्रकाश में आ चुके है।

यहां पर पुराने और नये रेट के बारे में चर्चा हुआ करती है कि पुराने रेट पर खाद बिका या नये रेट पर इसमें भी प्रदेश के हर जिले में घपला हुआ है। कौन बना, अधिकारी बने, या व्यापारी बने? मेरी प्रार्थना है कि उस बारे में हमारे मंत्री जी जांच करावें?

एक राजकीय कृषि फार्म पर तीन वर्षों में लगभग ७२ हजार रुपये का घाटा हुआ जबकि वर्ष १९७३-७४ में लगभग १७ हजार की बचत हुयी। फार्म का गेहूं नीलमी से भी बेचकर बाजार भाव से कम मूल्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार से एक-एक जिले में लाखों-लाखों रुपयों का घपला है।

इसी प्रकार से केराकत बीज भंडार में डेढ़ लाख रुपये का गबन प्रकाश में आया। आप यदि चाहें तो करोड़ों रुपयों की बचत कर सकते है। खुफिया पुलिस की विशेष अनुसंधान शाखा (कृषि) ने जो कि राज्य कृषि विभाग की गड़बड़ियों की जांच कर रही है, जौनपुर स्थित केराकत बीज भंडार में लगभग १ करोड़ ५० हजार रुपये के गबन का सुराग लगाकर मामला न्यायालय के सुपुर्द कर दिया। बीज गोदाम के इन्चार्ज ने, जो कि गबन का मामला खुलने के बाद से ही फरार हो गया था, अदालत में स्वयं हाजिर होकर अपनी जमानत करा ली।

[श्री उमानाथ]--

माननीय मंत्री जी ने बड़े दावे के साथ कहा कि गेहूं का उत्पादन बढ़ गया है। आप देखें कि पंजाब में यह ११५१ किलो प्रति एकड़ है। इसका जब हम अपने प्रदेश से मुकाबला करते हैं तो पाते हैं कि प्रदेश में उत्पादन के मामले में कोई तरक्की नहीं हुई है।

मान्यवर, हमारा जिला आलू के उत्पादन में यदि प्रथम स्थान पर नहीं तो कम से कम दूसरे स्थान पर अवश्य है। पहला स्थान फर्रुखाबाद का है। वहां पर पिछले वर्ष १० लाख रुपये का आलू सड़ गया हम लोगों ने प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी के पास गये। तब जाकर

(इस समय ३ बजकर ४५ मिनट पर उपाध्यक्ष, कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा पीठासीन हुए।)

आलुओं को रखने की व्यवस्था की गई। मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि कम से कम ऐसे कोल्ड स्टोरेज के मालिकों को सजा दिलाऐं। मेरी आपसे यह भी प्रार्थना है कि आप प्लान्ट प्रोटेक्शन विभाग को भी कृषि विभाग में ही रखे।

यह भी शिकायत सुनने की मिली है कि किसानों से जबरदस्ती गल्ला वसूल किया जा रहा है। मेरी प्रार्थना है कि इस पर वे रोक लगायें।

अब मैं एक और बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं। मेरी प्रार्थना है कि माननीय मंत्री जी फसल एवं पशुओं की बीमा योजना प्रारम्भ करायें। साथ ही साथ कृषि मे स्थायी स्वरूप से विकास कार्यों हेतु बीस साल की दीर्घ अवधि के प्रथम पांच वर्ष के लिये ब्याज मुक्त एवं बाद के समय के लिये सस्ते ब्याज पर पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराये जायें तथा अल्पकालीन ऋणों की ब्याज दरें कम की जावें।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय रावत जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सभी मित्र इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

*श्री राजेन्द्र शाह (जिला जालौन)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे आज पहली बार सदन में बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, हमारे माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसके पक्ष में, मैं कुछ सुझाव रखना चाहूंगा। समय की कमी के कारण मैं अपनी डिवीजन और अपने क्षेत्र की जो समस्या है, उनको सदन में रखना चाहता हूं और कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)--

मान्यवर, माननीय शारदा प्रसाद रावत, जिन्होंने प्रस्तुत अनुदान के सम्बन्ध में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, वे प्रैस गैलेरी में ब्रीफ कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह उचित है कि एक माननीय सदस्य प्रेस गैलरी में जाकर बैठे ?

श्री उपाध्यक्ष--

कोई विधायक कहीं पर जाये, उसके लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं है। वे कहीं भी जा सकते हैं। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री राजेन्द्र शाह--

हमारे बुन्देलखंड क्षेत्र की कुछ विशेष समस्यायें हैं क्योंकि हमारे पिछड़े प्रदेश में यह एक पिछड़ा क्षेत्र है। जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि हमारे प्रदेश में रेवाइन्स की एक समस्या है, तो इसमें हमारे बुन्देलखंड क्षेत्र की समस्या बहुत अधिक है। ६० हजार हैक्टेयर बुन्देलखंड

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में रेवाइन्स है पूरे प्रदेश की १२ लाख हैक्टेयर के मुकाबले और १४ सौ हेक्टेयर प्रति वर्ष यमुना, पहुज आदि नदियों के कटाव से इसमें बढ़ोत्तरी हो रही है। माननीय मंत्री जी इस ओर थोड़ा गौर फरमायें और बुलडोजर और लेवेलिंग द्वारा कुछ ऐसा अभियान हमारे यहां चलायें जिससे जो यह भूमि का कटाव बढ़ता जा रहा है यह रुके। हमारा बुन्देलखंड डिवीजन व्हीट सरप्लस एरिया है, खासकर जालौन जनपद जिसमें गेहूं का उत्पादन बहुत अधिक होता है और करीब ७० हजार क्विन्टल आपकी लेवी से हमारे यहां से प्राप्त होता है। हमारी पानी की समस्या है हमारे बुन्देलखंड के पूरे डिवीजन में केवल १९ परसेंट सिंचित भूमि है। अगर सिंचाई की और सुविधायें हमारे यहां दी जांय तो हमारे प्रदेश में जो गेहूं की कमी की समस्या है वह हम पूरी कर सकते हैं। इसके लिये बड़ी रिग मशीन्स आपकी जो और क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं वह हमारे डिवीजन में भेजी जांय ताकि वहां स्टेट ट्यूबवेल्स बनें क्योंकि वहां का वाटर लेविल बहुत गहरा है। इससे हमारे गेहूं का उत्पादन बढ़ सकेगा। माइनर इरीगेशन से हमारे यहां ज्यादा लाभ नहीं हो सकेगा। इसके अलावा पूरे प्रदेश में २२ हजार ट्रैक्टर्स हैं जिनमें से करीब ४ हजार ट्रैक्टर्स केवल जालौन जनपद में हैं। लेकिन उनके दाम इतने ज्यादा बढ़े हुये हैं कि कृषक उनको कैसे इस्तेमाल करें। इसलिये छोटे ट्रैक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में मंत्रीजी सोचें ताकि जो इन्टेन्सिव फार्मिंग आदमी करे, तो उनको इस्तेमाल कर सके।

तीसरे, एल० आई० सी० हमारे देहाती क्षेत्रों में कोई कार्य नहीं कर रहा है। मैं चाहूंगा कि एल० आई० सी० हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी कुछ कार्य करें जैसे क्राप इन्श्योरेन्स वगैरह का और उसके लिये पैसा दे।

जो विकास कर लिया जाता है, तो जैसा कि कहा गया है कि उसका ४० परसेंट उस क्षेत्र में इस्तेमाल होगा, वह जरूर इस्तेमाल किया जाय। डेवलपमेंट के जो एलोकशन्स हैं वह जनसंख्या के हिसाब से हैं। हमारे बुन्देलखंड की जनसंख्या पूरे प्रदेश की ५ परसेंट है। हमारे यहां का क्षेत्रफल पूरे प्रदेश का १०-१५ परसेंट आता है और आपको जमीन का डेवलपमेंट करना है। इसलिये उसको डेवलप करने के लिये अधिक से अधिक पैसा देना चाहिये ताकि उसका डेवलपमेंट हो सके और उत्पादन ज्यादा बढ़े जिससे जो हमारे प्रदेश के डेफिसिट एरियाज हैं उनको ज्यादा से ज्यादा खाद्यान्न दे सकें। तीसरी बात यह कहना चाहता हूं कि मैं अपनी सरकार और माननीय मंत्री जी का बड़ा कृतज्ञ हूं कि उन्होंने हमारे यहां केन्द्रीय सरकार की मदद से एक डैम बनाने की योजना स्वीकार की है। निश्चय ही इसके बन जाने से उस क्षेत्र की १०० प्रतिशत भूमि की सिंचाई हो सकेगी।

प्रदेश में करीब ४०० शीतगृह हैं, पर हमारे क्षेत्र में एक भी शीतगृह नहीं है। हमारे यहां आलू भी पैदा होता है। वहां पर एक शीतगृह बनाया जाय।

हमारे यहां बुन्देलखंड विकास निगम की एक मिनी शुगरमिल है, मगर पावर न मिलने के कारण उसका कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। उसको शीघ्र पावर दी जाय ताकि वह मिल चालू हो सके और किसान अपना गन्ना वहां पर तहुंचा सकें। इससे किसानों को लाभ होगा।

हमारे यहां नीबू बहुत अधिक पैदा हो सकता है। अतः हार्टीकल्चर विभाग को अनुसंधान करके नये-नये बाग अधिक से अधिक लगाने की योजना बनानी चाहिये, इससे प्रदेश को बड़ा लाभ होगा। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री ऊदल--

श्रीमन्, कृषि विभाग एक इम्पार्टेन्ट महकमा है। हमारे प्रदेश की ७५ फीसदी जनता कृषि कार्य में लगी हुई है। कोई माननीय सदस्य खाद की बात कर रहे हैं, कोई

[श्री ऊदल]

कुछ चीज की मांग कर रहे हैं, मगर मान्यवर, कृषि के लिये बिजली और पानी यह दो मुख्य चीजें हैं, बाकी खाद और बीज तो बाद की चीजें हैं। अब सिंचाई का विभाग तो माननीय महमूद अली साहब के पास है, बिजली का विभाग माननीय बहुगुणा जी और तिवारी जी के पास तो कृषि का विभाग कैसे और कितनी सेवा कर सकता है। बुनियादी बात यह है कि ये दोनों ही विभाग कृषि विभाग के अन्तर्गत होना चाहिये। मेरी व्यक्ति विशेष पर किसी तरह का एतराज नहीं है, मगर एक बुनियादी बात है जो मैंने कही है।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि इस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के दिल और दिमाग में परिवर्तन होना चाहिये, अफसरशाही वाली बू में परिवर्तन की जरूरत है। मुझे आशा है मंत्री जी अपने विचारों के अनुरूप इस विभाग को ढालेंगे।

स्वायल कन्जरवेशन और मेड़बन्दी आदि कार्यों की बहुत जरूरत है। इन कामों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसे देखने की जरूरत है। कटाव के कारण भी बहुत नुकसान होता है, बिना स्वायल कन्जरवेशन के वह ठीक नहीं होगा। इसके न होने से अच्छी जमीन भी निकल जायेगी। इस ओर ध्यान देना जरूरी है। मान्यवर, विभाग के पास पैसे की कमी है, मैं जानता हूं, लेकिन फसलों की बीमा पंजाब ने शुरू की थी। किसी के घर में आग लग जाय, किसी का सामान जल जाय, मोटर साइकिल लड़ जाय और कोई मर जाय, उसके लिये तो लाखों-लाखों रुपये के बीमे लोगों ने करा रखे हैं लेकिन किसानों की फसलों के सम्बन्ध में इस तरह की कोई योजना आज तक नहीं बन सकी है। चाहे उनकी फसल ओले से, पत्थर से, बाढ़ से या आग लगने से नष्ट हो जाय, आज तमाम खलिहान जल रहे हैं, लाखों की फसल नष्ट हो गयी है लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस प्रश्न के ऊपर भी विचार करें और जितना सम्भव हो सके कार्य-रूप में परिणत करें।

जैसे आलू का सवाल है, गेहूं का सवाल है, किसान की फसल जब तैयार होती है तो उसका भाव गिर जाता है। अभी दिसम्बर, जनवरी के महीने में सरसों का भाव ४०० रु० क्विन्टल था लेकिन किसान का सरसों बाजार में आया कि भाव घट कर २००–३०० रु० हो गया। सरकार को चाहिये कि वह किसानों द्वारा पैदा की हुई फसलों के रख-रखाव और उनके बेचने का कोई प्रबन्ध करे। जिस तरह से एग्रो ने बहुत से मसाले तैयार किये हैं तथा वह अचार-चटनी आदि भी बनाता है, उसी तरह से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को चाहिये कि वह आलू से तरह-तरह के सामान तैयार करने का एक कारखाना स्थापित करे। सरकार का ध्यान इस ओर जाना चाहिये।

मान्यवर, आये दिन बीज का संकट पैदा हो जाता है। अभी आपके सामने नैनीताल बीज घोटाले का मामला आया। उसका सही तौर पर वितरण हो सके, और किसी तरह की गड़-बड़ी न हो, इसके लिये बहुत कड़ाई बरतनी चाहिये। मैं आपकी जानकारी के लिये याद दिलाना चाहता हूं कि आज कल हो क्या रहा है कि जितने कलेक्टर, कमिश्नर या कप्तान के बंगलों के अन्दर खेत हैं, उन सब की खेती एग्रीकल्चर मुहकमा करा रहा है। बीज खाद, पानी और बिजली ले जाता है और उन खेतों में पैदा किया हुआ आलू, गेहूं सब एग्रीकल्चर मुहकमा सीड के लिये ज्यादा दाम पर खरीद लेता है। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं और पकड़ कर दिखला सकता हूं। एग्रीकल्चर मुहकमे को काम करते हुये। इस साल यह काम नहीं हो सका क्योंकि वाराणसी में झगड़ा हो गया। वहां १२ लाख रुपये का घपला है। वहां का बी० डी०ओ० बहुत कोशिश करने पर सस्पेंड है। इसी तरह से गाजीपुर में, बिलिया में खाद का मामला है। जब मामला नोटिस में लाया गया तो ६ हजार रुपये का कैश-मेमो काट कर एग्रीकल्चर डिपार्टमन्ट ने दे दिया। इस मुहकमे का काम खाद बांटने का है। इस विभाग ने प्रदेश में पचीसों व्यक्ति को लाइसेंस दिया है। उनका काम मिक्चर बनाना है। फिर डिपार्टमेन्ट ने कई जैसे जौनपुर में ही एक रेलीज इंडिया क०

है जो खाद में बालू मिलाती है और तमाम गड़बड़ घोटाला करती है। उसका लाइसेंस बिलकुल कैंसिल होना चाहिये। इसी तरह से फैजाबाद का एक उदाहरण है, जहां ७० से ७२ तक ३५ लाख रुपये की खाद चोरी गयी है। राष्ट्रपति शासनकाल मे यह मामला पार्लियामेन्ट में उठा था। जो डिप्टी डाइरेक्टर साहब थे उनको यहां हेड क्वार्टर में एक्सटेंशन देकर बदल दिया गया। पारसाल जब मैने श्री बहुगुणा जी को पत्र लिखा तब फरवरी में उनको रिटायर किया गया है। ऊपर से नीचे तक जितने आफिसर हैं सब का एक क्लीक बना हुआ है। अभी बलिया का जिक्र आपके सामने आया था। बीज गोदाम से लाखों रु० गड़बड़ी हुई थी। जिसने गबन किया था वह तो जिन्दा है और जिसने वहां जाकर चार्ज लिया था वह बेचारा जान से मारा गया और डिप्टी डाइरेक्टर वाराणसी को बार बार एग्रीकल्चर आफिसर बलिया ने लिखा कि जांच कर ले लेकिन जांच तक नहीं की गयी। तो मैं कहना चाहता हूं, नाम नहीं लेता हूं, अगर आप चाहते है कि एग्रीकल्चर मुहकमे में सुधार हो, तो भ्रष्टाचार को खतम करना होगा।

तो जो इस तरह के लोग है, मैं काशीनाथ जी से कहना चाहता हूं, कि ऐसे लोगों को बचाने के लिये काम न किया जाय।

मान्यवर, बनारस में १२ लाख रुपये की, डाई अमोनियम खाद की कमी दिखा करके, इस साल अक्तूबर, नवम्बर के महीने मे गबन कर लिया गया। मैने मंत्री जी को लिखा। डाइरेक्टरको लिखा गया, बड़ी दौड़ धूप के बाद, परेशानी के बाद बी० डी० आई० को सस्पेंड किया गया।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं बनारस में एक मामले की जांच डिप्टी डाइरेक्टर ने की थी। यूरिया खाद की गड़बड़ी का मामला था। ३ ट्रक खाद रात को निकाल कर ले जाते हुये पकड़ा गया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कार्यवाही की गयी। मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं कि पहले राम कृष्ण जी कृषि निदेशक थे। मैं उनसे वाराणसी में मिला था। राष्ट्रपति शासन के समय कहीं मीटिंग करने जा रहे थे। तो मैने उनसे कहा कि बड़ी गड़बड़ी हो रही है। उन्होने कहा कि मैं गोदामों में झाड़ लगवा दूंगा। मान्यवर, झाड़ लगवाने से तो सत्यानाश हो जायगा। आपकी जिम्मेदारी है। एग्रीकल्चर महकमे की खाद व बीज की पूरी जिम्मेदारी है। आपको खाद और बीज की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इन चीजों की गारंटी आपको करनी पड़ेगी और भ्रष्टाचार को खत्म करना पड़ेगा।

एक बात और कहना चाहता हूं। पंजाब में और कुछ प्रदेशों में और सेंट्रल गवर्नमेंट में विभागों में कृषि टेक्निकल जानकारी के लोग सेक्रेटरी रखे गये हैं। हमारे यहां विद्युत विभाग में, सिंचाई विभाग में और इसी तरह के विभागों में उन विभागों की जानकारी रखने वाले व्यक्ति सचिव के पद पर रखे गये। टेक्निकल लोग रखे गये हैं। सेक्रेटरी या एडीशनल सेक्रेटरी जो रखे गये हैं वह टेक्निकल लोग हैं। इसी तरह से मान्यवर, इस विभाग में कृषि वैज्ञानिक जो इस विषय में डाक्टरेट किये हों, कृषि के पंडित हों, उनको क्यों नहीं सचिव के पद पर रखा गया है। मेरी मांग है कि ऐसे व्यक्तियों को इस विभाग में रखा जाय।

श्री राम लखन (जिला बस्ती)---

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे बोलने के लिये मौका दिया। मान्यवर, हमारे मंत्री महोदय ने जो कृषि अनुदान पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उसका विरोध करता हूं। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय का ध्यान कुछ बातों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

[श्री राम लखन]

मान्यवर, जिस तरह से अबकी बार परमात्मा की कृपा हुयी और गेहूं की उपज अधिक हुयी है वह कोई नयी बात नहीं है। ईश्वर की मेहरबानी होती है, कृपा होती है तो ऐसा होता है। ईश्वर की कृपा से वर्षा अच्छी हो गयी, कई बार हो गयी। इसलिये गेहूं की फसल अच्छी हो गयी। हालांकि जिस विभाग पे सिंचाई होती है, बिजली विभाग ने जनता के साथ कोई मेहरबानी नहीं की। और दूसरे प्रति हार्स पावर १५ रुपये बिजली कर दी गयी। एक तो दाम बढ़ा दिये गये दूसरे बिजली नहीं मिली। जिन किसानों ने सिंचाई के लिये बिजली पर भरोसा किया उनका काम ठीक तरह से नहीं हो पाया। उनका काम अगर हुआ तो ईश्वर के भरोसे पर। मैं आपसे चाहूंगा, आपसे प्रार्थना करूंगा कि किसानों की यदि भलाई चाहते हैं तो आप उनको सिंचाई की सुविधा दीजिये। १५ रुपये-२० रुपये चार्ज लगाकर एक घंटे, आध घंटे बिजली दी। कभी ४-४ दिन तक बिजली दी ही नहीं जिससे किसान तबाह हो गया।

चूंकि समय कम है इसलिये मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। मंत्री महोदय ध्यान देंगे। मैं थोड़ा बहुत अपने जिले की समस्याओं के बारे में कहूंगा। मेरे जिले बस्ती में सरकार ने जो कुछ किया है वह और जिलों को देखते हुये ना के बराबर है। बस्ती, पूर्वी अंचल का सबसे बड़ा जिला है और सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। वहां जो भी सिंचाई के साधन हैं वह बहुत कम हैं। बीज के गोदाम जो हैं, बहुत कम हैं। खाद जो दी जाती है, आबादी के लिहाज से, खेती के लिहाज से वह कम हैं। मैं एक और निवेदन करूंगा। मेरे जिले में लोग गन्ने की खेती ज्यादा करते हैं। जो मिले है वह मिलें पूरी तरह से गन्ने को क्रश नहीं कर पाती हैं। किसान को परेशानी होती है। पश्चिमी जिलों में जो किसान हैं, वह साधन सम्पन्न हैं उन्होंने गन्ने के क्रेशर लगाये हैं। हमारे यहां छोटे-छोटे लोग हैं। इन लोगों के पास पैसा नहीं है यह सक्षम नहीं है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि बस्ती जिले के किसानों को गन्ना क्रेशर चलाने की सुविधा दें जिससे गन्ने की पेराई हो और उपज भी वहां के लोग अधिक कर सकें। मान्यवर, मैं निवेदन करूं कि बस्ती में धान की पैदावार अधिक होती है, धान के अच्छे-अच्छे बीज मिलते हैं। इसलिये उसको पैदा करने के लिये किसानों को मंत्री जी प्रोत्साहन दें जिससे किसान लाभान्वित हो सकें।

मान्यवर, बस्ती में पुदीना अधिक पैदा होता है। वहां उससे पिपरमिन्ट की खेती अच्छी हो सकती है और जिससे विक्सवेपोरब बन सकता है। इसलिये मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वहां इन चीजों को तथा अन्य मसालों को पैदा करने केलिये किसानों को सुविधायें प्रदान करें।

मान्यवर, हमारे ब्लाक में एक बड़ा तालाब है जिससे हजारों एकड़ जमीन बेकार हो जाती है। इसलिये निवेदन है कि यदि एक नाले द्वारा तलाब का पानी निकाल दिया जाय तो उससे छोटे-छोटे किसानों की खेती करने की सुविधा हो जायेगी।

मान्यवर, देश की आजादी के बाद हमारी सरकार ने एक ही मेहरबानी किया कि वहां बस्ती में एक फल अनुसंधान केन्द्र कायम कर दिया था। लेकिन सुना है कि उसे सरकारी कर्मचारियों के स्वार्थ के नाते उसको यूनिवर्सिटी को देने जा रहे हैं। आज के यूनिवर्सिटी के लड़के बिल्डिंग तक जला देते हैं तो उनको यह न दें। यदि उनको दिया गया तो जो कुछ भी हुआ है वह बेकार हो जायेगा। इसलिये फल अनुसंधान केन्द्र को हार्टिकल्चर में ही रखा जाय। इससे छोटे-छोटे किसानों को पौध और बीज कम कीमत में मिल जाते हैं। इसलिये यदि इसे यूनिवर्सिटी को दिया गया तो इसका परिणाम बुरा होगा। मान्यवर, जिस तरीके से गन्ने की रिसर्च केलिये, गेहूं की रिसर्च के लिये केन्द्र खुले हैं। मैं निवेदन करूंगा कि बस्ती में चने और धान की रिसर्च के लिये केन्द्र खोलें जिससे अच्छे-अच्छे बीज पैदा किये जांय और किसानों की पैदावार अच्छी हो सके।

मान्यवर, सिचाई मंत्री जी से निवेदन है कि बस्ती में खेती ही मुख्य धंधा है इसलिये जितना हो सके वहां सिचाइ की सुविधा दें। तो मैं दावे के साथ कहता हूंकि जो गल्ला पैदा करते हैं उसका कई गुना अधिक किसान पैदा कर सकता है।

चौधरी मुलतान सिंह यादव (जिला आगरा)––

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज के कृषि बजट पर अपनी बात कहना चाहता हूं। सारा सदन और सारा देश इस देश को कृषि देश कहता है और है भी चूंकि ज्यादा आबादी देहातमें खेती करती है। लेकिन देश की बदकिस्मती रही है और बदकिस्मती का कारण एक यह था कि इस देश के कर्णधार और इस देश के उच्च अधिकारी कृषक नहीं थे और न कृषि जानते थे या यह कहें कि वे थे या कृषि विरोधी थे, इसलिये कि यदि कृषि ऊचे उठायी और किसानों के बच्चे पढ़ लिख गये तो हो सकता है कि हमारी गद्दी छीन लें। यही कारण था कि इस देश को नीचे पहुंचा दिया। मान्यवर, इस प्रदेश के मुख्य मंत्री जितने भी आये जैसे पन्त जी आये, सम्पूर्णनन्दन जी आये, गुप्ता जी आये और भी आये, यह सारे के सारे अनजान थे कृषि के बारे में। जहां तक देश के प्रधान मंत्री पं० जवाहर लाल नेहरू व इन्दिरा गांधी का प्रश्न है, वह तो सब जानते हैं कि उनका एक ही खानदान है। उन्हें शायद यह भी पता न हो कि गेहूं और जौ की बाली कैसी होती है। हमेशा से यह सरकार किसान विरोधी रही है। पिछले २० सालों से यह मांग हो रही है कि सिचाई, सामुदायिक विकास और कृषि इन तीनों का मंत्रालय एक हो। पता नहीं कि इस राज्य सरकार पर क्या पत्थर पड़ रहे है। राज्य मंत्री आप कितने ही बनाये और या उप मंत्री भी बनायें परन्तु कृषि मंत्री तीनों विभागों के एक ही मंत्री हो और एक मंत्रालय हो जाता तो देश का भला हो सकता था, किसान का भला होता। लेकिन ऐसा नहीं किया। अगर आज पानी है तोखाद नहीं और खाद है तो बोज नहीं। इसलिये आपकेमाध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इन तीनों विभागों का एक मंत्रालय होना चाहिये।

दूसरी बात यह थी कि इस प्रदेश का दुर्भाग्य था कि कोई भी कृषि अधिकारी किसान के परिवार का नहीं रखा या और ऐक था भी उसको निकाल दिया गया बुरी तरह से डा० धर्म पाल सिंह को। कृषि में डा० धर्मपाल जैसा ईमानदार, योग्य प्रदेश में ही नहीं सारे दैश में एक भी आदमी नहीं है, लेकिन हरियाणा सरकार ने उसको उसी तनख्वाह पर रख लिया। पंजाब और हरियाणा की पैदावार क्यों अधिक है? इसलिये अधिक है कि वह प्रदेश के किसानों के हिमायती रहे हैं, उन्होंने हमेशा अच्छे आदमी रखे हैं। यह सरकार चाहती थी कृषि के लिये भी उच्च अधिकारी भी आई० ऐ० एस० हों।

तीसरी बात यह है कि आपने एग्रीकल्चर विभाग प्लानिंग के हाथों गिरवी रखदिया है। अभी मेरे एक साथी ने कहा था कि बी०डी०ओ० या डी० पी० ओ० दोनों ही मामूली बी० ए० किसी भी सब्जेक्ट के हो सकते हैं। लेकिन उनके अन्डर में एम० एस–सी० ए० जी० एग्रीकल्चर जो एग्रीकल्चर का इन्सपेक्टर होगा वह भी उसके अन्डर रहेगा और उसको आदेश मानने पड़ेगे। माननीय मंत्री जी इस मामले के बहुत जानकार हैं और आपको मालूम है कि अगर डिप्टी डाइरेक्टर और डाइरेक्टर कृषि विशेषज्ञ भी इस प्रदेश का आ जाय तो डो० पी० ओं० की गैर इजाजत के वह एग्रोकल्चर आफीसर से बात नहीं कर सकता। इसलिये आपसे प्रार्थना है कि इनको आप स्वतन्त्र कराइये अन्यथा किसानों की दुदशा और भी हो जायेगी।

मेरे जिले में १८ गाड़ी प्लानिंग डिपार्टमेंन्ट में हैं और एक गाड़ी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। इसी तरह से सिचाई विभाग में भी गाड़ियां हैं। आप यह चौपाल बनाकर क्यों बैठे हैं। यदि ये सभी साधन कृषि विभाग के पास होते तो कृषि में उन्नति हो जाती। क्यों नहीं एक

[चौधरी मुलतान सिंह यादव]

करते। लेकिन एक कर देंगे और किसानों की उन्नति हो जायगी तो फिर वही चक्कर पड़ेगा, इसलिये नहीं करतें। मेरे सभी साथियों ने यह कहा है कि गल्ले का दाम कम है। मैं आपके मार्फत कहना चाहूंगा कि वह दशा होरही है जो दुर्योधन की सभा में द्रोपदीकी साड़ी जब खींची जा रही थी भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य की दशा थी कि वह जमीन कुरेद रहे थे। वैसे ही हमारे साथी भी उधर जमीन कुरेद रहे हैं। मेरे साथी ईश्वरी सिंह ने कहा कि कीमत कम है। अगर कम है तो क्यों वह कायरों में क्यों बैठे हो। हया होनी चाहिये। १०५ रु० रखा है। मार्केट और डाउन आ सकता है। आपने कहा सपोर्ट प्राइस है। वह नहीं है। काश्तकार के लिये आपने यह पांबंदी लगा दी कि जब तक उसके पास लेवी मुक्त का सर्टीफिकेट नहीं होगा तब तक वह अपना गेहूं नहीं बेच सकेगा। यह बहुत बड़ी गद्दारी किसान के साथ की है। जिन किसानों का छोड़ा है उनका गरीब किसानों का १२० रु० बिक रहा है जिन पर पांबंदी है उनको अपनी लेवी फ्री सर्टीफिकेट तब तक नहीं देंगे जब तक कि आप अपनी लेवी पूरी नहीं कर लेंगे : दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि आप जब सिचाई मंत्री थे अपने आदेश दिये थे कि किसान गूलों से पानी ले जायगा तो उस पर आबपाशी नहीं लगेगी लेकिन वह लग रही है। आपका सिंचाई का कमांड बहुत बड़ा है। पानी पहुंचता नहीं और आप आंबपाशी पूरी लेते हैं। स्वाइल कंजरवेशन का हाल यह है वहां एक फावड़ा और एक पला भी नहीं है। मैं यह सुझाव दूंगा पचास साठ बुलडोजर्स ट्रैक्टर इस विभाग को दे दें। हर कमिश्नरी पर पांच पांच बुलडोजर्स हेक्टर रहे जिससे दरिया किनारों की और भट्टों की जमीन एकसा हो सके और पैदावार बढ़ें। आपका एक एग्रो इंडस्ट्रो कारपोरेशन है। वह किसानों के हित के लिये बनाया गया था इसलिये नहीं कि वह धनिया, मिर्चा, चूरण, चटनो और जूस बेचेगा। मेरा निवेदन है कि इसमें ट्रैक्टर्स बनाये जांय, खाद बनायी जाय और किसानों के लिये इंजन बनाये जांय। इन शब्दों केसाथ मैं कटौती के प्रस्ताव क समर्थन करता हूं।

श्री क्रान्ति कुमार (जिला बिजनौर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का आभारीहूं कि आपने मुझे कृषि के बजट पर बोलने का मौका दिया। माननीय मंत्री जी ने काफी विस्तार से कृषि की स्थति रखी है। इस वर्ष सभी चीजों की चाहे आलू हो या गेहूं पैदावार अच्छी हुई है। लेकिन एक बात कहनी है कि जब पैदा वार बढ़ती है तो किसान को उसका मूल्य कम मिलता है। पिछली बार जब आलू की पैदावार कम थी तो ५० रुपया कुन्तल आलू का दाम मिला औ इस साल आलू की पैदावार अधिक हुई, २५ लाख टन, तो उसका मूल्य १५।१६ रुपया कुन्तल है। इसलिये मेरा निवेदन है कि कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि किसानों को उसकी पैदावार का उचित मूल्य मिल सके।

इस दिशा में कोई काम करना चाहिये। दूसरी बात है कि केवल खाद, बीज तथा पानीके सहारे ही पैदावार नहीं बढ़ सकती। यदि यह चीज समय पर उपलब्ध नहीं है और मौसम ठीक नहीं है तो किसान की पैदावार नहीं बढ़ पाती है। पिछले वर्षों में विशेष कर ७०–७१ में सबसे कम खाद इस्तेमाल हुई लेकिन पैदावार १३–०२ कुन्टल प्रति हेक्टर हुई जो मैक्जिमम पैदावार थी। कारण यह था कि समय पर पानी और बिजली मिली। यही स्थिति इस साल की रही और पैदावार हीं ज्यादा हुई है। मेरा अनुरोध है कि इस वर्ष जिस तरह से किसान को बिजली पानी उपलब्ध कराने की कोशिश की गयी वैसी व्यवस्था हर साल रहेगी तो पैदावार ठीक रहेगी।

माननीय सदस्यों ने एग्रो के सम्बन्ध में कहा। माननीय मंत्री स्वयं काफी बात एग्रो के सम्बन्ध में कह चुके हैं। पांचवीं पंचवर्षीय योजना मे एग्रो के लिये बजट काप्रा विजन इस प्रकार था कि हिल डेवलपमट बोर्ड से १ करोड़ रुपये की व्यवस्था थी और ७५ लाख रुपया एग्रिकल्चर के बजट मे मिलेगा। ७४–७५ में शेयर कैपिटल में अनुदान संख्या ७६ के अन्तर्गत

१५ लाख रुपये की व्यवस्था थी लेकिन इस साल के बजट में कोई प्राविजन नजर नहीं आता है। मेरा अनुरोध है कि शेयर कैपिटल में अगर पैसा नहीं मिलेगा तो एग्रो तरक्की नहीं कर सकेगा। यदि आप पैसा देंगे तो उतना ही पैसा भारत सरकार देगी, तभी एग्रो का कारोबार बढ़ सकेगा।

मान्यवर, मैं एग्रो के सम्बन्ध में दो तीन बातें कहना चाहूंगा। ७४-७५ का साल एग्रो के लिये महत्वपूर्ण साल था जब कि यह प्रयास किया गया कि मजदूर तथा अधिकारी मिल कर इसके कार्य को चलायें और उत्पादन बढ़ायें जिसकी वजह से उत्पादन में बढ़ोत्तरी हुई भी और स्ट्राइक्स भी नहीं हुई और जैसा समाजवादी व्यवस्था का स्वप्न है उसे साकार करने की कोशिश की गयी कि मजदूर एवं अधिकारी मिल कर सारे झगड़ों को तय करें और देखें कि किस तरह से कारखाना अच्छी तरह से चल सकता है। इस नीति के अनुरूप ही एग्रो के ताल-कटोरा वर्कशाप ने ट्रेक्टर के पुर्जे बनाने का काम शुरू कर दिया है। बुलडोजर युनिट की भी व्यवस्था की है। और काफी काम इस वर्ष किया गया है। पहाड़ों में पल्प बनाया जाता है उस पल्प का हम क्या करें? काफी कोशिश के बाद हापुड़ में एक इकाई लगाई गयी जिसमें पहाड़ों से प्राप्त पल्प से वहां पर पेय पदार्थ बनाये जाते हैं और हम जनता को सस्ती कीमत पर अच्छा तथा बढ़िया सामान दे सकें इसका प्रयास हमने किया है। लेकिन एक सदस्य ने यह कहा कि एग्रो का काम यह नहीं था लेकिन मैं तो यही कहूंगा अगर आप चाहते हैं कि एग्रो कुछ भूमि का अदा कर सके पहाड़ों के डेवलपमेंट में तो वहां के फलों को उपयोगी बनाने के लिये इस तरह का काम करना होगा। और उस बात को ध्यान म रखते हुए एग्रो उसे कर रहा है।

मान्यवर, माननीय मंत्रीजी ने अपने भाषण में बतलाया कि किस प्रकार से एग्रो काम कर रहा है। हापुड़ में मिनी उर्वरक प्लांट बनाने की व्यवस्था की जा रही है। दूसरी चीज यह मैं बतलाऊंगा कि फर्टिलाइजर बिजनेस को एग्रो ने लिया। पहले तो यह मुनाफे का बिजनेस रहा और जबसे लिया गया तबसे एग्रो को मुनाफा होता रहा।

जितनी और इकाइयां थीं उनमें अधिकांश नुकसान होता था और यह नुकसान फर्टिलाइजर बिजनेस से पूरा हो जाता था। यह पहला वर्ष है जब ऐग्रो को घाटा हो रहा है। मैंने बार-बार भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से प्रार्थना की है कि इस दिशा में कोई कार्यवाही की जाय क्यों कि पिछले वर्ष जिस प्रकार से फर्टिलाइजर्स की कीमतें बढ़ी हैं, लगभग दुगनी हुई हैं, उसको देखते हुये जो मार्जिन एग्रो को मिलता था वह उतना का उतना ही हुआ है, उसमें बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। इस बात को देखते हुये एग्रो को इस वर्ष लगभग १४ लाख का घाटा इस कारोबार में बैठेगा। इस घाटे के बावजूद भी चाहे भारत सरकार हो या प्रदेशीय सरकार हो, उसने मजबूर किया है कि हमको घाटे पर भी इसको करना है। अगर नहीं करते हैं तो यह जो हमारा कारोबार है वह किसी प्राइवेट आदमी के हाथ में चला जायगा जिसको कि इस व्यापार में मिलावट आदि करने का काफी अवसर मिल जायगा। इसलिये इस मिलावट को रोकने के लिये सरकर का यह विचार है कि इस कारोबार को एग्रो ही करे। यदि हमें घाटा भी हो और जनता के सामने फर्टिलाइजर सही हालत में पहुंचे तो हम उसे करेंगे। पिछले वर्ष कुछ ऐसी बातें रहीं जिसमें कि फर्टिलाइजर के कारोबार में एग्रो में गड़बड़ी बतायी गई। जब से मैंने कार्यभार सम्हाला है तब से यह कोशिश की गई है कि इसके अन्दर जितने बेईमान हैं, उनको हटा दिया जाय और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय। इस प्रकार २२ आदमियों को पैरेन्ट डिपार्टमेन्ट्स में भेजा गया, ५ आदमियों को रिटायर किया गया, ५ आदमियों को सर्विस से टर्मिनेट किया गया, ६ आदमियों को शो-काज नोटिस दिया गया और १४ आदमी सस्पेंड चल रहे हैं। इसके अलावा कुछ केसेज सी० आई० डी० या पुलिस के मातहत हैं। इस प्रकार इस बात की कोशिश की गई है कि यह जो राजकीय संस्थान हैं, उसकी इमेज अच्छी बनी रहे और एक अच्छा नमूना वह प्रदेश और जनता के सामने रख सके।

[श्री क्रांति कुमार]---

एक सदस्य ने इसमें ट्रैक्टर्स के बनाने की बात कही। शुरू से ही इस बात की कोशिश की जा रही है कि हम ट्रैक्टर्स बनायें। पिछले वर्ष ट्रैक्टर्स को एसेम्बुल करने का काम एच० एम० टी० को दिया गया था। जब यहां पर बी० के० डी० की सरकार थी तो यह काम यू० पी० एग्रो को न मिलकर इसका लाइसेन्स एच० एम० टी० फैक्टरी पिन्जौर को दिया गया। लेकिन यह कोशिश की जा रही है कि इसका मैन्युफैक्चरिंग लाइसेन्स यू० पी० ऐग्रो को मिले। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट को सपोर्ट करता हूं।

श्री तेज सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान किसानों की तरफ खींचने की जरूरत नहीं समझता हूं लेकिन अफसोस यह है कि यह सरकार ऐसी अव्यवस्थित है कि यदि मंत्री जी किसानों का भला चाहें भी तो वे भला कर नहीं पायेंगे। मंत्री जी के दिल में किसानों की भलाई की बात है क्योंकि वे एक किसान हैं और वे जानते हैं कि आज किसान की हालत क्या है। गांधी जी चाहते थे कि देश का राष्ट्रपति किसान होना चाहिये, मुख्य मंत्री किसान होना चाहिये, प्रधान मंत्री किसान होना चाहिये। इसके साथ ही यदि देश और प्रदेश का प्रधान मंत्री या मुख्य मंत्री किसान हो भी लेकिन जब आज किसान के बारे में कोई बात सोची जाती है, जो लोग किसान की भलाई के बारे में कुछ बात सोचते भी हैं, वे किसानी के बारे में कुछ नहीं जानते। उत्तर प्रदेश में बैठकर किसान की भलाई के बारे में उसके सोचने वालों को कोई ज्ञान नहीं है। हमारे जिले में अभी एक कृषि अधिकारी गये। उनसे मैंने पूछा कि वे यह बतायें कि एक बीघे में कितना बीज बोया जाय तो उसमें उनका जवाब निल आया। जिनको इसका पता नहीं कि एक बीघे में कितना बोया जाय वैसे अधिकारी को जिला कृषि अधिकारी बना कर भेज दिया जाता है। यह हालत है।

उपाध्यक्ष महोदय, किसानों के लिये मंत्री जी से कुछ बात कहूं, मैंने उनका वक्तव्य सुना और उससे मैं समझता हूं कि वे कार्य तो करना चाहते हैं लेकिन असमर्थ हैं। आलू के किसान का उन्होंने हवाला दिया कि उनके लिये वे यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं। लेकिन वे यह नहीं कर पाये कि किसान के आलू को उसकी सही कीमत मिल जायेगी। अगले साल वह आलू नहीं बोयेगा। बुलंदशहर अच्छा गेहूं बोता है, काफी गेहूं वहां होता है लेकिन आपने एक जिले से दूसरे जिले में ले जाने पर रोक लगा दी ताकि कीमत गिर जाय और किसान मारा जाय इस तरह से वह बुरी तरह से पिट रहा है। दूसरी जगह लोगों को खाने के लिये गेहूं उपलब्ध नहीं है। आप कहते हैं १९७१-७२ में पैदावार अच्छी हुई १९७१-७२ में आप के यहां सरप्लस हुआ लेकिन १९७२-७३ और १९७३-७४ में क्या हाल हुआ? इस वर्ष भी आप ढोल पीट रहे हैं कि पैदावार अच्छी है लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि अन्न की पैदावार इतनी अच्छी नहीं है जितना आप कह रहे हैं और ढोलपीट रहे हैं। इस वर्ष सरदी में जरा वर्षा अच्छी हो गई जिसके कारण अच्छी दिखायी देती है। अभी मेरे मित्र ने कहा कि नहरें अच्छी चलीं लेकिन आपने देखा कि टेल पर कितना पानी पहुंचा कितनी नहरों से पानी आपने दिया बिजली की क्या हालत रही? इस साल वर्षा अच्छी हो गई तो पैदावार अच्छी हो गई लेकिन अंत में आपको पता लगेगा कि आप इसमें भी फेल रहे हैं। आप देखेंगे कि किस खूब सूरती से आप चल रहे हैं और किसान के लिये आप क्या करना चाहते हैं। आप किसान के लिये कुछ नहीं करना चाहते हैं वह इसलिये नहीं करना चाहते हैं कि कहीं वह आगे न आ जाय और किसान आगे बढ़ गया तो जो २० फीसदी जिनको आप बुद्धिजीवी कहते हैं जिनको गद्दी पर रहना है वह नहीं रह पायेंगे और उनके अधिकार छिन जायेंगे। किसान को आप इसलिये आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं कि वह फौज में भर्ती हो और मूर्ख लोगों को मिलता रहे वह बेवकूफ और अनपढ़ रहे और आप यहां पंखे में मजा उड़ाते रहें और आफिस में बैठ कर राज्य करते रहें। आज यह जो सरकार अपने को समाजवादी कहती है वह किसानों को पीछे रखना चाहती है।

हमारे उत्तर प्रदेश में बड़े अच्छे मैदान हैं। हमारे मंत्री महोदय यह सोचते हैं कि ऊसर जमीन पर भी पैदावार हो लेकिन मैं आपको बतादेना चाहता हूं कि यह जो अच्छे-अच्छे मैदान पड़े हुए हैं उन्हीं पर किसान को सुविधा दें तो आपकी पैदावार काफी बढ़ सकती है और ऊपर की बात आप बाद में सोचे। आप इस पर ही खाद और पानी का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं, और आगे की बात करते हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर आदि में ज्यादा सुविधायें देकर और पैदावार को बढ़ाया जा सकता है लेकिन आप बढ़ाना नहीं चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य समय हो गया है भाषण समाप्त करें।

श्री तेज सिंह---

किसान को संगठित हो कर इस सरकार को इस बात के लिये बाध्य करना होगा कि यह उसकेलिये सोचे। आपने जो लेवी लगाई है उसके लिये आपने पुलिस की फौज का सहारा लिया है। बिना बिजली दिये, बिना पानी दिये आप दिन दहाड़े पुलिस को लेकर डकैती कर रहे हैं और १०५ रुपया में गेहूं लेना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष --

आप भाषण समाप्त करें।

श्री तेज सिंह---

उपाध्यक्ष महोदय, कैबिनेट में हमारे मुख्य मंत्री ने कहा कि गेहूं १२५ रु० के हिसाब से खरीदना चाहिये और कैबिनेट ने पास किया। लेकिन आपका कोई असर नहीं पड़ा आपकी बात स्वीकार नहीं की गई तो आपकी इस सरकार को यहां बैठने का अधिकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

यह बात बहुत दफा आ चुकी है। आप भाषण समाप्त करें।

श्री तेज सिंह--

इन शब्दों के साथ मैं कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अनवार जमील (जिला फर्रुखाबाद)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मैं सबसे पहले अपने कृषि मंत्री जी को बधाई देता हूं। मैं फर्रुखाबाद से कमालगंज से चुन कर आया हूं। वहां पर आलू सबसे ज्यादा पैदा होता है। और उसी सिलसिले में मुझे सिर्फ यह कहना है कि आलू के लिये क्या कदम उठाया। आपने कोल्डस्टोरेज के मालिकान के खिलाफ एक्शन लिया हमारे यहां ४१ कोल्ड स्टोरेज हैं और उनमें से ३८ केखिलाफ डी०आई०आर० में कार्यवाही की और आज वही मिलमालिकान जो पहले किसानों पर जुल्म ढाते थे और किसानों को भगा रहे थे, फर्रुखाबाद छोड़े हुए हैं और भागे हुए हैं। कोई फतेहपुर में पड़ा है, कोई लखनऊ और कानपुर में पड़ा हुआ है। यह आपने एक अच्छा काम किया है और इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। इसमें जो साढ़े १२ रुपये और अदर चार्जेज वाली बात है, उसके बारे में आपने फरमाया कि इसके बारे में आर्डीनेन्स जारी किया जाएगा। किन्तु उसमें विलम्ब हो रहा है, मैं प्रार्थना करूंगा कि उस पर आप जल्दी करें, जिससे उसमें कारगर कार्यवाही हो सके और साढ़े १२ रुपये का रेट बराबर बना रहे और जो किसानों को राहत दी है वह बराबर बनी रहे।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्यगण बात कर रहे हैं, खड़े होकर। यह ठीक नहीं है, सब अपने स्थान पर बैठें और बात न करें।

श्री अनवार ज़मील—

हमारे जिले फर्रुखाबाद में बीज की बहुत कमी है, मैं इस ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। शहर में तो किसी तरह यह पहुंच जाते हैं, किन्तु सीड स्टोर्स के सेन्टर्स जो कमाल गंज, गुरसहायगंज और छिबरामऊ में हैं, वहां पर अच्छे बीज नहीं जाते हैं। जाते हैं तो इतनी कम मात्रा में जाते हैं कि किसानों को नहीं मिल पाते हैं। इसको मंत्री जी नोट करें और पिछली, फीगर्स को देखें कि अच्छे वैरायटी के बीच कितने वहां गये हैं।

हमारे यहां खाद की सबसे बड़ी समस्या है। आलू हम सबसे ज्यादा पैदा करते हैं, इसलिये हमारे यहां खाद की सबसे ज्यादा खपत है। जब कन्ट्रोल नहीं था, तो १०–१२ जिलों की खाद की खपत हो जाती थी। लेकिन आज उसके वहां न पहुंचने से और खाद की कमी के कारण वहां इसका बहुत ब्लैक होता है और किसानों को बड़ी तकलीफ होती है। इसलिये मंत्री जी फर्रूखाबाद पर कृपाकरें, नजरे करमकरें और खाद की पूरी व्यवस्था करें ताकि किसान को आलू की दूसरी फसल पैदा करने में दिक्कत नहो। खाद की कीमत जो एकदम से बढ़ गयी है, बहरहाल आप उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन यह है कि उसकी व्यवस्था हो जाय तो यह समस्या हल हो जाएगी। खुदागंज, जहानगंज, गुरसहायेगंज और बारौन जो स्थान हैं वहां पर खाद के वितरण के लिये आप सेन्टर्स कार्य कर दें तो बड़ा अच्छा होगा ताकि हर जगह खाद समान रूप से वितरित हो सके। नहीं तो २०–२० मील से लोगों को खाद लेने आना पड़ता है और वहां रास्ता बहुत ही खराब है। इससे किसान को बेहद तकलीफ होती है। सिंचाई विभाग के बारे में मुझे यह कहना है कि .....

श्री उपाध्यक्ष—

यह सिंचाई का विषय नहीं है। आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री अनवार जमील—

नहीं, यह उसी से सम्बन्धित है।

श्री उपाध्यक्ष—

अच्छा आप दो मिनट में समाप्त करें।

श्री अनवार ज़मील—

रामगंगा प्रोजेक्ट जो है, वह आपके पास आती है। ऊसर लैण्ड का जो सर्वे होता है, उसमें आप उसका सर्वे करा लें। क्योंकि हमारे यहां जमीन ऊबड़–खाबड़ पड़ी हुई है। उसका सर्वे कराने से उससे राहत मिल जाएगी। ज्यादातर भूमि असिंचित है उसका सिंचित होना जरूरी है। इसके अलावा हमारे बातों के बारे में मंत्री जी ने ही अपने भाषण में कह दिया है, इसलिये मुझे ज्यादा नहीं कहना है। कीटाणु नाशक दवाओं के बारे में मुझे यह कहना है कि उसकी भी बहुत कमी है। आती है तो हेड क्वार्टर पर ही रह जाती है, कोई छिड़काव करने वाला नहीं आता है। इसलिये मंत्री जी इसको भी देखें और ज्यादा से ज्यादा इसका फैलाव करें और इसकी व्यवस्था करें ताकि लोगों को राहत मिल सके। मैं इसके साथही अपना भाषण समाप्त करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करता हूं।

बाबा रामनाथ (जिला मैनपुरी)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय मंत्री जी से एक अपेक्षा करता था कि शायद आज वह दो बातों के बारे में अपनी असमर्थता प्रकट करेंगे, लेकिन उन्होंने अपने कृषि क्षेत्र में हामी लेलो कि प्रगति हुई है। दो बातें उसमें आती हैं। एक तो कृषि उत्पादित वस्तुओं का जो दाम है, उन पर आप का कोई अधिकार नहीं है, आप की मूल्य-निर्धारण में कोई राय ही नहीं है। यहां से मुख्य मंत्री जायेंगे या और कोई मंत्री जायेंगे लेकिन कृषि मंत्री नहीं बुलाये गये कि कृषि से जो वस्तुए पैदा होती हैं उनका क्या मूल्य होना चाहिये।

दूसरा खाद का मामला है। यह ऐसा विषय है जिस पर करोड़ों रुपया खर्च किया गया है। केन्द्रीय सरकार का १२ सौ करोड़ रुपया इस पर लगा हुआ है और १३ लाख टन का उत्पादन है। जापान जैसा छोटा देश हमको फर्टिलाइजर देता है। उसने भी इस साल इसके दाम काफी बढ़ा दिए हैं। हाउस में उनको अपनी असमर्थता प्रकट कर देनी चाहिए थी कि इस क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारी नहीं है ताकि गांव के लोग समझ जाते कि मन्त्री जी इस मामले में अक्षम हैं और वह खाद पूरी तादाद में नहीं दे सकते हैं और कृषि द्वारा उत्पादित वस्तुओं का उचित मूल्य नहीं दे सकते हैं।

जब किसी इन्डस्ट्री में इनसेंटिव नहीं मिलेगा तो वह उस काम को क्यों करेगा? एक एकड़ की गेहूं की खेती में १२०० रुपये लगते हैं और उसका जो उत्पादन होगा उसकी कीमत १२६० रुपए होगी। ऐसी दशा में कोई भी किसान ६० रुपए के लिए ६ महीने का समय क्यों लगाएगा? वह गेहूं की खेती नहीं करेगा। महाराष्ट्र में मुख्य मन्त्री से सवाल पूछा गया कि आपके यहां गेहूं की खेती न करके गन्ने की खेती लोग क्यों कर रहे हैं? अब आप ही बताइए कि वह गेहूं की खेती क्यों करें? १९७४-७५ में कृषि क्षेत्र में प्रगति की दर शून्य रही और अब २.८ प्रतिशत है। अगर इसी तरह से प्रगति होती गई तो हजारों वर्ष लग जायेंगे। तब यह कहेंगे कि अब समय आ गया है, हमने तरक्की कर ली है। इस मामले में वैज्ञानिकों की राय लेनी चाहिए थी कि किसानों की जो लागत लगती है उसके अनुपात में उसको क्या मूल्य मिलना चाहिए। लेकिन इस क्षेत्र में प्रधान मन्त्री और मुख्य मन्त्री ने ही अपना हाथ घुसा रखा है। सत्ताधारी व्यक्ति भी इस मूल्यसे बहुत दुखी हैं। एक सत्ताधारी व्यक्ति ने कहा कि मैं क्या कहूं मैं तो मर गया हूं। जब सब मर रहे हैं तो गेहूं का मूल्य क्यों नहीं बढ़वाते हैं?

ऐसी दशा में मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से कहूंगा कि वास्तव में यह बात सही है कि कृषि में उन्नति होनी चाहिए। वैज्ञानिकों और टेक्नोलोजिस्ट्स की राय से मूल्य निर्धारित करना चाहिए जिससे प्रदेश के किसानों का भला हो सके और वे भविष्य में गेहूं की खेती करते रहें।

अब सिंचाई की बात कहना है। हालांकि उससे आपका सम्बन्ध नहीं है। प्रदेश में जितनी खेती होती है उसके कुल ३० परसेंट में ही पानी दे पाते हैं। ऐसी दशा में मैं यह सुझाव नहीं दूंगा कि सभी विभागों को एक में मिला दें और दोनों मन्त्री अलग-अलग रहें लेकिन कोआर्डीनेशन तो रहना चाहिए। छोटी छोटी योजनाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है बड़ी योजनाओं की बात करते हैं। जब हैवी इन्डस्ट्रीज की बात करते हैं तो काटेज इन्डस्ट्रीज की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है, जब फर्टिलाइजर प्लान्ट्स की बात करते हैं तो गैस प्लान्ट्स की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। एक मीनिया बन गया है कि हैवी इन्डस्ट्रीज लगाई जायं।

"We produce only half of our present requirement of fertilizers. By 1980, if all our plants work to capacity. We shall be able to increase our output tenfold. But this is doutful because, though we have the know how, we have a problem of raw materials aggravated by constant labour unrest"

[बाबा रामनाथ]

मान्यवर मैं एक बात और कहना चाहता हूं फर्टिलाइजर इन्डस्ट्रीज के बारे में। जापान जैसा मुल्क जो दुनियां भर के देशों में फर्टिलाइजर सप्लाई करता है। एग्रो वाले भी यहां पर बैठे हुए हैं चेयरमैन साहब, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कम से कम एक नियमित पालिसी फर्टिलाइजर के बारे में होनी चाहिए जब कि रा-मेटेरियल की हमारे प्रदेश में कमी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में मेरा यह सुझाव है कि इस बारे में सुधार किया जाय।

श्री प्यारे लाल (जिला अलीगढ़)—

आदरणीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं आभारी हूं और मैं कृषि अनुदान के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। अभी हमारे माननीय मुलतान सिंह जी ने हमारे प्रधान मन्त्री और मुख्य मन्त्री जी के बारे में जो आरोप लगाए कि इनकी नीतियां कृषक विरोधी रही हैं। आज भाखड़ा बांध, नरोरा बिजली घर और हर जिले में जो विकास क्षेत्र हैं, वे सब नेहरू जी की देन हैं। दूसरी बात जो हमारे मुख्य मन्त्री जी की सूझबूझ है, जो कि हमारे पड़ोस के और कृषक परिवार के बहुत ही बुद्धिमान, परिश्रमी और बहुत ही योग्य जोकि वर्मा जी हैं आपके कृषि मन्त्री और उसमें हमारे माननीय कृषि के निदेशक चौधरी ब्रह्म सिंह हैं यह हमारे मुख्य मन्त्री की ही देन हैं और हमारी इन्दिरा जी के बारे में मालूम है कि जो कृषक के पक्ष में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात आयी, तो उन्होंने किसानों के पक्ष में राष्ट्रीयकरण बैंकों का किया और आपके नेता उसमें बाधक बने।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

नसबन्दी किसकी देन है ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप सुनने की भी आदत डालें।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मान्यवर, मैं पूछ रहा हूं कि आप किसकी देन है ?

श्री प्यारे लाल (जिला अलीगढ़)—

आज बड़े-बड़े बांध, बिजली घर, ट्रैक्टरों का उत्पादन, नये-नये बीज आदि इन्हीं की देन है जिससे उत्पादन बढ़ा मेरे भाई ने पहले जो बात कही कि चीन में ज्यादा उत्पादन वृद्धि हुई है, मान्यवर, चीन और हिन्दुस्तान की स्थिति भिन्न है। वहां के जितने लोग हैं ज्यादातर मांसाहारी हैं और यहां पर अन्नहारी ज्यादा हैं। हमारे यहां बैल और गाय को मान्यता मिलती है और बैल और गाय पर हमारे यहां अन्न का खर्च है। मान्यवर, मैं कृषि मन्त्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि जो हमारे ग्राम सेवक है इनका सम्बन्ध सीधे कृषि से जो दिया जाय। दूसरी बात यह है कि जो गांवों में चकबन्दी की वजह से नाली और चकरोडों की समस्या है, उनसे झगड़े हुआ करते हैं। मेरे ख्याल से मुलतान सिंह जी की यह देन है, उसे दूर किया जाय। नहरों के किनारे जो जमीन है वह ऊसर बनती जा रही है। वहां के पानी की निकासी की व्यवस्था की जाए। हमारे यहां मन्डी कमेटी का चुनाव जल्दी ही कराया जाए। ट्रैक्टर के जो पुर्जे मिलते हैं वह किसानों को नकली मिलते हैं मैं मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि पुर्जे असली दिलवाए जायें। मान्यवर समाज में बुद्धिजीवी और परिश्रम करने वाले को समानता मिलनी चाहिए। मैं उदाहरण के लिए कहना चाहता हूं कि आपकी विधान सभा को किसी इन्जीनियर ने जो नक्शा काग़ज पर तैयार किया उसी अनुरूप दस्तकार ने उसको बनाया माननीय मन्त्री जी जब कहीं पर जायें तो वह कृषक के यहां खाना खायें तो उसका उत्साह बढ़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं माननीय कृषि मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री दल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जो इस बजट पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, ७५ प्रतिशत जनता देहात में रहती है। देश की कुल आय का ४७ प्रतिशत आय खेती से होती है लेकिन फिर भी हमारी प्रधान मन्त्री को अन्न के लिए भीख मांगनी पड़ती है, यह बड़े शर्म की बात है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में १७.७६ प्रतिशत, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १४.९४ प्रतिशत, तृतीय पंचवर्षीय योजना में १६.४१ प्रतिशत और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में १८.७२ प्रतिशत खर्च किया गया। मैं कहना चाहता हूं कि एग्रो में भ्रष्टाचार व्याप्त है। वहां पर ५८ आदमियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी, उनमें से २२ को उनके विभागों में वापस कर दिया गया, ५ को बरखास्त किया गया ५ की सेवायें समाप्त कर दी गयीं, एक व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया गया और ११ को कारण बताओ नोटिस दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष--

१५ मिनट के लिए सदन का समय बढ़ाया जाता है।

श्री दल सिंह यादव--

गाजीपुर के गोदाम में ३.४९ लाख का घोटाला है। फैजाबाद स्टेशन से ११० मे० टन खाद सीधे बेच दी गयी। इसी तरह से लखनऊ के बिक्री केन्द्र पर १,९१,२६९.२२ रुपये का घोटाला है। बस्ती बिक्री केन्द्र पर ८ हजार रुपये की डी० ए० पी० का घोटाला है। इसी प्रकार से फैजाबाद केन्द्र पर डी० ए० पी० खाद का गबन है जिसकी कीमत १,३१,५२४.२० रुपए है। खेती में कैसे तरक्की हो सकती है। आज हमारे प्रदेश में खेती का प्रश्न बड़ा ही विकट है। यहां पर ७० लाख एकड़ भूमि क्षार से ग्रसित है, ३० लाख एकड़ भूमि में क्षारण है और ४५ लाख एकड़ भूमि में कटाव है। जिसकी कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। खेती में तभी तरक्की हो सकती है जब कि किसानों में कृषि के प्रति रुचि उत्पन्न कराई जाय या उनको इसके बारे में टेक्निकल शिक्षा दी जाय। मान्यवर, यदि ब्लाक स्तर पर एक एन्टेमोलोजिस्ट या प्लान्ट प्रोटेक्शनिस्ट नियुक्त कर दिया जाय तो पूरे ब्लाक की समस्या हल हो सकती है।

तराई क्षेत्र में धान बहुत होता है। वहां पर एक प्रकार की खैरा डिजीज हो गई। वहां पर एक नेने डाक्टर साहब ने एक्सपेरिमेन्ट किया कि किस प्रकार से वहां पर पैडी को बचाया जा सकता है। वहां पर करोड़ों मन धान पैदा किया जाता है लेकिन एक वैज्ञानिक ने पूरे इलाके की समस्या को हल कर दिया।

दूसरी किसानों की जो शिकायत है वह यह है कि उनको उनकी उपज का पूरा दाम नहीं मिलता है। गन्ने का दाम उन्हें कम से कम २० रुपया प्रति क्विन्टल मिलना चाहिए था जो केवल ११ रुपये ही दिया जा रहा है। इसके अलावा अक्तूबर के महीने में जब कि गन्ने की पिराई होती है किसान मिलों में डालना चाहता है लेकिन मिल मालिक चूंकि उस समय ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है तो उसे उस समय नहीं लेते हैं। फैक्टरी वाले जब फरवरी में सैक्रोज की मात्रा बढ़ जाती है तो लेना चाहते हैं और मार्च में जब सैक्रोज की मात्रा ग्लूकोज में बदल जाती है तो गन्ना को नहीं लेना चाहते हैं।

गेहूं का दाम भी कम से कम किसानों को १४० रुपया प्रति क्विन्टल के हिसाब से मिलना चाहिये। मान्यवर, हमारे जिले फर्रुखाबाद में आलू, तम्बाकू, मकई आदि का सबसे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री दल सिंह यादव]

बड़ा रोटेशन होता है लेकिन आलू के पूरे दाम न मिलने के कारण किसानों में त्राहि-त्राहि मची हुई है। मेरी प्रार्थना है कि जो भूमि बेकार पड़ी है, उसे उपजाऊ बनाया जाय समय पर खाद, बिजली और पानी दिया और गन्ने और गेहूं के उत्पादन बढ़ाने के लिए जो भी साधन हैं उन्हें उपलब्ध कराया जाय ?

*श्री राजपाल (जिला मेरठ)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका हृदय से आभारी हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने का समय दिया। बहुत उठक बैठक करनी पड़ी लेकिन अन्त में मेहनत वसूल हो गई। मैं माननीय कृषि मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

मान्यवर, इस समय सदन में एक भी मन्त्री उपस्थित नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष--

हैं। मैंने १५ मिनट का समय इसलिए बढ़ाया है कि एक दो सदस्य और बोल सकें। आप अपना समय नष्ट न करें ?

श्री राजपाल (जिला मेरठ)--

मान्यवर, हमारे मन्त्री जी ने नयी-नयी योजनाओं के चलाने की घोषणा की है जैसे चूहे मारने की योजना, ग्रामों में क्लबों के खोलने की योजना है, खाद और बीज के वितरण की योजना और बड़े पैमाने पर बड़े-बड़े प्लान्ट लगाने की योजना। और चम्बल, यमुना गंगा की रेवीन्स में ऊबड़-खाबड़ जमीन को समतल बनाने की योजना आरम्भ की है। साथ ही साथ उन्होंने हमारी जो भूमि बंजर पड़ी हुई है, उसको उपजाऊ बनाने की योजना आरम्भ की है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि कृषि के मामले में हमारी काफी उन्नति हुई है। आंकड़े बताते हैं और देखने वाले भी बताते हैं लेकिन जितनी उन्नति होनी चाहिए थी, वह नहीं हुई है और हम अभी भी सन्तुष्ट नहीं हैं। मान्यवर, किसान का काम करने वालों की आबादी हमारे प्रदेश में ७५ प्रतिशत है। अब खेती को केवल खेती कहना पर्याप्त नहीं है बल्कि खेती को एग्रीकल्चरल इन्डस्ट्रीज कहना चाहिये और उसे इन्डस्ट्री का रूप देना चाहिये। अगर खेती को इन्डस्ट्री का रूप दिया जायगा तो उसकी उन्नति होगी और किसानों की खुशहाली बढ़ेगी। किसान खुशहाल होगा तो गांव में रहने वाला व्यक्ति जो खेती से सम्बन्धित है, जो गांव में रहता है वह खुशहाल होगा, जैसे कारीगर, खेतिहर मजदूर, बढ़ई, लुहार, छोटा व्यापारी जो गांव में रहता है यह सबके सब खुशहाल होंगे। (लाल बत्ती होने पर) अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है श्रीमन्।

श्री उपाध्यक्ष--

बहुत ब्यौरें में न जायें, समय नहीं है। ५ मिनट आपके हो रहे हैं, दो मिनट शेष हैं।

श्री राजपाल--

आलू के बारे में सब ने कहा। तो आलू का मर्सिया मैं भी पढ़ दूं। आलू बहुत अच्छा पैदा हुआ। मौसम ने साथ दिया, किसान ने मेहनत किया। लेकिन आलू कोई २४ घंटे में तो हो नहीं गया, तीन महीने उसकी पैदावार में लगे। तो यह डिपार्टमेंट कहां सोता रहा कि उसकी बिक्री का कोई इन्तजाम नहीं किया जो करना चाहिए था। अबकी मैंने भी आलू बोया था और जो आलू हुआ उसे मैं उधार दे कर आया हूं, पता नहीं उसका पैसा मिलेगा या नहीं। चलिए आलू का तो हो गया। अबकी गेहूं की भी बम्पर क्राप है। हमारे मुख्य मन्त्री जी के भाग्य से अगर मौसम ठीक रहा तो बड़ी अच्छी पैदावार होगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय असरार साहब, इतनी जोर से बात हो रही है कि हमको दूसरे की बात सुनने में दिक्कत हो रही है।

श्री राजपाल--

माननीय मुख्य मन्त्री जी यहां आ गए, मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि मेरे विचार उन तक पहुंच जायेंगे। किसान की फसल का बीमा होना चाहिए। उसकी कीमत उसे मिलनी चाहिए। अगर कोई ऐसी बात हो जाय, जैसे खलिहान में आग लग जाय तो उसकी कीमत उसको मिलनी चाहिए। इसलिए उसकी फसल का बीमा होना चाहिए।

इसी तरह गन्ने का मामला है। गन्ने की कीमत २१ रुपए क्विन्टल आती है। मैंने यह हिसाब मुख्य मन्त्री जी को दिया था। लेकिन उसको १४ रुपए क्विन्टल की कीमत मिल रही है। हमारे यहां मेरठ में तो कई फैक्टरियां कीमत दे भी नहीं रही हैं। वह अभी उधार में चल रही हैं। गन्ना अभी खड़ा है और क्रशर्स आपने बन्द कर दिए। गन्ने का शुगर परसेंटेज कम हो जायगा। उधर किसान को कीमत नहीं मिलती। तो जिस तरह के क्रशर्स गन्ना ले रहे थे उसी तरह से उनको गन्ना दिया जाता है और खांडसारी भारत में इस्तेमाल की जाती और चीनी विदेशों में भेजी जाती और विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें, जो सुझाव आपके रह गए हों वे आप मन्त्री जी के पास लिख कर भेज दें।

श्री राजपाल--

मुझे एक दो सुझाव और देने हैं .... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठें। आपकी अब कोई बात लिखी नहीं जाएगी।

श्री राजपाल--

इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। (व्यवधान)

श्री मूलचन्द राजपूत (जिला मुजफ्फरनगर)--

अध्यक्ष महोदय, आज हमारे देश और प्रदेश की जो हालत हो रही है उस पर यदि हम विचार करें तो इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमारे प्रान्त के अन्दर कृषि की बड़ी दुर्दशा है उसका खास कारण यह है कि आज तक किसान का बेटा इस मन्त्री पद पर नहीं बैठा आप आए हैं, उनसे कुछ उम्मीद की जा सकती है। इस सरकार की प्लानिंग बिलकुल गलत रही है। जिस कृषि के लिए खाद, बिजली और पानी की आवश्यकता होती है उसका मन्त्रालय भिन्न-भिन्न लोगों के पास है। उनमें कोआर्डिनेशन नहीं है। अगर इनका कोआर्डिनेशन कर दिया जाय तो कृषि में तरक्की हो सकती है। विलेज लेविल पर ही अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि बी० एल० डब्ल्यू० प्लानिंग का आदमी है, सेक्रेटरी पंचायत विभाग का है, लेखपाल राजस्व विभाग का है। इनका आपस में कोआर्डिनेशन (Co-ordination) नहीं है। कोई किसी की बात नहीं मानता है। ए० डी० ओ०, बी० एल० डब्ल्यू० की बात नहीं मानता इसमें कोआर्डिनेशन किया जाय।

[श्री मूल चन्द राजपूत]---

भूमि सुधार की भी बहुत आवश्यकता है। स्वायल कन्जरवेशन विभाग में बहुत भ्रष्टाचार है। उसको ठीक किया जाय। जो काम किया जाता है वह कागज पर ही होता है, असली काम नहीं होता। इस विभाग को जो पैसा दिया जाता है उसका सही उपयोग होना चाहिए। भूमि को पहचान के लिये कहीं-कहीं हैडक्वार्टर पर भूमि परिक्षण आफिस है, मेरा सुझाव है कि ऐसे आफिस हर विधान सभा के सदस्य के क्षेत्र में एक-एक होना चाहिए। इससे लोगों को अपनी भूमि का परीक्षण करवाने में मदद मिलेगी। जो कमियां होगीं उन्हें दूर किया जा सकेगा।

कृषि यन्त्रों की बहुत कमी है। बी० एल० डब्ल्यू० जो डिमान्सट्रेशन करते हैं वे कोई काम नहीं जानते। डी० टी०-१४ जो दूसरे लोगों को दिया जाता है वह आम किसानों को दिया जाना चाहिये क्योंकि वह सस्ता और छोटा है और किसान आसानी से उसे खरीद सकते हैं इसके अलावा अब बीज का सवाल आता है। बीज अच्छा प्राप्त नहीं हो रहा है। जब बीज ही अच्छा नही होगा तो कृषि के अन्दर अच्छी पैदावार कैसे होंगी। मेरा अनुरोध है कि जो बीज गोदाम हैं उनकी सफाई कराने का और उनके मेंटिनेंस का प्रबन्ध इस प्रकार किया जाय ताकि बीज सुरक्षित रह सकें। जो लेवी के रूप में गेहूं लिया जाता है या दूसरे खाद्य पदार्थ लिए जाते हैं, वे सड़ जाते हैं, गोदामों में रखने से खराब हो जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मूलचन्द जी, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष ---

नियम ५१ के अन्तर्गत जो सूचनायें आयी हैं उनमें एक श्री रामसुन्दर पांडेय जी की है जो इस प्रकार है--"अग्रसेन कन्या विद्यालय आजमगढ़ के प्राचार्य सहित सभी कर्मचारियों को ६ माह से वेतन न मिलने से कई विषय के प्रवक्ता न होने के कारण छात्रों की पढ़ाई में रुकावट से छात्र असन्तोष।"

यह वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया है।

एक दूसरा नियम ५१ का सर्वश्री बृजपाल सिंह यादव, आशाराम यादव और अवधेश कुमार जी का है जो इस प्रकार है--"१९ अप्रैल, १९७५ को बदायूं शहर कोतवाली में पुलिस हिरासत में मुन्ना नामक व्यक्ति को पुलिस द्वारा क्रूरता से पीटे जाने के कारण तथाकथित व्यक्ति की मृत्यु।

और तीसरा है श्री हरि केवल जी का जो इस प्रकार है---"देवरिया जनपद के ग्राम श्रीपति बांड थाना तुरपट्टा के अन्तर्गत ९ हरिजन परिवारों पर बेगार न करने के कारण भूतपूर्व जमींदारों द्वारा अत्याचार।"

ये दोनों अस्वीकार किए गये हैं।

अब हम उठते हैं, परसों २५ तारीख को ११ बजे फिर बठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बज कर १४ मिनट पर शुक्रवार, २५ अप्रैल, १९७५ के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२३ अप्रैल, १९७५।

नत्थी "क"

(देखिए नियम ३८(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६६० पर।)

प्राथमिक शिक्षक संघ, बलिया, मांग-पत्र

राज्य स्तर की मांगें

(१) बेसिक शिक्षा परिषद् में कार्यरत अध्यापकों को राज कर्मचारी घोषित किया जाय एवं उन्हें सरकारी कर्मचारी की सभी सुविधायें दी जाय।

(२) प्राथमिक शिक्षा को किसी भी निकाय के अन्तर्गत सम्मलित न किया जाय।

(३) प्राथमिक अध्यापकों के वेतन बढ़ोत्तरी बकाया धनराशि के भगतान के रोकने का आदेश तत्काल रद्द किया जाय, एवं सम्बन्धित एरियर का भुगतान किया जाय।

(४) बेसिक शिक्षा परिषद् में कार्यरत पांच वर्ष के अनुभव वाले प्रत्येक अध्यापक/अध्यापिकाओं के प्रत्येक प्रेकार के परीक्षा युक्त प्रशिक्षण से मुक्त करके उन्हे प्रशिक्षित स्वीकार किया जाय एवं सम्बन्धित प्रत्येक सुविधायें उन्हें दी जायं।

(५) प्राथमिक अध्यापकों की आर्थिक दशा को देखते हुए उन्हे विभिन्न प्रकार के राजकीय ऋण देने की व्यवस्था की जाय।

(६) जिले के स्थानान्तरण समिति में प्रा० शि० स० (प्राथमिक शिक्षक संघ) के प्रतिनिधि को स्थायी सदस्य के रूप में रखा जाय।

(७) शिक्षा विभाग के विभिन्न प्रशासनिक पदों पर निश्चित रूप के योग्य एवं अनुभवशील प्रायमिक अध्यापकों को पदोन्नति करके नियुक्ति की स्थायी व्यवस्था की जाय।

(८) स्थानीय मांगें :
जिले के प्रशिक्षित अध्यापकों को दीक्षित वेतन- क्रम दिया जाये।

(९) बलिया के प्राय मिक अध्यापकों का परिषद्कालीन बकाया तथा वर्तमान विभिन्न व्यक्तिगत बकाया एव वेतन बढ़ोत्तरी एरियर जो करीब ९० लाख रुपया है, का का भुगतान किया जाय।

(१०) बलिया के अवकाश प्राप्त अध्यापक/अध्यापिकाओं को उनकी पेंशन, ग्रेच्युटी, जीवन बीमा एवं जीवन निर्वाह निधि के भुगतान की व्यवस्था तत्काल किया जाय इस सम्बन्ध में अनावश्यक विलम्ब करने वाले कर्मचारियों पर उचित कार्यवाही की जाय।

(११) मृतक शिक्षक के आश्रितों को उनके समस्त बकाया धन के भुगतान की सुविधाजनक व्यवस्था की जाय।

(१२) अध्यापकों के जीवन बीमा एवं जीवन निर्वाह निधि का प्रमाणित वार्षिक हिसाब दिया जाय।

(१३) बलिया के प्राथमिक अध्यापक के वेतन वितरण के त्रुटियों को दूर किया जाय एवं उनका वेतन निश्चित रूप से प्रति माह ७ तारीख तक दे दिया जाय।

(१४) जिले के प्रशिक्षित बेकार अध्यापकों की नियुक्ति की व्यवस्था की जाय।

(१५) जिला बेसिक शिक्षा परिषद् में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किया जाय एवं भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय।

(१६) गैर शिक्षा अधिकारियों द्वारा अध्यापकों के शिक्षण कार्य में किये जा रहे अनावश्यक हस्तक्षेप रोका जाय जिससे अध्यापक अनावश्यक मयादोह न होने से बचे रहे।

(१७) जिले के प्राथमिक अध्यापकों की पदोन्नति करके जूनियर हाई स्कूल के रिक्त स्थानों की पूर्ति करने में शीघ्रता की जाय।

(१८) प्राथमिक अध्यापकों का स्थानान्तरण उनकी सुविधा एवं आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर अविलम्ब किया जाय।

(१९) स्थानीय अप्रशिक्षित अध्यापकों के सेवाकाल को उनके प्रशिक्षित होने के बाद के सेवाकाल में जोड़ा जाय।

(२०) नगरपालिका में कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकाओं को शहरी एवं आवासीय भत्ता दिया जाय।

(२१) क्रीड़ा, विज्ञान, कला फन्ड के आय-व्यय की जांच कराई जाय।

(२२) पंचायत निर्वाचन एवं विधान सभा के निर्वाचन कार्य का यात्रा भत्ता दिया जाय।

(२३) अध्यापकों से सम्बन्धित जी० ओ० की एक प्रतिलिपि प्राथमिक शिक्षक संघ को भेजी जाय।

(२४) बेसिक विद्यालयों में बच्चों को बैठने के लिए उचित प्रबन्ध किया जाय एवं अन्य शिक्षण सामग्रियों की व्यवस्था की जाय।

(ह०) उमाशंकर सिंह,
अध्यक्ष, जिला प्राथमिक शिक्षक संघ,
बलिया।

सत्यापित

उप बालिका विद्यालय निरीक्षिका,
बलिया।
१९-४-१९७५।

नत्थी 'ख'

(देखिए नियम ३८(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६६९ पर।)

श्री अलश्रेन्द्र इन्टर कालेज मिनगा, बहराइच के छात्रों की संस्था के प्राचार्य तथा मैनेजिंग कमेटी के विरुद्ध मांगें एवं कृत कार्यवाही का विवरण

प्रमुख मांगें	मांगों पर की गई कार्यवाही
(१) विद्यालय का एकमात्र छात्रावास जिसमें पी० डब्ल्यू० डी० विभाग ने अनावश्यक रूप से ताला डाल रखा है उसे दूर देहात के निर्धन छात्रों को मुफ्त रहने के लिए दिया जाय।	(१) सम्बन्धित भवन खाली हो गया है तथा कुछ छात्र उसमें रह भी रहे हैं।
(२) विद्यालय में शिक्षा शुल्क का वितरण निर्धनता के आधार पर करके गरीब छात्रों की पूरे-वर्ष की फीस माफ की जाये।	(२) अगले सत्र में फीस माफी के सम्बन्ध में छात्र संघ की राय भी ली जाया करेगी।
(३) विद्यालय की चल-अचल सम्पत्ति की पूरी जांच करके उसमें लाखों की सम्पत्ति निजी स्वार्थ से हस्तान्तरित की गई है वह सम्बन्धित विद्यालय को वापस कर दी जाये।	(३) दिनांक २५-४-७५ से ३०-४-७५ तक उक्त विद्यालय का आडिट होने जा रहा है।
(४) विद्यालय के आय-व्यय की पूरी जांच की जावे। जनता के सभी वर्गों के लोगों में सन्देह है कि लाखों रुपयों का गबन कुछ जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा किया गया ह।	(४) शिक्षा उप निदेशक, फैजाबाद ने आडिट पार्टी भेजी है जो २५-४-७५ से ३०-४-७५ तक आडिट करेगी।
(५) माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के अनुसार विद्यालय की साधारण सभा ही प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति का गठन करे।	(५) प्रबन्धक के त्याग-पत्र दे देने के कारण अब साधारण सभा की बैठक परिषदीय परीक्षा तथा आडिट के पश्चात् ४ मई, १९७५ को कराने की सूचना दी है।
(६) विद्यालय अध्ययन, अध्यापन का स्थान न बनकर केवल एक व्यावसायिक अड्डा बन गया है। इस स्थिति को समाप्त कर पठन-पाठन का वातावरण पैदा किया जाए।	(६) जिला विद्यालय निरीक्षक विद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण करते रहते हैं जिससे वहां अध्ययन अध्यापन कार्य ठीक से चलता रहे।
(७) एक तरफ विद्यालय में लाखों की सम्पत्ति है, दूसरी ओर छात्रों के लिए ठीक से छप्पर नहीं और न बैठने की व्यवस्था है इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति उचित कदम उठावें।	(७) विज्ञान सामग्री लगभग रु० १००० मूल्य की मंगवा ली है। काष्ठोपकरण के लिए टेन्डर प्राप्त करने की अनुमति प्रधानाचार्य को दे दी गई है। प्रबन्धक के त्याग-पत्र दे देने के कारण भवन निर्माण में अवरोध उत्पन्न हो गया है अतः ग्रीष्मावकाश में निर्माण सम्भव हो सकेगा।

नत्थी 'ग'

(देखिए नियम ३८(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६७२ पर।)

अभियोगों की सूची

१—विद्यालय के प्राभूत को अनुपालन कोष में नियमित रूप से जमा न किया जाना।

२—ड्यूटी रोल और ब्याज क्रमश : दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६७ व ६ नवम्बर, १९६५ के बाद नहीं निकाली गई।

३—विद्यालय के छात्रों से वर्ष १९६९-७० में अनियमित शुल्क ५ रुपये से १० रुपये तक प्रति छात्र की दर से वसूल करना।

४—विकास फन्ड की अधिकतर धनराशि काल्पनिक वाउचर लगाकर दुरुपयोग करना।

५—भवन मरम्मत के नाम से अनुपालन मद एवं विकास मद के अनेकों फर्जी वाउचर लगाए गये और सम्बन्धित धनराशियों का दुरुपयोग करना ?

६—विद्यालयों को ६ हजार रुपया का क्षेत्रीय स्थल अनुदान प्राप्त हुआ। इस धन का पूर्णतया दुरुपयोग करना।

७—विद्यालय में इन्टर की मान्यता प्राप्त करने हेतु १३ छप्पर की छाजन वाले शिक्षण कक्ष तैयार कराए गए और मान्यता मिलने पर इन छप्पर कक्षों को समाप्त करना तथा उन्हें स्थानीय जूनियर हाई स्कूल में भेजकर एक अच्छी रकम भवन मरम्मत के नाम से वसूल करना।

८—विद्यालय की १ बीघा ५ बिस्वा जमीन जो खन्डों में थी जुलाई, १९६९ में प्रसार अध्यापक को जुताई करने से मना करना ?

९—विद्यालय के अध्यापकों तथा कर्मचारियों को विभिन्न परीक्षाओं में बैठने की अनुमति अनियमित रूप से देना।

१०—अध्यादेश लागू होने के पूर्व से ८ मास का वेतन विद्यालय के अध्यापकों एवं कर्मचारियों को न देना।

११—विभागीय आडिट आख्या की अनुपालन आख्या का प्रेषित न किया जाना।

नत्थी 'घ'

(देखिए नियम ३८(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६७५पर।)

१—ट्यूबवेल डिवीजन शाहजहांपुर से अगस्त १९६४ में ११८ नलकूप चालक तबादला होकर ट्यूबवेल डिवीजन लखनऊ आये। इन सभी अस्थायी ट्यूबवेल आपरेटर का जो दिनांक १ अगस्त १९६४ से पहले ट्यूबवेल डिवीजन शाहजहांपुर में काम करते थे, अन्वीक्षण अभियन्ता, नलकूप मन्डल, बरेली के आदेशों के अनुसार, स्थायीकरण नलकूप खंड, शाहजहांपुर द्वारा होना था जिसके लिए अधिशासी अभियन्ता नलकूप खन्ड, शाहजहांपुर ने मुख्य अभियन्ताओं को अवगत भी कराया परन्तु बाद में उन्होंने अपनी उक्त बातें वापस लेते हुए सम्बन्धित कूप चालकों को नलकूप खन्ड, शाहजहांपुर से स्थायी करने से इन्कार कर दिया।

२—उपर्युक्त परिस्थिति में यह समस्या पैदा हो गयी है कि नलकूप चालकों का स्थायीकरण किस प्रकार किया जाय, क्योंकि नलकूप खन्ड, लखनऊ में १९७०-७१ से २४५ नलकूप चालकों के समक्ष केवल ४५ स्थायी पद आवंटित किए गए हैं। इस प्रकार नलकूप चालकों के पर्याप्त स्थायी पद स्वीकृत न होने के कारण उनका स्थायीकरण नहीं किया जा सका है। यह नीति निर्धारण का विषय मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग के विचाराधीन है।

अमर उजाला प्रतिनिधि

नत्थी 'छ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६८७ पर।)

तीन वर्ष से अधिक अवधि के सेवा के हरिजन कूप चालक का नाम व पता

क्रम सं०	नाम	पता	कार्यरत खंड का नाम	विवरण
१	श्री खुदुर प्रसाद ..	गांव–भेउसा, पो० खजुरीबाबे, जिला गोरखपुर।	नलकूप खंड, गोरखपुर।	कार्यकाल ३ साल से अधिक है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी०एस०यू०पी०—एल० १३१ वि० सभा(५४६)—१९७६—८४०।